खण्ड-153, अंक-1
सोमवार, 7 चैत्र, शक संवत् 1877
(28 मार्च, 1955 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 153 में 4 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५५

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय	पृष्ठ–संख्या
साप्ताहिक कार्यक्रम के सम्बन्ध में परिप्रश्न	१८
महावीर जूट मिल्स, सहजनवा की तालाबन्दी के सम्बन्ध में श्रम मन्त्री का वक्तव्य	१८
साप्ताहिक कार्यक्रम की सूचना	१८–१९
उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, १९५५ (विधान परिषद् द्वारा पारित विधेयक की प्रतिलिपि मेज पर रखी गयी) ..	१९
उत्तर प्रदेश एसेंशियल सर्विसेज मेंटिनेंस (निरसन) विधेयक, १९५५ (विधान परिषद् द्वारा पारित विधेयक की प्रतिलिपि मेज पर रखी गयी) ..	१९
१९५५–५६ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—विभिन्न अनुदानों पर विचारार्थ समय विभाजन	१९–२०
अनुदान संख्या १९—लेखा शीर्षक ३८—चिकित्सा तथा अनुदान संख्या २०—लेखा शीर्षक ३९—जन स्वास्थ्य (स्वीकृत) ..	२०–६७
अनुदान संख्या ४१—लेखा शीर्षक ६३—असाधारण व्यय (स्वीकृत) ..	६७–७२
नत्थियां	७३–७९

संसद पुस्तकालय

विधान पुस्तकालय
उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश विधान सभा।

सोमवार, २८ मार्च, १९५५

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३५४)

अक्षयवर सिंह, श्री
अज़ीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इसराउल हक़, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकारसिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरु, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृष्ण चन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलासप्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरु प्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री

चरण सिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद,श्री
जगदीशसरन रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, आचार्य
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नवदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथसिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरीदयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फ़ज़लुल हक़, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बर सिंह, श्री

बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम ख़ां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूद अली ख़ां, श्री (रामपुर)
महमूद अली ख़ां, श्री (सहारनपुर)
महाजन, श्री सी० बी०
महाराजसिंह, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली ख़ां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद रऊफ जाफ़री, श्री
मुहम्मद शाहिद फाख़री, श्री
मुहम्मद सआदत अली ख़ां, राजा
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणञ्जय सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री

रामलखन मिश्र श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ़अली खां, श्री
लेखराजसिंह, श्री
वंशनारायणसिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्राम राय, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगलसिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्यामममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीनिवास पंडित, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईदजहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायणदत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सालिगराम जायसवाल, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री

सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

सोमवार, तारीख २८ मार्च, १९५५ ई०

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

नागरी लिपि सुधार में कठिनता

**१—श्री रणंजय सिंह (जिला सुल्तानपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि नागरी लिपि में जो सुधार करने का निश्चय किया गया था, उसमें कुछ कठिनाई प्रतीत होने से उस पर पुनः विचार किया जाने वाला है ?

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)—जी नहीं।

तारांकित प्रश्न

कमलेश्वर मन्दिर, श्रीनगर, जिला गढ़वाल की व्यवस्था

*१—श्री गंगाधर मैठाणी (जिला गढ़वाल)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी श्री कमलेश्वर मन्दिर श्रीनगर गढ़वाल को राज्य से कोई रकम दी जाती है ? यदि हां, तो कितनी और कब से ?

कृषि मंत्री के सभा सचिव (श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी)—श्री कमलेश्वर मंदिर श्रीनगर गढ़वाल को राज्य से कोई रकम नहीं दी जाती है।

*२—श्री गंगाधर मैठाणी—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कमलेश्वर मन्दिर प्राइवेट है या सार्वजनिक ? यदि सार्वजनिक है, तो इसकी कुल सम्पत्ति कितनी है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—श्री कमलेश्वर मन्दिर सार्वजनिक है। इसकी सम्पत्ति अनुमानतः ६१,००० रुपये हैं।

*३—श्री गंगाधर मैठाणी—क्या सरकार को विदित है कि कमलेश्वर का प्राचीन मन्दिर और भवन सब खंडहर की अवस्था में हैं ? यदि हां, तो सरकार ने उसकी व्यवस्था के लिये क्या किया है या करने का विचार करती है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—जी हां। मंदिर की व्यवस्था के सुधारने का प्रश्न अभी सरकार के विचाराधीन है।

श्री गंगाधर मैठाणी—क्या माननीय मंत्री को मालूम है कि इस मंदिर से कुछ गोंठ रेवेन्यू भी दिया जाता है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—दी जाती है।

श्री गंगाधर मैठाणी—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि कितनी दी जाती है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—जो दी जाती है वह केवल टेहरी-गढ़वाल और टेहरी के कुछ इलाकों को दी जाती है और सब मिलाकर ५ हजार से ऊपर दी जाती है।

नोट—अल्पसूचित तारांकित प्रश्न १ श्री उमाशंकर तिवारी ने पूछा।

श्री गंगाधर मैठाणी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इसकी व्यवस्था इस समय किसके हाथ में है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—इस मन्दिर का ताल्लुक हिज हाईनेस टेहरी गढ़वाल से है और एक कमेटी वहां मुकर्रर है जो उसका इन्तजाम करती है ।

श्री गंगाधर मैठाणी—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि इस कमेटी के कौन-कौन सदस्य हैं और क्या गवर्नमेंट की तरफ से कुछ लोग नामिनेटेड हैं ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी— उस कमेटी क सदस्यों का नाम तो नहीं बतला सकता, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी आदमी नामिनेट नहीं होता ।

श्री व्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—क्या मंत्री महोदय बतलायेंगे कि इस मन्दिर का प्रबन्ध बद्रीनाथ मन्दिर कमेटी के सुपुर्द करने के प्रश्न पर सरकार विचार करने को प्रस्तुत है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—श्री बद्रीनाथ टैम्पिल कमेटी से इसकी बाबत पूछा गया था लेकिन वे इसका इन्तजाम अपने हाथ में लेना नहीं चाहते ।

भूतपूर्व मध्यवर्तियों और किसानों की मालगुजारी का अनुपात

*४—श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि भूतपूर्व मध्यवर्तियों की भूमिधरी और अन्य किसानों की भूमिधरी की भूमि की सरकारी मालगुजारी का औसत अनुपात क्या है ?

माल उप मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—सूचना निम्न प्रकार है :—

मध्यवर्तियों की भूमिधरी की भूमि की सरकारी मालगुजारी का औसत अनुपात लगभग १·८८ प्रति एकड़ है ।

अन्य किसानों की भूमिधरी की भूमि की सरकारी मालगुजारी का औसत अनुपात लगभग ३·२ प्रति एकड़ है ।

*५—श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (अनुपस्थित)—क्या सरकार इन दोनों प्रकार के भूमिधरों की औसत मालगुजारी में समानता लाने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी नहीं ।

*६—श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (अनुपस्थित)—क्या सरकार इस प्रश्न पर विचार कर रही है कि छोटे काश्तकारों की अपेक्षा बड़े काश्तकारों की मालगुजारी की दरें क्रमशः बढ़ती जायं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी नहीं ।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि दोनों की औसत जो मालगुज़ारी है, उनमें इतना अन्तर होने का क्या कारण है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—कारण यह है कि जो जमींदारों की सीरें थीं जो कि उनकी भूमिधरी हो गई, वह उनकी खुदकाश्त थी। उस पर मालगुजारी के हिसाब से लगान लगाया गया जो कि उनको मालगुजारी देनी पड़ती थी, उस पर कुछ अबवाब वगैरह बढ़ाकर लगाया गया और चूंकि जमींदारी एबालीशन ऐक्ट में उनको कोई कम्पेंसेशन उस जमीन का नहीं दिया गया जिस पर किसी की खुदकाश्त थी, इसलिए उसकी रेवेन्यू वही रखी गई जो कि मालगुजारी उनको पहले देनी पड़ती थी और बाकी लोगों की जो भूमिधरी थी वह जिस तरह से उन्होंने ली थी, उस हिसाब से उनका रेवेन्यू तय हुआ था। इसलिये यह कुछ ज्यादा है ।

नोट—तारांकित प्रश्न ४ से ६ तक श्री जोरावर वर्मा ने पूछे ।

कृषि विभाग के तृतीय वर्ग के कर्मचारियों की ग्रेडेशन लिस्ट

*७—श्री गेंदासिह (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि कृषि विभाग के तीसरे ग्रूप के कर्मचारियों की ग्रेडेशन लिस्ट अब तक बनी है या नहीं? यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—तृतीय वर्ग के कर्मचारियों की ग्रेडेशन लिस्ट बन चुकी है। लेकिन लिस्ट अभी छपी नहीं है क्योंकि इस विषय में कुछ कर्मचारियों के प्रार्थना-पत्र आये हैं जिनका निरीक्षण विभागीय कमेटी द्वारा किया जा रहा है, उसके पश्चात लिस्ट छपेगी।

*८—श्री गेंदासिह (अनुपस्थित)—क्या इस विभाग का कोई मैनुअल अब तक बना है? यदि नहीं, तो उसका क्या कारण है?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—जी नहीं, सरकार ने मैनुअल बनाने के लिये एक विशेषाधिकारी और कुछ अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति हाल ही में की है और इसका कार्य आरम्भ हो गया है।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो विभागीय कमेटी बनाई गई है उसमें कौन-कौन लोग हैं?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—यह डिपार्टमेंटल जो कमेटी है उसमें सेक्रेटरी और कुछ और लोग हैं जो इसको देखते हैं।

श्री जगन्नाथ मल्ल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इनकी ग्रेडेशन की लिस्ट कब तक छप जायगी?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—यह बताना तो जरा मुश्किल है कि कब तक छप जायगी। साल, सवा साल के अन्दर शायद यह हो जाय, इसलिए कि बहुत से प्रार्थना-पत्र आये हैं, उनको देखना होगा और उसके बाद फैसला होगा।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह ग्रेडेशन का मामला कितने दिनों से जेरे गौर है?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—असल में यह ग्रेडेशन का जो सवाल है यह उस समय आया जब कि जो फोर्थ और फिफ्थ ग्रेड के लोग थे उनकी तनख्वाह थर्ड ग्रेड के बराबर कर दी गई, वह लोग उनके ग्रूप में आ गये। उनके आने के बाद कुछ लोग कोआपरेटिव डिपार्टमेंट में चले गये। इस प्रकार कुछ उलट पुलट हो गई। तो वह पहले एक लिस्ट बनाई गई। फिर लोगों को मौका दिया गया कि अगर उनको कोई आब्जेक्शन हो, कुछ कहना हो तो कह लें, फिर फैसला हो।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस कमेटी की स्थापना कब की गई?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—पहले जब एक लिस्ट बनाई गई और उसके बाद यह हुआ कि प्रार्थना-पत्र आयेंगे, तब यह कमेटी उसको देखने के लिए मुकर्रर की गई।

श्री जगन्नाथ मल्ल—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि पडरौना तहसील में क्यों नहीं इनकी मीटिंग हुई?

श्री चतुर्भुज शर्मा—कोई कारण पड़ गया होगा। काम तो हुआ है। मीटिंग न हो सकी होगी।

नोट—तारांकित प्रश्न ७ व ८ श्री रामसुभग वर्मा ने पूछे।

गोरखपुर जिले में बगहा गांव क्षेत्र को घाघरा से खतरा

*९—श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार को सूचना मिली है कि बगहा गांव और आसपास का क्षेत्र (बड़हलगंज के पास, जिला गोरखपुर) घाघरा की तेज धार से कट गया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां, बगहा गांव का लगभग ३/४ भाग घाघरा की तेज धार से कट गया है।

*१०—श्री झारखंडे राय—क्या सरकार को ज्ञात है कि कटान अब भी जारी है और बगहा गांव के अब केवल कुछ घर ही बच रहे हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—कटान इस समय तो रुक गया है, परन्तु गांव के थोड़े से बच रहे घरों को खतरा बना हुआ है।

*११—श्री झारखंडे राय—क्या सरकार बतायेगी कि बगहा गांव को बचाने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ? अगर हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी नहीं, क्योंकि गांव को बचाने के लिये नदी के तट पर इतने स्पर्स बनाने पड़ेंगे जिनका व्यय करोड़ों रुपया होगा।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय राजस्व मंत्री बतलायेंगे कि घाघरा की तेज धार से जो हिस्से कट गये हैं, वे कुल कितने एकड़ के रकबे में होंगे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—नोटिस की जरूरत होगी।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मंत्री महोदय को मालूम है कि जिन गांव के घर बह गये हैं उनको बचाने की अपेक्षा उनको दूर बसाने की व्यवस्था सरकार की ओर से हो रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां, जो गांव बह गये हैं उनको बसाने का प्रबन्ध किया जा रहा है। आदेश कलेक्टर को पहुंच गये हैं कि उनके नजदीक के गांव में जहां जमीन मिले, उनको बसा दिया जाय और उनको जमीन बसने के लिये दी जाय।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि इस कटाव को देखने के लिये कौन से अधिकारी गोरखपुर से गये थे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—माल विभाग के अधिकारी गये थे।

श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि इस गांव के कटाव को देखने के लिये माननीय सिंचाई मंत्री २४ अप्रैल को जाने वाले हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इसकी कोई सूचना नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि बगहा के पश्चिम राप्ती और घाघरा नदी एक फर्लांग ही मिल जाने से बाकी है और जिनके मिल जाने से सारा क्षेत्र, हजारों एकड़ का कट जाने वाला है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इस समय कोई ऐसी सूचना नहीं है।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि उनके पास इसकी सूचना है कि १३ जनवरी, १९५५ तक बगहा क्षेत्र में कोई भी अधिकारी कहीं से भी देखने के लिये नहीं गया था ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इसके लिये नोटिस की जरूरत होगी।

देवरिया जिले में बाढ़ से रक्षा के उपाय

*१२—श्री गेंदासिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि देवरिया जिले में बाढ़ से बचाव के लिये कितनी समितियां बनी हुई है ? उनकी प्रत्येक की कितनी मीटिंग अब तक हुई है और उनके कौन-कौन सदस्य हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—देवरिया जिले में बाढ़ से बचाव के लिये एक जिला समिति है तथा प्रत्येक तहसील में उप-समितियां हैं, जिनकी कुल संख्या १३ है।

इनमें से जिला समिति की बैठक १४ मई, १९५४ को हुई थी, उसके पश्चात् जिला नियोजन समिति तथा आफिसर्स मीटिंग में बाढ़ की समस्या पर विचार किया गया।

तहसीलों में उप-समितियों की बैठकों की संख्या निम्नलिखित है:—

सदर	३
सलेमपुर	२
हाटा	१
पडरौना	..

जिला समिति के सदस्य, जिले के विभागीय अध्यक्ष, विधान सभा के सदस्य, जिला बोर्ड के अध्यक्ष तथा अन्य प्रमुख सार्वजनिक कार्यकर्ता हैं। इन सदस्यों की सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ७३ पर)

इसी प्रकार तहसील की उप-समितियों में उस क्षेत्र के मुख्य सरकारी अफसर तथा सार्वजनिक कार्यकर्ता सदस्य हैं।

इन सदस्यों की पूरी सूची कार्यालय में देखी जा सकती है।

*१३—श्री गेंदासिंह (अनुपस्थित)—क्या बाढ़ पीड़ित लोगों की सहायता के लिये इस वर्ष सरकार ने कपड़े की व्यवस्था की थी ? यदि हां, तो कितने कपड़े कहां-कहां भेजे गये थे और उनके वितरण का क्या प्रबन्ध किया गया था ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इस वर्ष बाढ पीड़ित क्षेत्रों में वितरण के लिये मिलों तथा सार्वजनिक सेवा संस्थाओं से कपड़ा प्राप्त हुआ था। देवरिया जिले में इसको एस० डी० ओ० तथा तहसीलदारों ने विधान सभा के सदस्यों तथा अन्य प्रमुख सार्वजनिक कार्यकर्ताओं की सलाह से वितरित किया। कपड़ों के वितरण की सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ७४ पर)

श्री जगन्नाथ मल्ल—क्या सरकार को यह ज्ञात है, जैसा कि उन्होंने कहा कि उस क्षेत्र के लोगों से भी राय ली गयी है, पडरौना तहसील में कपड़ा बांटने के लिये किसी पडरौना क्षेत्र के एम० एल० ए० से राय नहीं ली गयी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इसके लिये नोटिस की जरूरत होगी।

श्री रामेश्वरलाल (जिला देवरिया)—क्या मंत्री जी कृपा कर बतालायेंगे कि क्या यह सही है कि कांग्रेस पार्टी के सभापति भी बाढ़ समिति के सदस्य हैं, यदि हां, तो अन्य माननीय राजनीतिक पार्टियों के सभापति सदस्य क्यों नहीं रखे गये ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जो कि प्रामिनेंट पब्लिक वर्कर्स होते हैं उसी हैसियत से होते हैं। चाहे कांग्रेस के हों, और दूसरी पार्टियों के भी हो सकते हैं।

श्री रामेश्वरलाल—क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रबंधित कपड़े का बटवारा देवरिया तहसील में किया गया और सलेमपुर और पडरौना तहसील में कम हुआ है, जबकि बाढ का भीषण प्रकोप इन दोनों तहसीलों में अधिक था ?

नोट:—तारांकित प्रश्न १२–१३ श्री जगन्नाथ मल्ल ने पूछे।

श्री चतुर्भुज शर्मा—जिलेवार आंकड़े तो मेरे पास नहीं हैं। अगर माननीय सदस्य चाहेंगे तो मंगा लिये जायेंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या सरकार माननीय जगन्नाथ मल्ल जी के प्रश्न के मंतव्य को समझते हुये, इस सिलसिले में जांच करायेगी कि पडरौना क्षेत्र के एम० एल० ए० लोगों की राय क्यों नहीं ली गयी ?

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)—इस बात की जरूरत इसलिये नहीं महसूस होती है कि एक कारण यह मालूम होता है कि पडरौना तहसील के जो एम० एल० ए० हैं वह डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की खराबियों और नुक्ताचीनियो को तलाश करने में ज्यादा रहते हैं, बनिस्बत उनकी इमदाद करने के।

श्री रामेश्वर लाल—क्या यह सही है कि प्रांतीय सरकार की तरफ से हर जिलाधीश को यह सूचना दी गयी थी कि वह अप्रैल या मई के महीने में जिला समितियों की बैठक जो बाढ़ के सिलसिले में बनी है, बुलावें ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—हर साल इस तरह का हुक्म जाता है।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय माल मंत्री ने जो पडरौना के एम० एल० ए० के बारे में कहा कि उनकी यह आदत है कि नुक्ताचीनी करते हैं, क्या यह आक्षेप नहीं है ?

श्री अध्यक्ष—जरूर है। लेकिन जवाब आपको मिल गया।

श्री राजनारायण—जबकि वह इस प्रकार सवाल का उत्तर देते हैं तो वह दे सकते हैं, लेकिन हम रोक दिये जाते हैं।

श्री अध्यक्ष—वह तो उत्तर देते ही हैं। सवाल का जवाब उनको देना ही चाहिये।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या देवरिया तहसील में बाढ़ के संबंध में दी जाने वाली सहायता के संबंध में नियमों में यह भी लिखा हुआ है कि सरकारी कर्मचारियों की नुक्ताचीनी करने वाले विधान सभा के सदस्यों से राय न ली जाय ?

श्री चरणसिंह—नियम में कुछ नहीं लिखा हुआ है। मैंने तो यह इसलिये कहा था कि जिन लोगों की जिम्मेदारी यह है कि वह अफसरान को सहायता दे, अगर उनका उद्देश्य ही यह हो जाय कि केवल नुक्ताचीनी करना, भूल न दिखाना और इसके अलावा कोई सहायता नहीं करना, तो स्वाभाविक बात है कि उनको कठिनाई होगी, ऐसी सहायता लेकर। कोई नियम नहीं है।

श्री राजनारायण—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि किन कारणों से सरकार को यह मालूम हुआ कि पडरौना तहसील के एम० एल० एज० सहयोग नहीं देते हैं, बल्कि आफिसर्स की केवल नुक्ताचीनी करते हैं ?

श्री चरणसिंह—एक तो रोजाना की यहां की गुफ्तगू और सवालात से मालूम होता है लेकिन एक खास बात जो मेरे दिमाग में है, जिसकी वजह से मैं यह कहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का चाहे जो दोष रहा हो, लेकिन पिछली बार जो बाढ़ देवरिया में आई तो वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और दूसरे आफिसर्स ने जी तोड़कर मेहनत की।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि यह विवाद का समय नहीं है, प्रश्नों का उत्तर देने का समय है।

श्री राजनारायण—माननीय मंत्री जी ने जो विवाद उठाया है, उसके लिये मैं समय चाहता हूं और मैं यह जानना चाहता हूं कि वहां के सरकारी कर्मचारियों ने गलत रिपोर्ट भेजी थी जब कि जगन्नाथ मल्ल जी वहां नहीं थे, यह कह कर कि वह वहां थे लेकिन नहीं आये।

श्री अध्यक्ष—यह प्रश्न उठता नहीं है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि बाद के इंतजाम के संबंध में देवरिया जिले के अलावा अन्य विधान सभा के सदस्यों ने भी आलोचना की थी ?

श्री अध्यक्ष—यह विवाद का प्रश्न है ।

श्री जगन्नाथ मल्ल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पडरौना तहसील के किसी भी एम० एल० ए० ने वहां के तहसीलदार या डिप्टी के खिलाफ कोई नुक्ताचीनी नहीं की है ?

श्री अध्यक्ष—यह भी विवाद है ।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, उत्तर से यह उठता है ।

श्री अध्यक्ष—आपको मालूम है कि मैंने उन्हें रोक दिया था कि आप विवाद न करें, तो आप कैसे यह कह सकते हैं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार भविष्य में देवरिया के अधिकारियों को आदेश देगी कि भविष्य में एम० एल० एज० से भी राय ली जाय ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह आर्डर देने की जरूरत नहीं है । विधान सभा के सदस्य कमेटी के सदस्य होंगे ही और राय ली जायगी ही ।

श्री जगन्नाथ मल्ल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला कमेटी और तहसील कमेटी जो बनी हैं, वह किस के द्वारा चुनी गई ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—चुनाव का सवाल नहीं था, विधान सभा के सदस्य, जिला बोर्ड के प्रेसीडेंट और जो प्रामिनेंट वर्कर्स और आफिसर्स हैं, उनकी कमेटी है ।

श्री जगन्नाथ मल्ल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि एम० एल० एज० और एम० पीज० के अलावा और लोग चुने गये हैं, वह किस के द्वारा चुने गये हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह नामीनेटेड हैं और जिनको समझा गया कि यह कार्य में सहायता देंगे उनको नामिनेट किया गया है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पडरौना तहसील के जो एम० एल० एज० हैं उनको कोई सूचना सहयोग के लिये नहीं दी गई ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इससे तो ऐसा नहीं मालूम होता है ।

मलहपुरवा, जिला आजमगढ़ में खेतों के इन्दराज की दुरुस्ती

*१४—श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—क्या माल मंत्री कृपा करके यह बतायेंगे कि उनके तथा संबंधित अधिकारियों के पास आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील, परगना गोपालपुर आराजी मलहपुरवा के किसान तथा ग्राम पंचायत ने खेतों का इन्दराज ठीक करने की कोई दरख्वास्त दी थी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां ।

*१५—श्री उमाशंकर—क्या माल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त ग्राम पर इन्दराज-दुरुस्ती करने वाले अधिकारी ने वहां जाकर कितने नम्बरों को सही किया ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—१२६ नम्बरों को सही किया गया ।

श्री उमाशंकर---क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर यह बतायेंगे कि उक्त गांव में किसानों तथा ग्राम पंचायत ने कितने नम्बरों को दुरुस्त करने के लिये दरख्वास्तें दी थीं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---गांव के प्रधान की जो दरख्वास्त आई थी वह इस बारे में थी कि लेखपाल ने और कानूनगो ने कुछ नम्बरान जो खाली थे वह लैंडलेस लेबरर्स को न दे कर लोगों को दे दिये हैं जिनको नहीं देना चाहिये था ।

श्री उमाशंकर---क्या मंत्री जी कृपा कर यह बतलायेंगे कि जो गांव सभा ने दरख्वास्त दी थी कि लैन्डलेस लेबरर्स को न दे कर दूसरे लोगों को दे दी है लेखपाल और कानूनगो ने, क्या उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई जिन्होंने ऐसा किया ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---जब यह मालूम हुआ कि वहां पर गल्तियां हैं तो नायब तहसीलदार को वहां जाने के लिये डिप्यूट किया गया और वहां पर जो गल्तियां थीं, वह सारी की सारी दुरुस्त कर दी गईं । वह गल्तियां या तो सक्सेशन (विरासत) की थीं या कब्जे की। सारे गांव वालों को इकट्ठा किया गया और सब की रजामंदी से गल्तियां दुरुस्त की गई ।

श्री उमाशंकर---क्या यह प्रश्न पूछने के बाद ऐसा किया गया ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---यह १५ जनवरी को या उसके करीब हो गया ।

जौनपुर जिले में मालगुजारी व तकावी में दी गयी छूट की वसूली

*१६---श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी जौनपुर जिला की प्रत्येक तहसील में सूखा पड़ने की छूट तथा तकावी में छूट किस हिसाब से दी गई है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---खरीफ १३६२ फसली में जौनपुर जिले में तकावी में कोई छूट सूखा के कारण नहीं दी गई है । परन्तु १३६१ रबी की ७७,६०६/८/९ की तकावी की वसूली रबी १३६२ फसली तक के लिये स्थगित कर दी गई है । जहां तक मालगुजारी की छूट का प्रश्न है वह उन ग्रामों में नियमानुसार दी जायेगी जहां खरीफ की फसल को ६ आने या उससे अधिक का नुकसान पहुंचा है ।

*१७---श्री बाबूनन्दन---क्या सरकार के पास ऐसी शिकायत आई है कि छूट की रकम की भी वसूली कर ली गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---माननीय सदस्य द्वारा मुस्तफाबाद ग्राम के निवासियों की एक शिकायत प्राप्त हुई थी, इस संबंध में जिलाधीश की रिपोर्ट मांगी गई है ।

श्री बाबूनन्दन---क्या सरकार बतायेगी कि जो छूट मालगुजारी में दी जाने वाली है, वह कब तक दी जायगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---तारीख का तो पता नहीं । वह तो हिसाब लगाया जायगा और उसके बाद अगर छूट हो जायगी तो नहीं ली जायगी ।

श्री बाबूनन्दन---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो दरख्वास्त ग्राम मुस्तफाबाद से दी गई है उसके संबंध में जिलाधीश से क्या रिपोर्ट मांगी गई ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---रिपोर्ट यही मांगी गई कि जो शिकायत है वह क्या है, वसूली हुई या नहीं हुई, आदि-आदि ।

श्री बाबूनन्दन---वह रिपोर्ट अभी तक आयी या नही ?

श्री अध्यक्ष---यह तो बतला दिया गया कि रिपोर्ट मांगी गई है, अभी नहीं आयी है ।

मुहम्मदाबाद तहसील के भू-लेख

*१८--श्री शिवपूजन राय (जिला गाजीपुर)--क्या सरकार को मालूम है कि १९४२ ई० में मुहम्मदाबाद तहसील का सारा रिकार्ड आन्दोलनकारियों ने जला दिया था ? यदि हां, तो फिर किस आधार पर फिर से रिकर्ड तैयार हुआ ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--जी हां, सन् १९४२ में मुहम्मदाबाद तहसील के भू-लेख (Land Records) से संबंध रखने वाले सारे रिकर्डस आन्दोलनकारियों ने जला दिये थे। जलाये गये रिकार्डों में से वही रिकार्ड पुनः तैयार किये जा सके जो सदर में प्राप्त थे।

श्री उमाशंकर--क्या सरकार बतायेगी कि कितने रिकार्ड्स ऐसे थे जो सदर में नहीं प्राप्त हो सके ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--इसकी लिस्ट तो जरा लम्बी चौड़ी है।

श्री अध्यक्ष--बहुत बड़ी है तो बाद में आप बता दीजियेगा।

श्री उमाशंकर--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो रिकर्डस नहीं प्राप्त हो सके हैं उनके लिये क्या उपाय सरकार करेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--किसी तरह से जिनसे काम चल सकता है रिकार्डस के बगैर, उनके बनवाने की जरुरत नहीं है लेकिन और रिकार्डस जो जरूरी है, वे जिस तरह से और जगह से हो सकेंगे उन्हें तैयार कराया जायगा।

*१९-२०--श्री गोवर्धन तिवारी (जिला अल्मोड़ा)--[स्थगित किये गये।]

आजमगढ़ जिले के लौआसाथ ताल की मछली का ठेका

*२१--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले की घोसी तहसील के अन्तर्गत लौआसाथ ताल का मछली मारने का ठेका जनवरी, ५५ तक क्यों नहीं दिया गया है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--मत्स्य विभाग के अन्तर्गत आजमगढ़ जिले में इस नाम का कोई ताल नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--अध्यक्ष महोदय, यह सूची हमको २६ तारीख की शाम को मिली। यह सवाल कृषि विभाग से संबंधित नहीं बल्कि माल विभाग से पूछा था। यह आपके विभाग से गलती हो गई, माल विभाग से पूछा और कृषि विभाग से संबंधित कर दिया। तो मैं चाहता हूं कि फिर से इसको माल विभाग को भेज दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--फिर आपको दूसरा सवाल करना होगा। बाद में समझा यह गया कि चूंकि प्रश्न मछली के बारे में है तो कृषि विभाग से वह संबंध रखता है। इसीलिये कृषि विभाग को भेज दिया गया था।

श्री रामसुन्दर पांडेय--वह तो दो तरह का है। कुछ तो माल विभाग के गांव पंचायत के लोग, तहसीलदार डिप्टी कलेक्टर ठेका देते हैं और कुछ कृषि से संबंधित है। तो मैं चाहता हूं कि माल विभाग को भेज दें।

श्री अध्यक्ष--तो आप फिर से नोटिस भेज दें।

श्री रामसुन्दर पांडेय--जी, बहुत अच्छा।

श्री अध्यक्ष--बात यही हुई कि इन लोगों ने समझा कि कृषि विभाग से संबंधित है। गलती मेरे दफ्तर की है, मैं दुरुस्त करा दूंगा।

*२२-२३--श्री रणंजय सिंह (अनुपस्थित)--[स्थगित किये गये।]

*२४-२६--श्री रामप्रभग वर्मा (जिला देवरिया)--[स्थगित किये गये।]

*२७-२८--श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)--[स्थगित किये गये।]

*२९-३१--श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)--[स्थगित किये गये।]

*३२-३४--श्री कृष्णशरण आर्य (जिला रामपुर)--[स्थगित किये गये।]

कानपुर टैक्सटाइल मिल की तालाबन्दी के सम्बन्ध में दो कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--मेरे पास कई कामरोको प्रस्ताव आये हैं। पहला श्री झारखंडेराय जी का है। वह इस प्रकार है कि:-

"गत २४ मार्च की रात से कानपुर टेक्सटाइल मिल बन्द किये जाने, जिसके कारण २,७०० मजदूर बेकार हो गये हैं तथा जिसके फलस्वरूप कानपुर की श्रमस्थिति (लेबर सिचुएशन) और बदतर हो गई है, क्योंकि वहां रेशनेलाइजेशन के विरुद्ध पहले से ही सूती मिल मजदूर सभा ने आगामी २ मई से आम हड़ताल करने का निर्णय किया है और जिसकी तैयारी भी कानपुर में हो हो रही है--से उत्पन्न अत्यन्त गम्भीर परिस्थिति पर विचार करने के लिये यह सदन अपना कार्य स्थगित करता है।"

इसी विषय से संबंधित दूसरे शब्दों में श्री जगन्नाथवल्लभ जी का प्रस्ताव है और यह विषय महत्वपूर्ण और निश्चित भी है। अतः मैं उनसे कहता हूं कि वह सदन की अनुमति के लिये इसको उपस्थित करें।

(श्री झारखंडेराय से) अब आप सदन से अनुमति प्राप्त करने के लिये प्रार्थना कर सकते हैं।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)--श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से सदन से अनुमति मांगने के लिये कुछ बातें पेश करना चाहता हूं। चूंकि कानपुर में रेशनलाइजेशन के खिलाफ असंतोष था। इस मामले को लेकर सूती मिल मजदूर सभा ने आगामी २ मई से आम हड़ताल करने का निश्चय कर दिया है और जिसकी पूरी तैयारी वहां पर शुरू भी हो गई है। इसके साथ साथ कानपुर के टैक्सटाइल मिल के बन्द हो जाने से २,७०० मजदूर बेकार हो गये हैं। इस तालाबन्दी से जो वहां पर काम हो रहा था उसके बन्द होने से, वहां पर और भी असंतोष बढ़ा है। पुलिस गेट पर पहरा दे रही है। इसके अलावा वहां पर एक बात और हुई। कानपुर स्वदेशी मिल में शिफ्ट्स के मामले को लेकर घोर क्षोभ व्याप्त है। स्वदेशी मिल यूनियन की तरफ से माननीय श्रम मंत्री और प्रांतीय सरकार को आवेदन-पत्र दिया गया है कि सरकार इसमें अविलम्ब हस्तक्षेप करे। समझता हूं टैक्सटाइल मिल में ताला बन्दी बड़ी भारी दूसरी दुर्घटना है जो कि प्रभिनवीकरण योजना के कारण ही हुई है। टैक्सटाइल मिल के प्रबन्धकों ने जो मिल बन्द किया है, यह एक सबात की सूचना है कि आगामी कुछ दिनों में बहुत बड़ी हड़ताल या घटना वहां पर होने वाली है। इसलिये इस मामले में लेबर मिनिस्टर और प्रदेश सरकार के हस्तक्षेप करने की बहुत इ ब जरूरत है। मैं समझता हूं कि सदन इस बात की अवश्य अनुमति देगा कि इस प्रस्ताव को, वहां पर विवाद के लिये पेश किया जाय क्योंकि इससे किसी विशेष दल का संबंध नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं सदन की अनुमति चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--अब सरकार बतलाये कि उसको इसकी अनुमति देने में कोई आपत्ति तो नहीं है।

श्रम मंत्री (आचार्य जुगल किशोर)—इस सिलसिले में मैं हाउस के सामने यह रखना चाहता हूं कि जहां तक नोटिस का सवाल है वह तो अभी तक सरकार के पास नहीं पहुंचा है। मैं समझता हूं कि लेबर कमिश्नर को उन्होंने कुछ लिखकर दिया हो, तो दिया हो। लेकिन मैं समझता हूं कि अभी तो यही निश्चय नहीं है कि यह स्ट्राइक होगी या नहीं, क्योंकि एक पार्टी वहां पर ऐसी है जो नहीं चाहती है कि ऐसी स्ट्राइक हो। जो मिल वहां पर बन्द हुई है, उसका कारण यह है कि कुछ मजदूर भाइयों में वहां पर कुछ झगड़ा हुआ। उनको जो आज्ञा दी गयी थी उसको उन्होंने नहीं माना और बावजूद इसके उन्होंने नोटिस लगाया....

श्री अध्यक्ष—प्रश्न केवल प्रस्ताव के लिये अनुमति देने न देने के बारे में है। अन्य वाकयात या फैक्ट्स जो होंगे उन पर तो प्रस्ताव पर अनुमति मिलने पर और विवाद की स्वीकृति सदन से प्राप्त होने के बाद प्रकाश डाला जा सकता है।

आचार्य जुगल किशोर—ऐसी परिस्थिति मालूम पड़ती है, जिससे यह मालूम होता है कि इसकी स्वीकृति न दी जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—अभी माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि उनको अभी तक सूचना नहीं मिली है। अगर उनके पास आज या कल को कोई स्ट्राइक की सूचना आजाय तो क्या वह इसको कल या परसों विवाद के लिये रख सकेंगे?

आचार्य जुगल किशोर—सूचना मिलने पर भी यह आवश्यक न होगा कि वहां पर हड़ताल हो। हो सकता है क्योंकि मेरा ऐसा ख्याल है कि शायद हड़ताल न हो और कुछ ऐसे वहां पर वर्ग हैं, मजदूरों में, जो यह चाहते हैं कि स्ट्राइक न हो और किसी तरह से समझौता हो जाय। मैं समझता हूं कोई रास्ता निकाला जायगा जिससे वहां पर स्ट्राइक न हो।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—जो कामरोको प्रस्ताव है उसमें केवल जो २ मई की हड़ताल की बात है क्या उसी पर जोर दिया है? और जहां तक जगन्नाथ मिल्स जी के कामरोको प्रस्ताव का संबंध है उसमें ज्यादा जोर २७०० मजदूरों की बेकारी पर है और मिल मालिकों द्वारा जो अंकुश लगाया जा रहा है उससे कपड़े की पैदावार में कमी होने की संभावना है। इस प्रकार इसके दो अंश हैं। तो २७०० मजदूरों की बेकारी के बारे में जो नोटिस वहां पर लगा हुआ है, क्या उसके संबंध में कल सूचना मंगा कर माननीय मंत्री जी विवाद करने के लिये तैयार हैं?

आचार्य जुगल किशोर—इस संबंध में मैं केवल इतना ही अर्ज करना चहता हूं कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूटस् एक्ट की धाराओं में यह व्यवस्था है कि अगर ऐसा प्रश्न पैदा होता है तो वह कंसीलियेशन बोर्ड अथवा एडजूडीकेशन बोर्ड के सामने जाता है और इस तरह से हड़ताल करना अनियमित भी है और कार्य में हानि पहुंचाता है।

श्री राजनारायण—अध्यक्ष महोदय, मैं जानकारी के लिये केवल एक मिनट चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने, 'हड़ताल' कहा है लेकिन वह हड़ताल न होकर 'प्ले आफ' है और उसका नोटिस दिया गया है।

श्री अध्यक्ष—जो सदस्य इस प्रस्ताव पर विवाद के लिये अनुमति देने के पक्ष में है वह कृपा करके अपने स्थान पर खड़े हो जायं।

(कुछ ठहर कर गिनती के बाद)

१९ की संख्या अनुमति देने के लिये काफी नहीं है, उसके लिये ३६ की आवश्यकता है। इसलिये सदन की अनुमति नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार इस संबंध में कोई वक्तव्य देने के लिये भी तैयार है?

श्री अध्यक्ष—(श्रम मंत्री से) जब आपको इस संबंध में जानकारी प्राप्त हो जाय तो क्या आप इस सबंध में कोई वक्तव्य इस सदन में देने की कृपा करेंगे ? क्योंकि अब दो तीन दिन ही रह गये है, इसलिए इस बीच में क्या आप कोई बक्तव्य दे सकेंगें या नहीं।

आचार्य जुगल किशोर—जी हां, २–३ दिन के अन्दर दे दूंगा।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, आप जो वक्तव्य देंगे उस पर विवाद का भी समय मिल सकेगा या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—जी नहीं। यह आप माननीय तिवारी जी से पूछिये।

श्री राजनारायण—वे तो विवाद चाहते हैं।

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वाइसचांसलर के कार्यकाल को बढ़ाने के सम्बन्ध में कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—एक और कामरोको प्रस्ताव श्री राजनारायण जी का है वह इस प्रकार है :–

"इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में वर्तमान वाइसचांसलर श्री ए० सी० बनर्जी के अवैधानिक ढंग पर वाइसचांसलर के पद पर बने रह कर काम करने से तमाम यूनिवर्सिटी के अध्यापकों व छात्रों में क्षोभ उत्पन्न हो गया है।

अतः वाइसचांसलर के गैर कानूनी काम करने से जो विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गयी है उस पर विचार करना अत्यन्त सामयिक तथा आवश्यक है। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिये सदन आज अपना कार्य स्थगित करता है।"

मैं इसकी इजाजत नहीं देता कि यह उपस्थित किया जाय। दूसरा यह विषय ऐसा भी है जो यूनिवर्सिटी की आंतरिक व्यवस्था से संबंध रखता है। जब तक इसका संबंध प्रत्यक्ष सरकार से न हो, तब तक इस पर विचार नहीं हो सकता।

श्री राजनारायण—इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो कामरोको प्रस्ताव दिया था उसमें इसके अतिरिक्त भी बात है। उस दिन जब माननीय शिक्षा मंत्री जी बोल रहे थे तो मैंने यह निवेदन किया था कि गवर्नर महोदय का इस ओर संकेत है कि वर्तमान वाइस चांसलर ही कंटीन्यू करें।

श्री अध्यक्ष—मैं इसकी इजाजत नहीं देता। आप जो कुछ कहना चाहें, लिख कर दें और नियमों के अनुसार दें। पिछले किस समय आपने क्या आपत्ति की थी उस संबंध में आप नियमों को देखें और फिर उनके अनुसार इस संबंध में आप प्रश्न उठायें।

श्री राजनारायण—इस संबंध में मैं विशेषाधिकार का प्रश्न उठाऊंगा और उसका आपको नोटिस देता हूं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय द्वारा श्री सीताराम शुक्ल पर लगाये गये आक्षेप का व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—श्रीमन्, गत २२ तारीख को श्री मदनमोहन उपाध्याय ने मुझ पर व्यक्तिगत आक्षेप किया था। उस वक्त मैं यहां था नहीं, बाद में आने पर मालूम हुआ।

श्री अध्यक्ष—आपने वह कार्यवाई पढ़ ली ?

श्री सीताराम शुक्ल—जी हां।

नोट—आक्षेपात्मक शब्द २२–३–५५ की कार्यवाही से श्री अध्यक्ष की आज्ञानुसार निकाल दिये गये।

श्री अध्यक्ष—तो आप व्यक्तिगत स्पष्टीकरण दे सकते हैं।

श्री सीताराम शुक्ल—श्रीमन्, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जिस किताब के बारे में आक्षेप किया गया है उसका नाम है "पंचवर्षीय योजना क्यों सफल बनायें"।

श्री अध्यक्ष—मैंने उनसे कहा और उन्होंने उसको वापस भी ले लिया था।

श्री सीताराम शुक्ल—आपके कहने से उन्होंने वापस तो ले लिया, लेकिन यह अखबार में छप चुका और मुझे एक्सप्लेन करने का मौका नहीं मिला। अगर आप आज्ञा दें तो मैं एक्सप्लेन कर दूं?

श्री अध्यक्ष—आप इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण दे दें लेकिन उनके ऊपर कोई आक्षेप न करें।

श्री सीताराम शुक्ल—श्रीमन्, मैं आक्षेप करने का आदी नहीं हूं, मैं तो मुखालिफ को जीतता हूं उसकी तारीफ करके। इस किताब को उन्होंने पढ़ा नहीं वर्ना मुखालिफत नहीं करते। सरकारी कर्मचारियों में भी विभिन्न राजनैतिक विचारधारा के लोग हैं और कानून से बचते हुये वे अपनी विचारधारा के राजनैतिक लोगों की सहायता करते हैं, गोकि कानूनन ऐसा नहीं होना चाहिये, मगर होता है।"

श्री अध्यक्ष—आप पूरी किताब न पढ़ें।

श्री सीताराम शुक्ल—इसको पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। इस किताब का नाम है "पंचवर्षीय योजना क्यों सफल बनायें"।

ऐटम बम परीक्षण से रेडियो एक्टिव परमाणुओं द्वारा उत्पन्न अधिक तापमान के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री का वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—मुख्य मंत्री जी, अपना वक्तव्य दें।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—हमने यथासंभव जांच पड़ताल की है। मिटिरियोलाजिकल सेंटर के रीजनल डायरेक्टर आवजरवेटरीज के डायरेक्टर जनरल और नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी के ऐडीशनल डायरेक्टर से भी हमने पूछताछ की।

ये अधिकारी इस विषय में एकमत है कि भारत में इस प्रकार के परीक्षण करने में समर्थ केवल डा० मेघनाथ साहा की संस्था, न्यूकलियर फिजिकल इंस्टीट्यूट ही है और इस संस्था ने वैसा कोई वक्तव्य नहीं दिया है जैसा कि श्री नेहरू ने दिया है। मिटिरियोलौजिकल विभाग रेडियो ऐक्टिव वर्षा का ही अध्ययन करता है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के फिजिक्स विभाग के प्रधान डा० बनर्जी का कहना है कि इलाहाबाद में ऐसा कोई साधन नहीं है जिसके आधार पर कोई व्यक्ति समाचार पत्रों में छपे विवरणों की पुष्टि कर सके।

यह भी देखा गया है कि रेडियो ऐक्टिविटी की तीव्रता में बराबर ह्रास होता है। जितनी ही प्रबल ऐक्टिविटी होती है उतनी ही तेजी से उसमें कमी होती है। अतः जहां तक 'हम विश्ववसनीय जानकारी के आधार पर कह सकते हैं, चिन्ता की कोई बात नहीं है'।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, क्या सरकार इस संबंध में जो कि सेंट्रल इनर्जी कमीशन बना है या डाक्टर भाभी जो कि चेयरमैन होने जा रहे हैं, इंटरनेशनल एटामिक कांफ्रेंस के, उनसे इस संबंध में जांच कराने की कृपा करेगी या उनकी भी राय इस संबंध में लेगी?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैं समझता हूं कि यह ऐसा सवाल है जिसकी तरफ उनका ध्यान खुद गया होगा। हमारा ऐसा कुछ ख्याल है कि शायद थोड़े दिनों में किसी ऐसे ही जरिये से कुछ और भी साधिकार वक्तव्य निकलेगा।

साप्ताहिक कार्यक्रम के सम्बन्ध में परिप्रश्न

श्री रामरागग त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि इस सप्ताह का कार्यक्रम क्या है?

श्री अध्यक्ष—यह चीज आप जरा बाद में पूछें। एक वक्तव्य और होने वाला है सहजनवां के संबंध में जो कि माननीय मंत्री जी ने वादा किया था।

महावीर जूट मिल्स, सहजनवा की तालाबन्दी के सम्बन्ध में श्रममंत्री का वक्तव्य

श्रममंत्री (आचार्य जुगल किशोर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इस संबंध में अपना वक्तव्य तैयार कर लिया है और इसे मैं इस सदन के सम्मुख प्रस्तुत करता हूं। पिछले कुछ वर्षों से महावीर जूट मिल्स, सहजनवा के मजदूरों और व्यवस्थापकों के संबंध बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। ३१ मार्च, १९५४ ई० को जूट मिल मजदूर संघ की ओर से विभिन्न वर्षों के बोनस, त्योहारों की छुट्टियों इत्यादि के संबंध में कुछ मांगें प्रस्तुत की गयी थी और नोटिस दिया गया था कि अगर यह पूरी नहीं की गयी, तो मजदूर हड़ताल कर देंगे। इस नोटिस के अनुसार मजदूरों ने १६ अप्रैल, १९५४ ई० को हड़ताल की। फलस्वरूप व्यवस्थापकों को तालाबन्दी की घोषणा करनी पड़ी। अन्त में ११ जुलाई, १९५४ को व्यवस्थापकों और यूनियन के बीच समझौता हो गया।

यह समझौता बहुत दिनों तक न चल सका। मजदूरों के विरुद्ध मिल के अन्दर व्यवस्थापकों की अनुमति बिना सभायें करने, मशीन बन्द रखने, उत्पादन संबंधी कार्यवाइयों में ढील देने, हिंसात्मक कार्यवाइयों करने के संबंध में शिकायतें की गयीं। जांच करने पर यह पता चला कि वास्तव में मजदूरों ने मिल के भीतर "स्टे इन स्ट्राइक" किया और काम में ढील "गो स्लो" डाली और मजदूर संघ द्वारा लगाये गये आरोपों में अधिक तथ्य नहीं था। प्रादेशिक संराधन अधिकारी "रीजनल कन्सीलियेशन आफिसर" ने मजदूरों को समझाया कि वे अपनी अनुचित कार्यवाइयां छोड़ दें और यदि उन को वास्तव में कोई शिकायत हो तो उसे संराधन बोर्ड "कन्सीलियेशन बोर्ड" के समक्ष प्रस्तुत करें। मजदूरों ने ऐसा नहीं माना और इस कारण स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। इसका नतीजा यह हुआ कि व्यवस्थापकों को १४ जनवरी, १९५५ को फिर तालाबन्दी की घोषणा करनी पड़ी। यह तालाबन्दी अब तक जारी है।

उस समय से मजदूर सभायें कर रहे हैं जिन में उन के नेतागण उत्तेजनात्मक भाषण देते हैं और मजदूरों को आश्वासन देते हैं कि व्यवस्थापकों को मिल फिर खोलने के लिये विवश होना पड़ेगा और यह भी धमकी देते हैं कि मजदूर बलपूर्वक मिल में घुस जायेंगे। परन्तु स्थिति शांतिमय है। इन परिस्थितियों में व्यवस्थापकों का विचार मिल चलाने का नहीं है और इसीलिये उन्होंने कच्चे जूट के स्टाक की पूर्ति नहीं की है। इस स्थिति का उत्तरदायित्व मुख्य रूप से मजदूरों और उन के नेताओं पर ही है और जब तक मजदूर अपना रवैया नहीं बदलते, सरकार इस मामले में कुछ भी करने में असमर्थ है।

साप्ताहिक कार्यक्रम की सूचना

श्री अध्यक्ष—मैं एक सूचना सदन को दे देना चाहता हूं कि इस सप्ताह सदन ३१ तारीख तक बैठेगा और उसके बाद वह अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित हो जायगा। अभी माननीय रामनारायण त्रिपाठी जी ने इस सप्ताह का कार्यक्रम पूछा है, इसलिये मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से चाहूंगा कि वह सदन को इस सप्ताह में कार्यक्रम जैसा हो वह बता दें।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तो बजट पास करना है और उसके बाद एप्रोप्रियेशन बिल सदन के सामने आयेगा। उसके बाद जहां तक मैं जानता हूं विरोधी दल के नेताओं और माननीय वित्त मंत्री से जो बातचीत हुई है उसके अनुसार निश्चय हुआ है कि कुछ बिल्स हैं जिनको सदन के सामने पेश करना है और उसके बाद और कोई खास कार्यक्रम नहीं मालूम होता और ३१ को हम उठ जायेंगे।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—अध्यक्ष महोदय, कुछ कमेटियों की रिपोर्ट्स विवाद के लिये थीं उनका क्या हुआ?

श्री अध्यक्ष—उसके बारे में मैंने तहकीकात की क्योंकि मैंने सदन में कहा था कि यह बैठक तभी समाप्त होगी जब सदन उन पर विचार कर चुकेगा। मैंने इस विषय में माननीय वित्त मंत्री से कहा था कि अगर सबकी राय हो जाय तो उस पर विवाद के लिये समय निश्चित हो जाय क्योंकि इसकी घोषणा यहां हो चुकी थी कि सदन के उठने के पूर्व विवाद होगा। लेकिन अब मुझे मालूम हुआ है कि बातचीत होकर यह तय हुआ है कि जब सदन फिर से बैठे तो प्रारम्भ में ही इन विषयों पर विचार हो जायगा और अब जल्दी जल्दी में उस पर कोई बहस नहीं होनी चाहिये। इसकी तहकीकात मैंने अपने दफ्तर द्वारा माननीय रामनारायण त्रिपाठी जी से करा ली और उन्होंने भी इस बात को स्वीकार कर लिया है कि ऐसी बात तय हो गई है। इसीलिये मैंने भी इसके लिये स्वीकृति दे दी थी।

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, १९५५

मन्त्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, १९५५ की प्रतिलिपि, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ है, मेज पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ७५–७८ पर)

उत्तर प्रदेश एसेंशियल सर्विसेज मेंटिनेंस (निरसन) विधेयक, १९५५

श्रम मंत्री (आचार्य जुगल किशोर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश एसेंशियल सर्विसेज मेंटिनेंस (निरसन) विधेयक १९५५ की प्रतिलिपि, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ है, मेज पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ७९ पर)

श्री अध्यक्ष—आज जो दो बिल्स रखे गये हैं वह तो रहेंगे ही और अगर कोई और भी होंगे, तो उसकी सूचना मैं सदन को बाद में दूंगा।

१९५५–५६ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान--विभिन्न अनुदानों पर विचारार्थ समय विभाजन

श्री अध्यक्ष—अब वित्तीय वर्ष, १९५५–५६ ई० के लिये आय-व्ययक में अनुदानों के लिये समय का विभाजन होगा।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—मेरा यह सुझाव है कि अनुदान संख्या—१९ तीन बजे तक रखा जाय, अनुदान संख्या—२० को साढ़े ४ बजे तक और बाकी आधा घंटा अनुदान संख्या—४१ के लिये रखा जाय।

नियोजन मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—मुझे तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अनुदान संख्या—१९ और २० एक साथ ले लिये जायं जिसमें मुझे एक ही दफा भाषण देना पड़े और समय भी कम लगे।

श्री अध्यक्ष—इसमें तरीका वही रहेगा जो उस रोज हुआ था। कटमोशन्स अलग-अलग लिये जायेंगे। आपका भाषण एक साथ ही होगा और आप दोनों को एक साथ ही पेश कर दें।

अनुदान संख्या १९—लेखा शीर्षक ३८—चिकित्सा तथा अनुदान संख्या २०—लेखा शीर्षक ३९—जन-स्वास्थ्य

†श्री चन्द्रभानु गुप्त—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १९—लेखा शीर्षक ३८—चिकित्सा के अन्तर्गत ३,०३,८४,२०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह भी प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २०—लेखा शीर्षक ३९—जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत १,४८,१६,४०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

अध्यक्ष महोदय, जो अनुदान मैंने अभी सदन के समक्ष उसकी स्वीकृति के लिये उपस्थित किये हैं उनका सम्बन्ध हमारे राष्ट्र के स्वास्थ्य के जीवन से है। कदाचित् यह सातवां या आठवां बजट है जिसे मैं स्वास्थ्य विभाग के तहत में इस सदन के समक्ष उपस्थित कर रहा हूं। प्रत्येक वर्ष जब मैंने इन अनुदानों को सदन के समक्ष उपस्थित किया है इस बात का प्रयास किया है कि उत्तरोत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य की समस्या को हल करने के लिये अधिक से अधिक धनराशि बजट के तहत में रखी जावे। वह आंकड़े इस बात के द्योतक हैं कि जो प्रत्येक वर्ष इस सदन के समक्ष आते रहे हैं कि मैंने इस प्रयास में कुछ सफलता प्राप्त की है। इस वर्ष के आंकड़े भी इस बात के द्योतक हैं। जो अनुदान की सदन के विचारार्थ उपस्थित कर रहा हूं उनकी तहत में पिछले वर्ष से करीब ५६ लाख रुपये की धनराशि अधिक रखी गई है और यदि हम उस धनराशि को भी जोड़ लें जो कि हमने स्वास्थ्य और जन-स्वास्थ्य विभाग की तहत में इमारतों के लिये दूसरी अनुदानों में रखे हैं तो ७७ लाख रुपये की अधिक रकम इस वर्ष के इस स्वास्थ्य और जन-स्वास्थ्य विभाग के अनुदानों में रखे गये हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया प्रत्येक वर्ष हमारी चेष्टा अपने प्रदेश में लोगों के जन-स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिये अधिक सफलता प्रदान करने की रही है। इस वर्ष तो हमने यह भी प्रयत्न किया है कि हम अधिक धनराशि ऐसे कार्यों में लगाने की चेष्टा करें, जिनका सम्बन्ध मनुष्य के शुरू के जीवन से आखिरी जीवन तक रहता है। यानी मनुष्य जब से जन्म लेता है वह सुविधायें और बाद में जब वह बड़ा हो जाता है तो उसके स्वास्थ्य की रक्षा के लिये उसको सुविधायें मिलती रहें। ये सुविधायें हमने अभी तक इन अनुदानों में दी हैं। सदन को भलीभांति ज्ञात है कि फाइव ईयर प्लान के अन्दर जो धनराशि स्वास्थ्य के तहत में हमने रखी है तो हमने उसको पूरा व्यय करने की चेष्टा की है। हमने ३ करोड़ ५६ लाख की रकम मेडिकल के तहत में और ३ करोड़ २२ लाख पब्लिक हेल्थ की तहत में रखा था। हमने अभी तक २ करोड़ ५२ लाख रुपये मेडिकल के तहत में व्यय कर लिया है और १ करोड़ २३ लाख रुपये पब्लिक हेल्थ के तहत में व्यय किया है। अभी चौथा वर्ष हमारे प्लान का चल रहा है और अगले वर्ष तक हम आशा करते हैं कि वह खर्चा और अधिक बढ़ेगा। हो सकता है कि हम प्लान की पूरी धनराशि को प्लान के समय में न व्यय कर पायें और उसका मुख्य कारण यह है कि प्रारम्भ में हमें डाक्टरों की कमी रही तथा नर्सेज और मिडवाइव्ज की बड़ी भारी कमी रही। सदन यह अच्छी तरह से जानता है कि ये

---

† वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आवश्यकतायें शीघ्रता से पूरी नहीं की जा सकती हैं लेकिन अब ये हमारी आवश्यकतायें पूरी हो गयी हैं। लखनऊ और आगरा मेडिकल कालेजों में जहां पहले १२५ लड़के शिक्षा प्राप्त करते थे, अब वहां पर २०० से अधिक लड़के शिक्षा प्राप्त करते हैं। इसी तरह से नर्सेज इत्यादि की भी शिक्षा की संख्या बढ़ा दी गयी है और अब हमें काफी तादाद डाक्टर्स और नर्सेज की मिलनी शुरू हो गयी है। इसलिये हम आशा करते हैं कि हम जितनी संस्थायें अब खोलते जायेंगे, हमें अधिकांश संख्या में डाक्टर्स और नर्सेज आवश्यकतानुसार मिलते जायेंगे।

अब जहां तक मेडिसिन का ताल्लुक है, हमारा दृष्टिकोण उत्तरोत्तर इसमें बदलता जाता है। हमारा दृष्टिकोण ही क्यों सारे संसार का दृष्टिकोण मेडिसिन के बारे में बदलता जाता है। मेडिसिन वह विज्ञान नहीं है कि चन्द आदमी ही लोगों का इलाज करें बल्कि मेडिसिन वह विज्ञान बन गया है कि वह एक सोशल साइन्स बन गया है जिसके तहत में , जब मनुष्य का जीवन प्रारम्भ होता है और जब तक वह संसार में रहता है, उसके कल्याण के लिये बहुत सी बातें सोचनी होती हैं। अब मनुष्य की समस्याओं का इस विज्ञान के तहत में फैसला करना चाहिये, यह आज हमारा दृष्टिकोण बनता जा रहा है। अब हमने इस बजट के तहत में इस दृष्टिकोण को रखते हुए जितनी ऐसी बातें करनी चाहिए उनकी चेष्टा की है जिससे लोग उस कार्य को प्रारम्भ कर दें जो कार्य मेडिसिन के तहत में और अपने प्रदेश और देश में होना चाहिये। हमने इस बजट में पहले इस बात की चेष्टा की है कि हम उन लोगों की तरफ अपना ध्यान दें जो कि हमारे इस समाज के लिये कलंक के टीके हैं यानी लेप्रोसी का रोग, टी० बी० का रोग और अपने बच्चों और माताओं के लिये उन सुविधाओं का देना जो कि अब तक वे पा नहीं रहे थे, इसलिये बजट में इन तीन चीजों पर काफी ध्यान दिया गया है। आपने देखा होगा कि हमने इस बजट के तहत में इस बात की कोशिश की है कि अपने यहां मैटरनिटी सेन्टर्स की स्थापना अधिक संख्या में करें। हमने अपने यहां ३ वर्ष पूर्व यह योजना की थी जिसमें निर्णय किया गया था कि ३०० सेन्टर्स अपने प्रदेश में स्थापित कर लेंगे। परन्तु अभी तक हम उस संख्या को पूरा नहीं कर पाये हैं, इस वर्ष वह संख्या पूरी हो जायेगी और उसका मुख्य उद्देश्य यही रहा है कि हम ट्रेन्ड नर्सेज की कमी, मिडवाइव्स की कमी, और हेल्थ विजिटर्स की कमी को पूरा कर सकें। वह संख्या जैसा कि मैंने कहा, उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। ३७१ मैटरनिटी सेन्टर्स इस वक्त प्रदेश में हैं और अगले वर्ष ६७ और मैटरनिटी सेन्टर्स स्थापित हो जायेंगे। इस तरह से हम अपनी माताओं के और बच्चों के स्वास्थ्य के लिये जो प्रबन्ध है उसमें सुधार ला सकेंगे और उनके स्वास्थ्य की रक्षा इस प्रकार से कर सकेंगे। मैंने पिछले वर्ष इस बात को सदन के समक्ष रखा था कि हम लखनऊ में चिल्डेरन अस्पताल बनायेंगे और वह अस्पताल बन रहा है। अगले वर्ष से वह अस्पताल चालू हो जायेगा। हम अगले वर्ष में इलाहाबाद में एक अस्पताल बच्चों के लिये बनाने जा रहे हैं, वह सरोजनी नायडू का स्मारक होगा और उसके तहत में अगले वर्ष के बजट में दो लाख ३९ हजार की रकम रखी है। इस वर्ष सप्लीमेंटरी ग्रान्ट के द्वारा हमने दो लाख ७० हजार रुपया इस संस्था को प्रदान किया है और हम आशा करते हैं कि इस संस्था के निर्माण कार्य के खर्च में ९ लाख रुपया लगेगा। केन्द्रीय सरकार ने इस निर्माण कार्य में सहायता प्रदान की है और कुछ रकम इस कार्य के लिये हमें केन्द्रीय सरकार से भी मिलेगी। हमने यह भी कोशिश की है कि माताओं को ऐसी अवस्था में जो बच्चा होने के पहले की अवस्था है, उसमें उनको दूध इत्यादि दिया जाय। हमने पहला प्रयास इस प्रदेश में ५ कबाल टाउन्स में और कुछ देहाती क्षेत्रों में किया है और अभी इस कार्य के लिये हमने बजट में दो लाख रुपये की रकम रखी है। हम चाहते हैं कि ऐसी स्त्रियों को, जो कि गर्भवती हों, बच्चा होने के तीन महीने पहले से उनके लिये दूध इत्यादि का प्रबन्ध किया जा सके और कबाल टाउन्स में तथा देहाती क्षेत्रों में

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

इस प्रकार की माताओं के लिये इस प्रकार से दूध देने का प्रबन्ध किया है। हम इस प्रकार का जो कार्य कर रहे हैं, यह तो हमारा पहला ही कार्य है, यह पहला ही प्रोजेक्ट है और अगले वर्ष से उत्तरोत्तर हम इसमें आगे बढ़ते जायेंगे। हमने इस प्रकार की भी चेष्टा की है कि विदेशों से गिफ्ट के रूप में हमारे यहां मिल्क आता है और जो अन्य प्रकार का दूध विदेशों से आता है, उसको मंगाने में काफी रुपया खर्च होता है, तो हमारी यह चेष्टा है कि इस प्रकार बाहर से दूध में जो रुपया खर्च होता है, वह अपने हिन्दुस्तान में ही रहे। वह कार्य हम थोड़े में ही आरम्भ कर रहे हैं और उस पर ३५ हजार की रकम व्यय करने जा रहे हैं और इस प्रकार से हमारी चेष्टा यह है कि बच्चों और माताओं के स्वास्थ्य की हम रक्षा कर सकें, बच्चों को खेलकूद के विभिन्न सामान प्राप्त हो सकें। हम जानते हैं कि हमारे यहां जो मृत्यु संख्या है उसमें जहां तक बच्चों की मृत्यु संख्या का सम्बन्ध है, वह अधिक है। करीब हजार व्यक्तियों के बीच में १२७ बच्चे अपने छुटपन में ही मर जाते हैं और ऐसी माताओं की संख्या जिनकी प्रसवकाल में ही मृत्यु हो जाती है। हजार में २० ऐसी हैं जिन का प्रसवकाल में ही देहान्त हो जाता है। मैं यह देखता हूं कि उनकी संख्या में अब कमी है। अगर हम यह चाहें कि यह मृत्यु संख्या कम हो तो वह तभी हो सकता है जब कि हम बच्चों को और माताओं को सुविधायें प्रदान करें, और इस प्रकार की सुविधायें प्रदान करें जो कि उन्हें अभी तक मिलती नहीं रही हैं। हमारे यहां प्रदेश में अभी तक बच्चों की देख-रेख के लिये एक स्कूल आफ हेल्थ सर्विसेज कार्य कर रहा है परन्तु जब से बच्चों की संख्या बढ़ गयी है और खास करके स्कूलों में आने वाले बच्चों की संख्या बढ़ती गयी, वह हेल्थ सर्विस के स्कूल अच्छी तरह से कार्य नहीं कर पा रहे हैं। उसके तहत में थोड़े से ही व्यक्ति सरकार की तरफ से नियुक्त हुए हैं और जब से इन स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती गयी है तो यह सम्भव नहीं प्रतीत हो रहा है कि थोड़े से आफिसर्स हमारे बच्चों के स्वास्थ्य की देख-रेख कर सकेंगे। इसलिये सरकार ने इस कार्य की जांच के लिये एक कमेटी नियुक्त कर रखी है जिसकी अध्यक्षता हमारे प्रदेश के ऐडीशनल डाइरेक्टर आफ एजूकेशन कर रहे हैं और वह इस कार्य पर विचार कर रहे हैं कि किस प्रकार से बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिये नये ढंग से प्रबन्ध हो सकता है जिससे कि बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा, जब कि वह स्कूल में पढ़ते हों, हो सके। इस वर्ष के बजट में हमने इस बात का भी प्रयास किया है कि हम हेल्थ सर्विसेज के लिये हेल्थ एक्सपर्ट्स को, यू० एन० ओ० की सहायता से कुछ जिलों में नियुक्त करें और उनके द्वारा स्वास्थ्य की देख-रेख करें। इसके लिये भी हमने इस बजट में धनराशि रक्खी है। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि इस प्रदेश की सरकार का ध्यान माताओं और बच्चों के स्वास्थ्य की तरफ अधिक मात्रा में जा रहा है। यह बजट इस बात का द्योतक है और इस बजट के आंकड़े इस बात के द्योतक हैं और यह भी ठीक है कि हमें इस कार्य में जल्दी करनी चाहिये, तेजी करनी चाहिये जिससे कि हम अपने छोटे-छोटे बच्चों के जीवन की रक्षा कर सकें।

जैसा कि मैंने अभी कहा इस बजट में हमने लेप्रोसी (कुष्ट रोग) जो कि समाज में एक कलंक है उसके निवारण के लिये कार्य प्रारम्भ करके इस साल के बजट में हमने देहरादून में इस विषय की स्टडी और ट्रीटमेंट के लिये, जो देहरादून में कुष्ट रोग आश्रम बना हुआ है और जिसे मिशन चला रही है, और अधिक व्यवस्था की है और उसके ऊपर अधिक धनराशि व्यय करने का निश्चय किया है। अगले वित्तीय वर्ष में हमने इस बात का निश्चय किया है कि हम बनारस में भी इसी प्रकार से स्टडी और ठीक ट्रीटमेंट के लिये लिप्रोसी के लिये धन व्यय करें। वहां पर एक कुष्ट रोगाश्रम बना हुआ है। हम उस कुष्ट रोग के आश्रम को इस कार्य के इस्तेमाल

के लिये ले रहे हैं। हमने अगले वित्तीय वर्ष में कोई ७५ हजार की धनराशि रक्खी है और अगले वर्ष के बजट में इस बात की चेष्टा की है कि बहराइच में जो लेप्रोसी आश्रम बना हुआ है, वहां बेड्स की संख्या बढ़ा कर १०० बेड्स हो जायं और इस तरह से उन क्षेत्रों के रहने वाले जो कुष्ट रोग से पीड़ित मजदूर हैं उनका इलाज ठीक तरह से हो सके। हमने इस बात की भी चेष्टा की है कि लखनऊ में जो कुष्ट रोग से पीड़ित लोग हैं उन्हें म्युनिसिपल बोर्ड द्वारा जो एक संस्था निर्मित होने जा रही है, कानपुर रोड पर सरोजिनी नगर के पास, वहां उनका इलाज हो और उसको हम इसके लिये कुछ धनराशि सरकार के कोष से दें और वह धनराशि २० हजार रुपये की है। हम चाहते हैं कि यहां का कुष्ट रोगी इसी स्थान पर रख दें और उन्हें खेती इत्यादि के कामों में लगाया जाय। वहां रहने इत्यादि के लिये काफी स्थान है। हमने यह भी कोशिश की है कि अगले वित्तीय वर्ष में मेरठ का कुष्ट रोग का आश्रम जो मिशन द्वारा चल रहा है उसका हम प्रान्तीयकरण कर लें और उसके लिये जो रकम हमे मिशन के लोगों को देनी है उसे भी हमने बजट में रख दिया है ताकि उसका प्रान्तीयकरण करके इस कुष्ट रोग के आश्रम को भी हम अपने तहत में चलायें। हमने लिप्रोसी के कुष्ट रोग का निवारण के लिये जो गोरखपुर जिले में कुष्ट रोगाश्रम है और टेहरी जिले में जो कुष्टाश्रम है उनकी जो ग्रान्ट्स हैं उनको बढ़ाया है और उन आश्रमों से हमने इस बात की आशा की है कि वे शीघ्रता से इस कुष्ट रोग के रोगियों को इस रोग से निवारण के लिये उन तमाम प्रयोगों को इस्तेमाल में लायें जो कि आधुनिक विज्ञान द्वारा प्राप्त हैं। हम जानते हैं कि आज सेल्फोन ड्रग्स हमारे बीच में ऐसी दवाइयां हैं जिनका इस्तेमाल इस रोग से पीड़ित व्यक्तियों के रोग को निवारण करने के लिये बहुत आवश्यक है। सेल्फोन ड्रग्स वगैरह उनको दी जायं जिससे इन रोगियों का यह रोग निवारण हो सके और यह रोग दूर किया जा सके। इसलिये प्रदेश की सरकार का ध्यान इस रोग को दूर करने के लिये, निवारण करने के लिये, इन अनुदानों की ओर गया है और हम आशा करते हैं कि उत्तरोत्तर और जिलों में भी इस रोग को अपने प्रदेश से निकालने के लिये प्रयास होते रहेंगे।

हमने क्षय रोग के मरीजों के लिये अगले वित्तीय वर्ष में ऐसा प्रबन्ध किया है कि उनके लिये प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर अधिक बेड्स की स्थापना हो जाय। यह कदाचित् पहला ही बजट है जिसमें एक वर्ष के अन्तर्गत हम २७६ बेड्स के स्थान प्रदेश में टी० बी० मरीजों के लिये बनाने जा रहे हैं और वे टी० बी० बेड्स बनने वाले हैं इलाहाबाद में, गोरखपुर में, कानपुर में, बस्ती में, गेठियां और फीरोजाबाद में। उनकी संख्या, जैसा कि मैंने बताया, २७६ होने वाली है। मैंने इस बात का भी प्रयत्न किया है कि अब जो क्षय रोग से पीड़ित व्यक्तियों का इलाज है वह सर्जिकल इलाज है, इसलिये अधिक मात्रा में इस प्रदेश में इस बात की आवश्यकता है कि हम इस प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में थीरोपिक सर्जरी का प्रबन्ध करें। इसका प्रबन्ध हमने प्रदेश में दो सेन्टर्स में किया है---एक फीरोजाबाद में और दूसरे देहरादून में। देहरादून में डाकपाथर में एक सेनेटोरियम है और फीरोजाबाद में हमने थोड़ी मात्रा में एक सेनेटोरियम में स्थान बनाया हुआ है और वित्तीय वर्ष में हम ७६ बेड्स और बढ़ाना चाहते हैं। तो हमने यह प्रबन्ध किया है कि जहां थीरोपिक सर्जरी से इलाज हो सकता है, वहां वह किया जाय। हमने यह भी प्रबन्ध किया है कि बुलन्दशहर में जो टी० बी० क्लिनिक था, उसका प्रान्तीयकरण किया जाय। जहां तक टी० बी० के रोग से लोगों को बचाने के प्रबन्ध का प्रश्न है, हमने बी० सी० जी० की टीमों की वित्तीय वर्ष में संख्या बढ़ाने का प्रयत्न किया है। इस तरह से प्रदेश में ११ टीमें हो जायंगी। वह ११ टीमें जगह जगह पर बी० सी० जी० के टीके लगा कर लोगों को क्षय रोग से बचाने का प्रबन्ध करेंगी। हमें यह पता है कि इन बी० सी० जी० की टीमों ने लखनऊ और

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

बनारस में बहुत अच्छा कार्य किया है और बहुत इंटसिव कार्य करके इन शहरों की रहने वाली आधी जनता को टीके लगाये हैं और आधी जनता को टीके लगा कर लोगों को उस रोग से बचाने का प्रबन्ध किया है, जिस रोग की मात्रा उत्तरोत्तर प्रदेश में बढ़ती जा रही है। वह क्यों बढ़ती जा रही है, उन कारणों की तरफ तो मैं इस बजट की बहस में इस समय नहीं जाऊंगा क्योंकि वह कारण हमारे रोजमर्रा के जीवन से सम्बन्ध रखते हैं, रोजमर्रा की जिन्दगी से सम्बन्ध रखते हैं। इस प्रकार के टेंशन की जिन्दगी, फिक्र की जिन्दगी, परेशानी की जिन्दगी हमारी होती जा रही है कि जिसकी मुझे इस सदन के सदस्यों को परिचय देने की आवश्यकता नहीं।

हमने इस बात का भी प्रयत्न किया है कि प्रदेश में अधिक संख्या में डिस्पेंसरीज और अस्पतालों की स्थापना हो। यहां ३०७ ऐलोपैथिक डिस्पेंसरीज और ५४७ आयुर्वेदिक और तिब की डिस्पेंसरीज स्थापित हो चुकी हैं। उत्तरोत्तर हमने प्रत्येक वर्ष में डिस्पेंसरीज की संख्या बढ़ाने का प्रयत्न किया है। चार, पांच वर्ष पहले हमने यह निर्णय किया था कि हर पांच मील के घेरे में हम प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर अस्पतालों का निर्माण कर देंगे। दुर्भाग्य से हमें उस योजना को स्थगित करना पड़ा और उस तेजी के साथ हम उस कार्य को नहीं चला सके। उसके कारणों का परिचय सदस्यों को भलीभांति है। मैं उनको दुहराऊंगा नहीं। इस वर्ष हम ३१ एलोपैथिक डिस्पेंसरीज, करीब ६ विभिन्न डिस्पेंसरीज खोलने जा रहे हैं और करीब ७ जो जिला बोर्ड डिस्पेंसरीज चला रहे थे और ११ मेन डिस्पेंसरीज जो चल रही थीं, हम उनका प्रान्तीयकरण करने जा रहे हैं। कुछ डिस्पेंसरीज हम पर्वतीय क्षेत्रों में भी स्थापित करने जा रहे हैं और इसी प्रकार उन डिस्पेंसरीज की संख्या में और अस्पतालों की संख्या में भी वृद्धि करने जा रहे हैं कि जिनकी प्रदेश में आवश्यकता है। हमारा ऐसा विश्वास है कि जब हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना बनेगी तो उस योजना पर स्वास्थ्य विभाग के तहत में हम अधिक रुपया व्यय कर सकेंगे। मुझे आशा है कि उसके तहत में हम आधुनिक साधन अपने अस्पतालों को दे सकेंगे और अधिक मात्रा में, कम से कम ३ गुना रुपया तो जो हम व्यय कर रहे हैं उसको तो व्यय ही कर सकेंगे। हमने इस बात की भी कोशिश की है कि प्रदेश में सरकारी अस्पतालों के निर्माण के लिये हमारे सरकारी कर्मचारी घूम फिर कर, भिक्षा मांग कर इन संस्थाओं को निर्मित करने की चेष्टा करें। और इस अगले वर्ष में अपने प्रदेश में कई इस प्रकार की संस्थायें बनाने जा रहे हैं। गाजियाबाद में एक अस्पताल बन ही रहा है। अगले वर्ष में हमने उसके लिये रेकरिंग धनराशि रखी है वह अस्पताल वहां की म्युनिसिपैलिटी के द्वारा और वहां के प्रमुख नागरिकों की सहायता के द्वारा बन रहा है। करीब साढ़े तीन लाख उन्होंने चन्दे के रूप में इकट्ठा किया है और उस चन्दे की मदद से गाजियाबाद में वह अस्पताल बनने वाला है। हम सहारनपुर में भी अगले वर्ष में एक अस्पताल बनाने जा रहे हैं जिसमें वहां की जनता का रुपया है। ज्यादा रुपया वहां के नागरिकों ने चन्दे के रूप में दिया है। वहां के जिलाधीश ने उस चन्दे को इकट्ठा किया है और उन्होंने एक सराहनीय कार्य किया है। हम पडरौना में एक अस्पताल बनाने जा रहे हैं। जिस पडरौना के अस्पताल के लिये वहां के एक धनी व्यक्ति ने धन दिया है। इस अस्पताल के लिये हमने रुपया अगले अनुदान में रखा है जिससे यह अस्पताल जब बन जावे, सरकार के द्वारा संचालित किया जाय। हम बलरामपुर के अस्पताल में पोस्टवार कंस्ट्रक्शन फंड की मदद से एक अस्पताल आंखों का, एक वार्ड सरजरी के लिये खोलने जा रहे हैं और हमने बिजनौर और नैनीताल के डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को कुछ रकम उन अस्पतालों की कुछ इमारतों के निर्माण के लिये दी है जिनका प्रांतीयकरण हो गया है और जो अब अगले वर्ष से सरकार के द्वारा संचालित होंगे।

अगले वर्ष के बजट में हमने इस बात का प्रयत्न किया है कि जो ग्रांट मंत्री के तहत में रहा थ है डिस्क्रीशनरी ग्रांट, वह भी ५० हजार बढ़ा दी जाय। एक लाख रुपये की रकम जो रहती ती

वह नाकाफी थी बहुत से अस्पतालों की जरूरतों को देखते हुए और प्रदेश के उन अस्पतालों की जरूरतों को देखते हुए जो कि नानआफिशियल ऐजेंसीज के द्वारा संचालित किये जा रहे हैं हमने इस बात का भी प्रयत्न किया है कि अगले वर्ष के कम से कम प्रदेश के उन स्थानों में जहां नर्सिंग की व्यवस्था नहीं है, नर्सिंग की व्यवस्था बढ़ाई जाय। दो जिलों में नर्सिंग की व्यवस्था बढाने के लिये आगे कदम उठा रहे हैं और रामनगर में अस्पताल, जो बनारस जिले में है, वहां पर नर्सिंग की व्यवस्था ठीक तरह से नहीं चल रही थी उतनी संख्या नर्सेज की नहीं रखी गई थीं जितनी वहां पर बेड्स थीं तो अगले वर्ष हमने प्रबन्ध किया है कि वहां नर्सिंग की व्यवस्था पहले से अधिक बढ़ा दी जाय। अलावा इसके वहां नर्सेज को ट्रेन करने की व्यवस्था स्थापित की जाय। हमने जो एक महत्वपूर्ण बात अगले वर्ष के बजट में की है वह यह है कि देहातों में अस्पतालों के लिये जो दवाइयों के लिये रुपया अब तक व्यय होता था उसकी मात्रा कम थी। अक्सर जगहों से शिकायत आती थी कि साल के अन्दर अन्दर जो रकम दवाइयों के लिये इन्स्ट्रूमेंट्स के लिये रखी गई थी वह खत्म हो जाती थी और साल भर तक नहीं चलती थी। अक्सर लोगों से कहा जाता था कि वे अपने इलाज के लिये, अगर इलाज कराना चाहते हैं, तो दवाइयां बाजार से ले आवें। अगर आप इस बजट के आंकड़ों का अध्ययन करेंगे तो इसमें एक अद्भुत तरक्की की बात देखेंगे और वह यह कि इस वर्ष बजट हमने करीब १३ लाख रुपये की रकम दवाइयों और इंस्ट्रूमेंट्स के लिये पिछले वर्ष के बजट से ज्यादा रखी है। सन् १९५३-५४ में दवाइयों और इंस्ट्रूमेंट्स के लिये २१ लाख रुपया रखा गया था और सन् १९५४--५५ में साढ़े २२ लाख रुपया रखा था। परन्तु अगले वर्ष में हमने यह रकम ३५ लाख २० हजार रखी है। मैं यह जानता हूं कि यह रकम भी हमारी बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने वाली नहीं है, लेकिन सोचना यह है कि जब हमने ५० लाख की धनराशि अगले वर्ष के बजट में बढ़ाई है तो उसमें अगर हमने १३ लाख रुपया इस तरह का अधिक बढ़ा दिया है तो उससे अवश्य प्रदेश में देहातों के अस्पतालों की आवश्यकतायें पूरी हो सकेंगी, जिनमें बराबर कमी रहती थी।

हमने मरीजों की डाइट के लिये और वर्षों से करीब ढाई लाख रुपया अधिक रखा। अस्पतालों की हालत, उनकी इमारतों की हालत, जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, अब तक बहुत से स्थानों पर खराब रही है। उत्तरोत्तर हम इस बात की कोशिश करते रहे कि इन अस्पतालों की रिपेयर्स के लिये रुपया रखें और रुपया रखते भी रहे। लेकिन वह रकम प्रत्येक वर्ष कम ही रखी जाती रही है। इस वर्ष हमने उस रकम को बढ़ाया है और वह करीब साढ़े सात लाख रुपये के हो गई है, दोनों तीनों अनुदानों को विचार में रखते हुए, क्योंकि कुछ रकम तो पब्लिक हेल्थ के अनुदान में रखी गई है, कुछ डाइरेक्टली इन अनुदानों में रखी गई हैं जो कि इस सदन के विचारार्थ प्रस्तुत हैं। हमने इस बात की भी चेष्टा की है कि हमारे प्रदेश के वे शिक्षा संस्थायें जहां डाक्टरों के पढ़ाने के लिये इन्तजाम है वह उत्तरोत्तर तरक्की के मार्ग पर ले जायी जायं, उत्तरोत्तर उनमें अधिक से अधिक साधन मुहैया किये जायं और उनमें वे तमाम चीजें रखी जायं जो विदेशों में आधुनिक अस्पतालों में हमें देखने को मिलती हैं और इसीलिये हमने प्रत्येक वर्ष इन दोनों कालेजों के अनुदानों में वृद्धि की है और इस वर्ष भी हमने इनके अनुदानों को बढ़ाया है और इनकी जरूरतों को पूरा करने के लिये हमने चेष्टा की है और अगले वर्ष तक हम इन अस्पतालों में एक ऐसी चीज की व्यवस्था कर रहे हैं जिसे कि फिजियोथ्रेफी के नाम से पुकारा जाता है जिसमें इलाज का तरीका मालिश इत्यादि का होता है जो कि विदेशों में बड़े बड़े अस्पतालों में मौजूद है और उससे वहां इलाज किया जाता है। पिछले वर्ष जब मेरे सम्मानित मित्र आचार्य नरेन्द्र देव जी विदेश गये हुए थे तो उन्होंने वहां से मुझे एक पत्र लिखा था कि वे जिस रोग से पीड़ित हैं, उस रोग में वहां का इलाज फिजियोथ्रेफी से हो रहा है और उससे बहुत काफी फायदा पहुंच रहा है। उन्होंने मेरा ध्यान इस ओर भी आकर्षित कराया कि अपने अस्पतालों में भी और खासकर मेडिकल कालेज में इस तरह के इलाज की व्यवस्था करनी चाहिये। हमने उनके इस सुझाव को मानते हुए मेडिकल कालेज में उसका इन्तजाम करने का निर्णय किया और उसके लिये इस बजट में भी हमने रुपया रखा है। हमने इस

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

बात का भी प्रयत्न किया है कि हमारे प्रदेश में रहने वाले डाक्टर और इन संस्थाओं से निकलने वाले डाक्टर विदेश भेजे जा सकें और उन्हें उन आधुनिक पद्धतियों का ज्ञान कराया जावे जो कि आज विदेशों में प्रचलित हैं और जिनके कारण हमारे देश के बहुत से साधन सम्पन्न लोग अपना इलाज कराने के लिये विदेशों में जाते हैं। हमने इसके लिये यह तय किया है कि अगले वर्ष हम दो व्यक्तियों को इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने के लिये विदेश भेजें उसके लिये भी हमने इन अनुदानों में प्रबन्ध किया है। साथ ही अपने देश में भी कुछ ऐसे विषय हैं जिन विषयों की शिक्षा अपन प्रदेश में उस स्तर की नहीं होती जिस स्तर पर होनी चाहिये। अनेस्थिसिया का एक विषय है जिसकी शिक्षा की अपने प्रदेश में बड़ी कमी है। जब हमें इनकी नियुक्ति करनी पड़ती है तो हमें उचित संख्या में वह मिल नहीं पाते हैं। इसलिये हम चाहते हैं कि हमारे प्रदेश के इन डाक्टरों में से बम्बई में, जहां अनेस्थेइस्ट की शिक्षा के लिये उचित प्रबन्ध है, लोग भेजे जावें क्योंकि यह भी आज एक बहुत बड़ा विषय बन गया है रोगों के निदान के लिये। आज जो व्यक्ति दवा सुंघाते हैं मरीज के आपरेशन के समय वह एक बहुत बड़ा कार्य करते हैं, यह कोई मामूली कार्य नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे यहां अनेस्थिसिया के जानने वाले लोग ज्यादा संख्या में प्राप्त हो सकें, उनकी संख्या में वृद्धि की जावे।

हमारे यहां प्रदेश में एक ही मेंटल अस्पताल है और मेंटल केसेज की संख्या में वृद्धि उत्तरोत्तर होती जा रही है। पहले हमारा इरादा था कि हम एक और मेंटल अस्पताल की व्यवस्था करें किन्तु साधनों की कमी की वजह से हम इस पर विचार नहीं कर सके। लेकिन आगरे के मेंटल अस्पताल में ही मेंटल केसेज के बेड्स को बढ़ाने की व्यवस्था हमने की है क्योंकि आगरे में जो हमारा मेंटल अस्पताल है उसमें काफी ऐसे केसेज हैं जो वर्षों से चले आ रहे हैं और उनके लिये प्रदेश में और कोई प्रबन्ध नहीं है। उन्होंने काफी विस्तरे घेर रखे हैं। इसलिये अगले वर्षों में करीब ३६ बेड्स बढ़ाने का प्रबन्ध किया है और साथ ही आक्युपेशनल थिरैपी में भी उनको लगाने का प्रबन्ध किया है। बहुत से मेंटल केसेज जब वह शुरू में अच्छे हो जाते हैं तो वे काम में लगाये जा सकते है। वह खेती इत्यादि का छोटा मोटा काम कर सकते हैं, वह उद्योग धंधे भी छोटे मोटे कर सकते हैं। आगरे के अस्पताल के नजदीक हमने मेडिकल कालिज के लिये जो जमीन खरीदी थी वह खाली पड़ी हुई है। हम चाहते हैं कि उसमें आकुपेशनल थेरापी में ये लोग लगाये जायं और इसलिये उस जमीन को इस अस्पताल के प्रबन्ध में रख दिया है जिससे ऐसे मरीज जो काम में लगाये जा सकते हैं और जिनका मस्तिष्क ठीक नहीं हुआ है वे इस प्रकार की आकुपेशनल थेरापी में लगाये जा सकें और उद्योग धंधों में लगाकर उन्हें कोई कार्य दिया जा सके।

हमने जहां एलोपैथिक व्यवस्था को संभालने का प्रयत्न किया है और उसके सुभीतों को प्रदेश में रहने वाली जनता को देने का प्रबन्ध किया है, वहां हमने आयुर्वेद और तिब की व्यवस्था में सहायता करने के कार्य को भुलाया नहीं है। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, हमने लखनऊ में एक आयुर्वेदिक कालिज अस्पताल खोल दिया है और उसका कार्य प्रारम्भ हो गया है। उसके कार्य में भी कुछ दिक्कतें पैदा हुई जैसी कि शुरू में हर संस्था में पैदा होती है। लड़कों के लिये कोई छात्रावास का प्रबन्ध नहीं है, वह अगले वर्ष में बनाया जा रहा है और साथ में अभी तक वह व्यवस्था जो होनी चाहिये थी वह अभी तक नहीं हो पायी है। उसके कई कारण रहे हैं जिसका जिक्र मैं एक दो मर्तबा कर चुका हूं। मैं उनको दोहराना नहीं चाहता। हम आशा करते हैं कि यह अस्पताल अगले वर्ष से ठीक चलेगा और इसमें जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं आयुर्वेद की पढ़ाई के सिलसिले में वे अधिक संख्या में वहां पहुंचेंगे। इस तरह का ऐतराज था कि जो व्यक्ति इन संस्थाओं से पढ़ कर निकलेंगे उन्हें जब सरकार में नौकर रखा जायगा तो उनकी व्यवस्था क्या होगी। अभी तक हम वैद्यों को जो तनख्वाहें देते रहे हैं वह ७५ रुपये और १०० रुपये के बीच में रही है। यह रकम बहुत कम थी इसलिये सरकार ने इस वर्ष से यह निर्णय कर लिया है कि हम आयुर्वेद और तिब के ऐसे वैद्य और हकीमों की हम अपने सूबे में दो तरह की

सर्विस रखें। एक तो २०० से ४०० रुपये के गजटेड वैद्य और हकीम और दूसरे पी० एम० एस० टू के जिस तरह से ऐलोपैथिक वाले डाक्टर्स हुआ करते थे उस तरह के वैद्य रखे जायं और उनकी तनख्वाह १२० और २०० के बीच में रहे। यह एक ऐसा प्रगतिशील कदम है जो कदाचित् देश में किसी स्थान पर नहीं हुआ है। किसी प्रदेश में वैद्यों और हकीमों को दो सौ से चार सौ रुपये की तनख्वाह मिलने का प्रबन्ध नहीं किया गया और न उनके बीच में दो तरह की सर्विस की स्थापना की गयी है। जो विद्यार्थी अब इन संस्थाओं में जो कि सरकार की तरफ से चलायी जा रही हैं, पढ़ते हैं और जो बनारस विश्वविद्यालय में या अलीगढ़ के विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, उनकी पढ़ाई इस तरह से होगी कि वह पी० एम० एस० में लिये जा सकें। इस तरह से जो भेदभाव हकीम वैद्य और डाक्टर के बीच में था वह कम होता जायगा।

हमने, इसके अलावा अपने इस आयुर्वेद के अस्पताल के लिये इस बात का भी प्रबन्ध किया है कि हम उन अस्पतालों और कालिजेज के लिये भी अनुदान दें जो कि प्रदेश में आयुर्वेद और तिब की शिक्षा के लिये हैं और विभिन्न संस्थाओं द्वारा संचालित किये जा रहे हैं। अगले वर्ष के बजट में हमने ५०,००० रुपया बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी के आयुर्वेद कालिज के लिये देने का प्रबन्ध किया है और हमने जो धनराशि अलीगढ़ की यूनिवर्सिटी के तिब के कालिज थी उसको बढ़ाने का भी प्रबन्ध किया है। हमने झांसी में जो आयुर्वेद का कालिज चल रहा है उसकी धनराशि १३,००० की बढ़ाई है और यहां का जो मसीहुल मुल्क तिब का कालिज है उसकी धनराशि को भी बढ़ाया है। इसका एक ही मतलब है और वह यह है कि जो स्तर अब तक इन संस्थाओं का कम रहा है वह उत्तरोत्तर बढ़ता जाय। आधुनिक सज्जा इत्यादि इन अस्पतालों को प्रदान की जाय और आधुनिक सज्जाओं का प्रबन्ध हो जाने के बाद इसको इस तरह से संचालित किया जाय जिससे लोगों में कोई यह भावना न उत्पन्न हो कि ये लोग उस ज्ञान से दूर रहे हैं जोकि उन्हें प्राप्त होना चाहिये। कभी-कभी हमारे डाक्टर लोग हमें इस बात की दीक्षा देने लगते हैं कि इस प्रदेश की सरकार अपना रुपया नाहक ऐसी चीजों में व्यय कर रही है कि जो अवैज्ञानिक हैं। उनका कथन है कि आयुर्वेदिक तिब्बी और होम्योपैथी का जहां तक संबंध है, यह अवैज्ञानिक हैं और इनके ऊपर सरकारी धन व्यय नहीं होना चाहिये। यों तो मैं कोई वैज्ञानिक नहीं हूं और विज्ञान के नाम से न कोई राय ही उपस्थित कर सकता हूं, परन्तु यह कहने की धृष्टता करता हूं कि उनके बीच में बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो इस भावना से प्रेरित हैं कि हां, आयुर्वेद, तिब्बी और होम्योपैथी का भी हमारे मुल्क के जीवन में एक विशेष स्थान है। आज लाखों आदमियों का इलाज इन्हीं से होता है। ऐसे इलाज करने वाले व्यक्तियों को इन सुविधाओं से वंचित कर दिया जाय जो आधुनिक सुविधा प्राप्त होनी चाहिये, यह ठीक नहीं होगा। आज इसलिये मैं इस बहस में पड़ना नहीं चाहता हूं बल्कि मैं तो यह चाहता हूं कि यह तरीका इलाज सदियों से हमारे यहां चला आ रहा है, उन्हें आधुनिक बनाया जाय। मैं यह भी घोषित कर देना चाहता हूं कि मैं उन व्यक्तियों में से नहीं जो चाहते हैं कि इस विज्ञान के युग में पुरानी परम्पराओं को पृथक किया जाय, बल्कि मैं तो यह चाहता हूं कि इस विज्ञान के युग में इन परम्पराओं से अधिक से अधिक लाभ उठाया जाय, लेकिन उन्हें अधिक से अधिक वैज्ञानिक बनाया जाय और उन्हें अधिक से अधिक वैज्ञानिक बनाने के लिये हम धन व्यय करने के लिये तैयार हैं।

हमने इस बात की भी चेष्टा की है और इस प्रदेश में बहुत समय से यह मांग थी कि हमारे प्रदेश में एक अच्छा सा होम्योपैथिक कालेज भी हो। हमारे इस प्रदेश में लखनऊ में जो एक होम्योपैथिक कालेज वर्षों से चल रहा था उसके संबंध में हमने यह अनुभव किया कि यही एक ऐसा कालेज है जो बहुत वर्षों से हमारे प्रदेश में होम्योपैथी की शिक्षा प्रदान करता चला आ रहा है। अतएव इसका स्तर ऊंचा करने के लिये साधनों के मुहैया किये जाने की अत्यन्त आवश्यकता है। इसलिये अगले वर्ष से हमने इस कालेज के लिये ४०,००० रुपये की रकम देने का प्रबन्ध किया है और हम आशा करते हैं कि इस रकम के दिये जाने के बाद यह तरक्की करता जायगा और

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

सरकार भी उत्तरोत्तर इसकी मदद करन के लिये तैयार रहेगी। हमने होम्योपैथी का एक अस्पताल निर्माण करने के लिये इस बात की भी व्यवस्था की है कि मोतीलाल पार्क में इसी मोती लाल सोसाइटी के तहत में एक छोटा सा होम्योपैथी के अस्पताल की स्थापना की जाय।

हमने यह भी प्रबन्ध किया है कि हम अपने प्रदेश में उन मजदूरों के लिये जो मजदूरी करते हैं और जिन्हें हमारे अस्पतालों से कभी-कभी उस तरह की सहायता नहीं मिल पाती जिस तरह की सहायता के प्राप्त करने के लिये वह इच्छुक हैं। इस हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के तहत में हमने अधिक से अधिक सुविधा और सुभीता मजदूरों को प्रदान करने के लिये सन् १९५२ से कानपुर में हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के नाम से एक स्कीम चालू कर रखी है। उसके तहत में १३ डिस्पेंसरीज़ चल रही हैं। इनमें जो खर्चा होता है उसके संबंध में दवाओं की कमी अनुभव की जा रही है। इसलिये हमने दवाओं की संख्या को बढ़ाने के लिये और उनकी मात्रा को बढ़ाने के लिये इस साल ७५ हजार रुपये की एक धनराशि बजट में रखी है और हमने यह भी प्रबन्ध किया है कि यह स्कीम प्रदेश के अन्य स्थानों पर भी लागू की जाय। हमारा इरादा तो यह था कि अगले वर्ष हम अपने प्रदेश के कुछ अन्य स्थानों पर इस स्कीम को लागू करें, जैसे सहारनपुर, मोदीनगर, हाथरस, आगरा, लखनऊ, बनारस और इलाहाबाद परन्तु दुर्भाग्य से उतना रुपया हम नहीं रख सके हैं। इसलिये अब हमने यह निर्णय किया है कि इसको इस समय केवल प्रदेश के तीन स्थानों पर ही लागू करेंगे और इसके तेहत में सात डिस्पेंसरीज खोलेंगे। इस प्रकार इन तीन स्थानों पर इस स्कीम को लागू करके अपने प्रदेश के इन स्थानों के मजदूरों को सुभीता और सुविधा देने की चेष्टा करेंगे जो आधुनिक युग में इनको प्राप्त करने के हकदार हैं और हमारी उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने की पूरी जिम्मेदारी है।

प्रदेश में जो बहुत संक्रामक रोग फैले हुए थे हमने उनके रोकने का जो प्रबन्ध किया है उससे इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्यगण भली भांति परिचित हैं। अब हमारे यहां से प्लेग का रोग उठता चला जा रहा है और इसके केसेज सुनने का हमें बहुत ही कम अवसर मिलता है। सुनते भी नहीं हैं और उनकी सूचना भी हमारे पास नहीं है। जो हमारे चेंकिंग का आधुनिक प्रयास है और डी० डी० टी० का तरीका जो विभिन्न प्रकार का है, उससे यह रोग हमारे बीच से घटता जा रहा है।

इसी प्रकार से हैजे का रोग है। यह इस प्रदेश में हजारों की संख्या में लोगों को दुनिया से फना कर देता था। ऐसा कोई मेला नहीं होता था जिसमें हजारों की संख्या में लोग इस रोग से ग्रसित न होते हों परन्तु क्या इस प्रदेश में इस रोग से ग्रसित लोगों की संख्या में वृद्धि होते हुए दिखाई देती है? क्या हम नहीं देखते हैं कि प्रतिदिन इसके रोगियों की संख्या घटती जाती है? हमने कम्पलसरी इनाकुलेशन करके इस व्यवस्था को उन क्षेत्रों में रख दिया है जिससे अब लोगों में यह रोग नहीं होता है। बड़े-बड़े मेले कुम्भ और अयोध्या में ऐसे होते थे जहां पर बहुत लोग इस रोग से ग्रसित हो जाया करते थे। सदन को इसकी सूचना है कि प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में लोगों को संसार से यह रोग बिदा कर देता था लेकिन आज हमारी इस नीति से, कम्पलसरी इनाकुलेशन की नीति से, यह रोग हमारे प्रदेश से हट गया है।

हमने प्रदेश में मलेरिया के रोग से ग्रसित लोगों की संख्या में बहुत कमी की है और ऐसे क्षेत्र जहां के रहने वाले लोग उन क्षेत्रों में रहकर रोजगार नहीं कर सकते थे और इस रोग से ग्रसित रहते थे और अपने उद्योग-धंधों से वंचित हो जाते थे अब उनके लिये यह मुमकिन कर दिया गया है कि वह अपने को उन उद्योग धंधों में लगा सकें। २२ जिलों में हमारा मलेरिया यूनिट कार्य कर रही हैं और डी० डी० टी० के जरिये से यह संभव हो गया है कि मलेरिया को हमारे प्रदेश में जो एक समस्या थी उसको हटा दिया जाय क्योंकि हम एसा अहसास करते हैं कि यह रोग हमारे लाखों भाइयों को उनके उद्योग-धंधों से वंचित कर देता है और उनको खेती से वंचित कर देता है। लाखों भाई इस रोग से ग्रसित हो जाते हैं और उनको उनके कारोबार से

वह दूर कर देता है । यदि हम अपने प्रदेश में कुछ कारोबार बढ़ाना चाहते हैं, उद्योग धंधों को बढ़ाना चाहते हैं और अपने देश को खेती में बढ़े हुए देखना चाहते हैं तो यह तभी संभव हो सकता है जब हम उन तमाम क्षेत्रों से इस रोग को दूर कर दें जहां पर इस रोग से ग्रसित व्यक्ति परेशानी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं । अब नजर के सामने यह दिखाई देता है कि हमने इस बात की चेष्टा की है और अगले साल के बजट में मलेरिया की रोकथाम करने के लिये डी० डी० टी० का इस्तेमाल करने के लिये अधिक धनराशि रखी गयी है, ताकि इससे लड़ाई लड़कर अपने प्रदेश से यह हटाया जा सके ।

हमने इस बात की भी चेष्टा की है कि अपने प्रदेश में एडल्ट्रेशन जो बढ़ता जाता है उसको रोका जाय । हमारे जो पब्लिक अनालिस्ट हैं उनके पास इतनी अधिक संख्या में केसेज पहुंचे हैं कि जिनकी वजह से वह पूरे काम को कर नहीं पाते हैं । हम चाहते हैं कि उनके यहां इस कार्य में वृद्धि हो और ज्यादा से ज्यादा कार्य करने के लिये और सुभीते से इस कार्य को चलाने के लिये उनके यहां अधिक नौकर हों । इसलिये अगले वर्ष से उनके यहां स्टाफ बढ़ाने का हमने प्रबन्ध किया है । करीब ४० हजार रुपये की रकम और उनके लिये हमने रखी है । पिछले वर्ष पब्लिक अनालिस्ट ने लिखा था कि उनके कार्यालय में व्यक्तियों की कमी है तो इस वर्ष हमने उनके लिये अधिक स्टाफ देने की व्यवस्था की है ताकि अधिक से अधिक जांच की जा सके । इससे यह होगा कि वह अधिक ध्यान उस तरफ दे सकेंगे ।

हमने इस बजट के तहत में इस बात की चेष्टा की है कि ऐसे मरीजों के लिये, ऐसे बूढ़ों के लिये जो अस्पताल में बैठ नहीं पाते हैं और अपनी घरेलू सुविधा भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उनके लिये कुछ ऐसे स्थान स्थापित किये जायं, जहां ऐसे बूढ़े रोगी रखे जा सकें और वहां पर उनकी देखरेख हो सके । अक्सर ऐसे केसेज़ हमारी नजर में आये हैं, जिनमें अस्पताल की अथारिटीज ने उनको रखने से इन्कार कर दिया है क्योंकि अस्पताल की अथारिटी उन मरीजों को ही रख सकती हैं जिनका रोग दूर किया जा सकता है । अस्पताल में बेड की कमी है । यदि ऐसे मरीज जिनका इलाज नहीं हो सकता है, जो ऐसे रोग से ग्रसित हैं जिसका इलाज नहीं है, यदि उनको अस्पताल में रहने दिया जाय और वह बेड्स घेर लें तो ऐसे मरीज, जिनका इलाज होना जरूरी है और जिनको जीवित किया जा सकता है, उनको स्थान नहीं मिल सकेगा । तो अक्सर हमारे अस्पताल की अथोरिटीज ऐसे मरीजों को नहीं लेती हैं और उनको सड़क पर पड़ा रहना पड़ता है क्योंकि वहां उनका प्रबंध नहीं हो पाता है । इसके लिये हम यह शुरूआत करने जा रहे हैं कि म्युनिसिपैलिटीज की मदद से ऐसे लोगों के लिये इनफरमिटीज खोली जायं और जिन मरीजों को मेडीकल कालेज में नहीं रक्खा जा सकता है, वह मरीज इनमें रक्खे जायं जिससे वे अपने जीवन के अन्तिम दिवसों को सुखपूर्वक व्यतीत कर सकें और सरकार से वे उस सुविधा को प्राप्त कर सकें जिसका उनको हक है ।

हमने हैल्थ ऐजूकेशन यानी स्वास्थ्य की समस्याओं की शिक्षा देने के लिये पांच जिलों में इस बात का प्रबंध किया है कि अगले वित्तीय वर्षों में हम हैल्थ ऐजूकेशन लोगों को दें। इसके लिये हम यह भी चाहते हैं कि स्वास्थ्य की प्राब्लम्स (समस्याओं) को समझाने के लिये लखनऊ में एक एक्जीबीशन सी रहे जिससे उसको लोग और बच्चे देख सकें और अपने स्वास्थ्य की रक्षा का प्रबंध कर सकें।

मैंने थोड़े शब्दों मे बजट की बातों का दिग्दर्शन कराने की चेष्टा की है। मैं समझता हूं कि जो कुछ हमने अगले बजट में रक्खा है वह प्रदेश की आवश्यकताओं को पूरी करने में समर्थ नहीं हो सकता क्योंकि हमारा प्रदेश बहुत लंबा चौड़ा प्रदेश है तथा यहां की जनसंख्या और बढ़ती हुई समस्याओ को देखते हुए जो रकम इस कार्य के लिये रक्खी है वह प्रदेश की आवश्यकताओं को देखते हुए नाकाफी है । ताहम जिस समाज की रचना हम करना चाहते हैं, जिसमे चीजो का समाजीकरण होगा, जिसमे सामाजिक रूप से लोगों की आवश्यकताओं को देखा जायगा और

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

लोगो के दुःख दर्द को मिटाने की चेष्टा की जायगी, उसकी तरफ हमने एक कदम रखा है। ऐसा करने में आज इस बात की आवश्यकता है कि प्रदेश के रहने वालों का सहयोग और सहायता हमें प्राप्त होती रहे, क्योंकि अभी इस बात की अवश्यकता है कि अगर हम स्वास्थ्य की समस्याओं का निराकरण चाहते हैं तो जिस प्रकार से आज तक हमें लोगों से चेरिटी और सहायता मिलती रही है उत्तरोत्तर उसी प्रकार से आगे भी मिलती रहनी चाहिये। इस बात की हमें आशा है और हमें विश्वास कि अगले वर्षो मे भी वह सहयोग और सहायता हमें प्राप्त होती रहेगी।

मैंने जितना अनुदान सदन के समक्ष उपस्थित किया है यद्यपि वह स्थास्थ्य के कामों से भरा हुआ हैं और उसके द्वारा हम लोगों की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को पूरी करना चाहते हैं, फिर भी हम यह नहीं कह सकते कि यह अनुदान उन सब आवश्यकताओं को पूरा कर देगा, जिसकी आवश्यकता लोगों को है, ताहम इसके दूवारा हमने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निराकरण करने प्रयास किया है और में आशा करता हूं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के आरंभ में हम लोगों को और भी अधिक सुविधाये प्रदान कर सकेगे और प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिये उन कार्यो की पूर्ति कर सकेगे जिनकी पूर्ति करने में अब तक हम असमर्थ रहे हैं। मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यद्यपि इस बजट में खामियां हैं, कमजोरियां हैं तथा वह कमजोरियां और खामियां ऐसी हैं जिनको साधनो की कमी के कारण हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी इन कमियों और कमजोरियों के होते हुए भी हमारा उत्तरोत्तर यह प्रयास रहेगा कि इन कमियों और कमजोरियों को दूर करें और उनके दूर करने में लोगों की सहायता और सहयोग भी हमे मिलता रहेगा और इसी सहयोग और सहायता के तहत हम अपने प्रदेश को ऐसा बनाने की चेष्टा करेंगे जिसमें न रोग रहेगा और न गरीबी रहेगी और उसके द्वारा हमारी वह समाजवादी व्यवथा कायम हो सकेगी जिसके निर्माण करने का हम भरसक प्रयत्न कर रहे हैं।

मैं अपने उन कर्मचारियों तथा अधिकारियों जिन्होंने इस विभाग के तहत कार्य किया है, डाक्टर अथवा दूसरे अधिकारियो, जिन्होंने सेवा का कार्य किया है, उन सबको धन्यवाद देता हूं और इसके साथ में अपने बजट भाषण को समाप्त करता हूं तथा आशा करता हूं कि उन लोगो से आगे भी उत्तरोत्तर वही सहयोग और सहायता मिलती रहेगी जो अब तक मिलता रहा है तथा जिनके सहयोग से हम इस कार्य को संचालन करने में समर्थ रहे हैं। इन शब्दों के साथ में इस अनुदान को सदन के समक्ष विचारार्थ उपस्थित करता हूं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)--माननीय अध्यक्ष महोदय, म आपकी आज्ञा से अनुदान संख्या १९ और २० दोनों में एक-एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं। अध्यक्ष महोदय, समय की जरा मेरे लिए कृपा कीजिये।

श्री अध्यक्ष--२० मिनट दे दूंगा आपको।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह किसी भी स्वतंत्र देश के लिए और खासकर ऐसा देश जो अब तक लोककल्याणकारी राज्य रहा हो और अब समाजवादी नमूने का भी बन गया हो, ऐसे राज्य में तो यह बहुत ही आवश्यक है कि प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य और चिकित्सा की पूरी जिम्मेदारी सरकार पर हो। मैं जनता के सहयोग को उससे दूर नहीं रखना चाहता हूं, लेकिन आप तो इसके विशेषज्ञ हैं और कई कमेटियों के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, इसको जानते ही हैं कि जनता में, आम पब्लिक में तभी उत्साह हो सकता है, जब सरकार अपना केन्द्र बिन्दु बना कर काम करे। इस दृष्टिकोण से इस साल के बजट पर विचार करता हूं तो थोड़ी खुशी अवश्य होती है कि इस साल कई नयी बातें की गयी हैं। मुझे तो, अध्यक्ष महोदय, यह निराशा सी हो गयी कि जिस तरह से सूरज और चन्द्र को ग्रहण लगता है, उसी तरह से इस विभाग को भी ग्रहण लगता चला जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं कोई कपोल कल्पना की बात नहीं कहता हूं। अगर आप सन् १९५२ की रिपोर्ट जो इस विभाग की

हैं, देखें, तो उसमें माननीय मन्त्री जी ने स्वीकार किया है कि वे इस बात को महसूस करते हैं कि सिविल सप्लाई ऐन्ड फूड डिपार्टमेंट ऐसा डिपार्टमेंट है कि उसकी वजह से मैं चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग में कोई ज्यादा काम नहीं कर सका हूं। अब दो बड़े बड़े महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो माननीय मन्त्री जी ने और ले लिये हैं—उद्योग और प्लानिंग का। तो ऐसी हालत में अब तक वह विभाग उपेक्षित होता रहा है। लेकिन इस साल के बजट से तो मालूम होता है कि ऐसा नहीं होगा। खास तौर से माननीय राज्यपाल के शब्दों में लोककल्याणकारी सरकार बचपन से तरुणावस्था में पहुंच चुकी है, इसलिए उसकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। इस दृष्टिकोण से इस बात की खुशी है कि सरकार ने एक नया कदम उठाया है। १८ अस्पतालों का प्रान्तीयकरण किया जा रहा है और भी कई इन्तजाम किये गये हैं, जिनके लिए इस साल के बजट में ज्यादा धन रखा गया है टी० बी० के बारे में भी जो कदम उठाया गया है, वह सराहनीय है। ९ साल के बाद सरकार का ध्यान अब कुष्ट रोग की तरफ भी गया है, जब कि अब तक इस प्रान्त के अन्दर गैर सरकारी संस्थायें ही इस कार्य को करती थीं। खैर, "देर आयद दुरुस्त आयद"। जो कुछ भी किया गया है, खुशी की बात है। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, जब हम उस दृष्टिकोण से जिसमें समाजवादी तो नहीं, समाजवादी नमूने की ही सरकार को कार्य करना चाहिए, उसका दिग्दर्शन कर सकते हैं उस दृष्टिकोण से अगर हम इस बजट के ऊपर विचार करते हैं तो हमें बहुत बड़ी निराशा होती है। जब कि समाजवादी नमूने की घोषणा कर दी गयी है तो हमारा यह फर्ज भी हो जाता है, क्योंकि जो जो बातें, अध्यक्ष महोदय, हम लोग किसी भी दिशा में कहते हैं, सरकार उसकी नकल कर लेती है। बाद में असफल होने लगी, तो उस से हम लोगों को भी बदनाम होने का डर है। समाजवादी पैटर्न की आड़ में हम लोगों को बदनाम करने की चेष्टा न की जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, अपने प्रान्त का मैं यह दुर्भाग्य ही समझता हूं कि ज्यों-ज्यों हमारा बजट बढ़ता जाता है त्यों-त्यों इस प्रदेश के स्वास्थ्य के मद के बजट का प्रतिशत कम होता जा रहा है। अगर आप आंकड़े देखें, तो सन् १९५३-५४ में प्रदेश के बजट का ६.५४ प्रतिशत प्रदेश में स्वास्थ्य और चिकित्सा पर खर्च हुआ, सन् ५४-५५ में ५.११ प्रतिशत और सन् ५५-५६ में ५.५२ प्रतिशत, इस तरह से सन् ५३-५४ के बजट से भी १.०२ प्रतिशत बजट इस साल कम है। तो इस तरह से हम कैसे मान सकते हैं कि स्वास्थ्य और चिकित्सा के बारे में सरकार सफलता प्राप्त कर रही है। इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकतीं कि हमारे प्रदेश की पुलिस पर स्वास्थ्य विभाग के धन का १५५ प्रतिशत खर्च होता है। यह तो और भी निराशा की बात है कि लोक कल्याणकारी राज्य में, और समाजवादी नमूने के राज्य में, पुलिस के ऊपर बजाय जनता के स्वास्थ्य और चिकित्सा पर खर्च करने के डेढ़ गुना खर्च हो। इस लिए जनता के स्वास्थ्य के ऊपर ही सरकार को ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आप तो कई कमेटियों के अध्यक्ष रह चुके हैं जिनमें पब्लिक हेल्थ और मेडिकल रिआर्गनाइजेशन कमेटी तथा आयुर्वेदिक चिकित्सा पुनर्संगठन कमेटी भी रही है, जिनके बड़े ही महत्वपूर्ण सुझाव हैं। मुझे तो यह कहने में भी हिचक नहीं है कि काफी प्रदेशों और इस देश के लिए भी ये ऐतिहासिक महत्व की रिपोर्ट है। लेकिन मुझे खेद है कि उन रिपोर्टों की ओर सरकार का ध्यान नहीं जाता। मेरी राय में हर वर्ष बजट बनाते समय माननीय मन्त्री और विभाग के कर्मचारी उन रिपोर्टों को रिफ्रेशर कोर्स के तौर पर पढ़ लिया करें तो उनके लिए ये रिपोर्ट बड़ी सहायक होंगी। जहां तक आयुर्वेदिक और यूनानी प्रणालियों के पुनः संगठन का सम्बन्ध है, उसमें सिफारिश की गयी थी कि दस साल में २७,०० अस्पताल यहां होने चाहिए लेकिन आज भी उन की तादाद १ हजार भी नहीं है और देहातों की ५,५०० से ज्यादा जनता आज भी एक अस्पताल पर निर्भर है। मैं समझता हूं कि उस दिशा में जो कदम उठाये गये हैं, वह पर्याप्त नहीं हैं। आप की कमेटी ने उस समय की वस्तु स्थिति पर ध्यान रख कर कहा था कि १४ आना प्रति मनुष्य पर ५ वर्षों तक खर्च किया जाय और उस समय आप ने आशा की

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

थी कि ऐसा हो सकेगा। सर जोजेफ भोर की अध्यक्षता में भी एक कमेटी बनी थी, वह एक विदेशी थे, और उन्होंने ने भी ५ साल के लिए ५८ करोड़ रुपया की सिफारिश की थी क्योंकि उन का दृष्टिकोण दूसरा था, क्योंकि इंग्लैन्ड में हर नागरिक का इलाज सरकार की तरफ से होता है। उन की सिफारिश को भी सरकार ने नहीं माना।

जहां तक आपकी कमेटी का सवाल है, सन् ४७ से सन् ५२ तक करीब ९ आना प्रति मनुष्य इस प्रदेश में खर्च हुआ और अब भी यह खर्च प्रति मनष्य प्रति वर्ष साढ़े १२ आने से अधिक नहीं है, जो करीब-करीब एक आदमी पर एक मास में १ आना का हिसाब बनता है। उस पर माननीय मन्त्री जी फख्र कर सकते हैं कि एक आना एक महीने में एक आदमी की चिकित्सा पर खर्च हो, और कहा जाय कि यहां लोक कल्याणकारी राज्य और समाजवादी व्यवस्था अपनायी जा रही है। मैं तो कहता हूं कि अगर ऐसा कहा जाय तो यह विडम्बना है और कुछ नहीं है। जिस समय आप ने रिपोर्ट पेश की थी और आप सभा सचिव थे, तो प्रदेश के और देश के तमाम आयुर्वेदिक और तिब्बी ज्ञान वालों के मन में बहुत बड़ी आशा का संचार हुआ था। लोग समझते थे कि उन रिपोर्टों पर कार्यवाही होगी। उस कमेटी ने सिफारिश की थी कि इन आयुर्वेद और यूनानी प्रणालियों के लिए एक विश्वविद्यालय बनना चाहिए और अगर वह न बन सके तो आगरा युनिवर्सिटी में उस के लिए एक अलग फैक्टरी खोल दी जाय और उसी से प्रदेश के तमाम आयुर्वेद और यूनानी कालेज सम्बन्धित कर दिये जायं, लेकिन उस पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। ९ साल के बाद खुदा-खुदा कर के कुफ्र टूटा कि आयुर्वेदिक कालेज खुला तो उस के प्रिंसिपल एलोपैथ रख दिये गये। आप को याद होगा कि पहले इन आयुर्वेदिक कालेजों को गैर सरकारी अनुदान मिला करता था, लेकिन अब तो बहुत से माननीय मन्त्री जी के विशेषज्ञ ही उस के विरोध में हैं।

आप को यह जानकर ताज्जुब होगा कि जो आयुर्वेद कालेज खोला गया है, उसको डाइरेक्टर आफ पब्लिक हेल्थ ऐन्ड मेडिकल सर्विसेज के अधीन कर दिया गया है, जो एलोपैथ हैं। मेरे पास तमाम शिकायतें आयीं और मुझे मालूम हुआ है कि यह जो विद्यार्थियों मे हड़ताल हुई, थी, उस में उन एलोपैथ प्रिंसिपल का हाथ था, हालांकि मैं इस का विश्वास नहीं करता और मुझे उम्मीद है कि यह बात गलत होगी। आप के डायरेक्टर ने ही एक कमेटी में कहा था कि अगर मैं होता तो ७५ रुपये प्रतिमास की तनख्वाह पर मैं इस विज्ञान को नहीं पढ़ता। मैं चाहता हूं कि यह बात गलत हो, लेकिन अगर ठीक है, तो सरकार को इधर तवज्जह करना जरूरी है। यह तो एक मजाक उड़ाने की बात मन्त्री जी ने कही थी कि एलोपैथ में और डाक्टरों में एक प्रोफेशनल जेलसी होती है। लेकिन माननीय मन्त्री जी को ध्यान देना चाहिए कि ऐसे भी कुछ आयुर्वेदिक कालेज हैं जो उस समय की सिफारिश के अनुसार चलते थे। और उनमें उस हिसाब से काफी प्रगति हो सकती थी, लेकिन मुझे मालूम हुआ है कि जो लोग उनसे सम्बद्ध हैं और आसानी से मन्त्री जी के पास पहुंच सकते हैं, उनकी शर्तें पूरी होती हों, या न होती हों, उन को इन्डियन मेडिशिन बोर्ड के निर्णय के विरुद्ध भी अनुदान मिल जाते हैं और किसी की पहुंच नहीं होती तो वह खत्म होते हैं। मैं मन्त्री जी से आप के द्वारा कहूंगा कि जितनी कृपा उन की इन आयुर्वेदिक और यूनानी प्रणालियों पर होनी चाहिए उतनी उनको अभी प्राप्त नहीं है। पहाड़ी इलाके में, उत्तराखंड में और देहरादून में दो आयुर्वेदिक कालेज थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब माननीय मैठाणी जी कांग्रेस में थे, तब तक तो उत्तराखंड आयुर्वेदिक कालेज को सात आठ हजार रुपया मिलता था, लेकिन जब से वे कांग्रेस से निकल गये तब से उसका सम्बन्ध विच्छेद हो गया। देहरादून की प्लानिंग कमेटी ने, प्रान्तीय कांग्रेस, कमेटी ने और वहां के म्युनिसिपल बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने, इन तमाम संस्थाओं ने इस बात की कोशिश की कि पहाड़ी इलाकों के देहरादून के आयुर्वेदिक कालेज की मदद तो सरकार को करनी चाहिए, लेकिन उसके लिए भी सम्बन्ध तोड़ने का आदेश पहुंच गया है, आज भी जो परीक्षार्थी परीक्षा उक्त कालेज से देना चाहते थे, लेकिन उनके फार्म नहीं लिये गये। तो ऐसी हालत में माननीय मन्त्री जी कैसे कह सकते हैं कि उनका ध्यान उस तरफ है?

अब मरने वालों की संख्या का प्रतिशत देखें। सन् १९५१ में २.७९ रोगी अस्पतालों में भर्ती होने वाले प्रतिशत मरे। ५२ में ३.७४ प्रतिशत मरे और सन् १९५३ में ३.४३ प्रतिशत मरे। एक तरफ तो जहां तक तरक्की है, वह होती जा रही है, वहां दूसरी तरफ अस्पतालों में जो रोगी भर्ती हैं, उनके मरने की संख्या बढ़ती जाती है। यह कोई इशारा है तो माननीय मन्त्री जी को इस से सबक लेना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, आपकी जो कमेटी थी उसने प्रदेश में ५ एलोपैथिक के मेडिकल कालेज खोलने की सिफारिश की थी, लेकिन आज तक भी दो ही मेडिकल कालेजेज हैं। और तीन अब भी बाकी हैं। आपकी कमेटी ने यह भी सिफारिश की थी कि मेन्टल अस्पताल खोले जायं और उसमें ५ हजार शय्यायें रखी जायं। लेकिन इस साल की कोशिशों के बावजूद भी ३६ शय्यायें बढ़ीं और इतने से कहना कि जितने पागल लोग प्रदेश में हैं उनकी समस्या हल हो गयी तो इस तरह बूंद-बूंद चलकर समस्या हल नहीं हो सकती है। आपकी कमेटी ने यह भी सिफारिश की थी कि एक राजकीय स्टेट फैकल्टी आयुर्वेद तथा यूनानी प्रणालियों की परीक्षाओं के लिए होनी चाहिए। कुछ वर्षों से जो आधुनिक विज्ञान बढ़ गया है, उसके अनुसार हमारा आयुर्वेदिक और तिब्बी का विज्ञान पूरा नहीं है; लेकिन उसके लिए सरकार का कर्तव्य था कि विश्वविद्यालय खोलने और अनुसंधान करने कि ओर कदम उठावे यही कमेटी का मतलब था।

कमेटी ने यह भी सिफारिश की थी कि ऐसे उपचारकों की संख्यायें बढ़ायी जायं जो एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और यूनानी एक साथ पढ़ावे और पर्चे भी इसी किस्म के होने चाहिए, लेकिन मैं यह जानना चाहूंगा कि सरकार की परफ से उस दिशा में क्या कार्यवाही हुई। आप की कमेटी ने यह सिफारिश की थी कि चिकत्सा और स्वास्थ्य विभाग का एकीकरण करना चाहिए। सन् १९५२ में जो भाषण माननीय मन्त्री जी ने मेरे कटौती के प्रस्ताव पर दिया था, वह यही था कि एक वर्ष के अन्दर इस समस्या को हल कर दूंगा। लेकिन मुझे नहीं पता है कि जिलों के स्तर पर एकीकरण हो गया या नहीं।

जहां तक प्रदेश की जनसंख्या की बात है, इधर दो तीन वर्ष के जो आंकड़े हैं, उन से यह बात ज्ञात होती है कि जन संख्या में बहुत वृद्धि तो नहीं हुई, लेकिन मैं यह जरूर जानना चाहता हूं कि परिवार नियोजन की दिशा में माननीय मन्त्री जी ने क्या कदम उठाये हैं। यों तो माननीय मन्त्री जी ब्रह्मचारी रहकर लोगों के सामने एक नमूना पेश करते हैं, लेकिन अब तो बहुत से उपमन्त्रियों और सभासचिवों के उनके साथ रहने के कारण से एक आदमी अवश्य इस काम क लिए रखना चाहिए कि जो बढ़ते हुए परिवारों को रोकने के लिए प्रयत्न करे, यह अत्यंत आवश्यक है। सन् १९५२ में उन्होंने अपने भाषण में यह भी कहा था कि हेल्थ एजुकेशन के सिलसिले में वे बहुत ही प्रगतिशील कदम उठाने वाले हैं और उन्होंने यह भी कहा था कि एक साल के अन्दर ऐसी पाठ्यपुस्तकें तैयार हो जायेंगी जो स्कूलों के अन्दर उच्च श्रेणी के विद्यार्थियों को भी पढ़ायी जाने लगेंगी। मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है क्योंकि यह कदम जरूरी है। इसके अतिरिक्त जो नाना प्रकार के रोगों में आज हमारे नवयुवक और नवयुवतियां फंस जाती हैं, इस सम्बन्ध में भी सरकार का कर्तव्य है कि वह कोई न कोई कदम उठावे।

जिला अस्पतालों के लिए दवाओं के सिलसिले में सरकार का ध्यान गया है और उनके लिए १३ लाख रुपये अधिक रखे गये हैं। इसकी हमें प्रसन्नता है। लेकिन यह १३ लाख रुपये इतने नगण्य हैं कि सरकार का इस तरफ और अधिक ध्यान जाना चाहिए। आज तक यह हालत थी कि जितना रुपया एक जिला अस्पताल को मिलता था, वह तीन, चार महीनों में समाप्त हो जाता था, और उसके बाद लोगों को केवल साधारण ही मिक्सचर मिला करते थे, जिसका कोई असर नहीं होता है, और लोग दूसरे डाक्टरों के पास जाने लगते हैं। तो इस को सुन कर प्रसन्नता अवश्य हुई है कि सरकार का ध्यान इस तरफ गया है, लेकिन बहुत देर में गया है।

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

जहां तक आंखों के अपतालों का सवाल है इस वक्त अलीगढ़ और सीतापुर के अस्पताल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस को माननीय मन्त्री जी भी जानते हैं। इस कार्य के लिए पहले यह प्रदेश दो हिस्सों बांमें टा था लेकिन इस रिपोर्ट को पढ़ने से मालूम हुआ कि अब ६ हिस्सों में बांट दिया गया है। मेरे पास शिकायतें आयी हैं और मुझे आशा है कि वह शिकायतें गलत हों, कि कुछ विशेष व्यक्तियों को कुछ जिले दे दिये गये हैं और किन-किन को वह रुपया दिया जाता है। यह भी बतला दें कि कितने उन व्यक्तियों के साथ हैं। आशा है इस सम्बन्ध में साधिकार यह घोषणा माननीय मन्त्री जी अपने भाषण में करेंगे। वैद्य और हकीमों की तनख्वाह के बारे में घोषणा की गयी है और उस का स्वागत किये बिना कोई नहीं रह सकता है। इस विभाग के पास बहुत काम होता है, लेकिन हम यह महसूस करते हैं कि आयुर्वेदिक और तिब्बी के संगठन के लिए और आफिसरों की जरूरत है जो कि जिले के स्तर पर इस की देखरेख कर सकें। यह सुनकर तो ताज्जुब हुआ कि ६ जिलों के वैद्यों के निरीक्षक एक डिस्ट्रिक्ट मेडिकल आफिसर आफ हेल्थ जो एलोपैथ हैं, रख दिये गये हैं। यह कितनी विचित्र व्यवस्था है। फिर इनके वेतन में आप ने कितना अन्तर रखा है। एक डिस्ट्रिक्ट मेडिकल आफिसर आफ हेल्थ ५०० से १,२०० रुपये तक वेतन पाता है और इन वैद्यों का वेतन आपने १२० रुपये से रखा है। हमारा कहना यह है कि यह बहुत ही नाकाफी है। मैंने जैसा इसका स्वागत किया है, लेकिन साथ ही मैंने यह कहा कि जो कदम सरकार को उठाने चाहिए थे, वे ९ साल के शासन के बाद भी नहीं उठाये गये हैं। मैं माननीय मन्त्री जी से यह कहना चाहता हूं कि देशी दवाइयों के प्रति यानी आयुर्वेदिक और यूनानी के प्रति वह सचेष्ट हों, उनके लिए बड़े पैमाने पर अनुसन्धानशालायें होनी चाहिए और पुरानी रिपोर्ट्स के अनुसार काम होना चाहिए ताकि हमारा प्रदेश अन्य प्रदेशों के सामने एक नमूना बन सके।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, जो कोई आदमी फेमिली प्लानिंग में विश्वास नहीं रखता हो, वह इस सदन में फेमिली प्लानिंग का प्रचार कर सकता है?

श्री अध्यक्ष—इससे दूसरों को फायदा तो हो सकता है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—माननीय मन्त्री जी ने शादी नहीं की है, उन्होंने एक अच्छा कार्य किया है, परन्तु माननीय उपाध्याय जी ने शादी करके भी बच्चे पैदा नहीं किये, उनको अधिक श्रेय मिलना चाहिए।

श्री सत्यसिंह राणा (जिला टेहरी गढ़वाल)—माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी देश या राष्ट्र की उन्नति उस पर मुन्हसिर है कि वहां के लोगों को कितना सुख है और कैसा उनका स्वास्थ्य है। श्रीमन्, खाद्य समस्या के साथ स्वास्थ्य का भी प्रमुख स्थान है और उस दिशा में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारी सरकार ने निरंतर कोशिश की है, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता है। सरकार ने पंच वर्षीय योजना में और आगामी योजना के अन्तर्गत काफी खर्च किया है और करेगी। इनके अलावा सरकार ने कितनी ही योजनायें बना रखी हैं हमें पूरी आशा है कि हमारे मन्त्री जी के तहत में ये योजनायें सफल हो सकेंगी।

मुझे चन्द बातें सुझाव के रूप में माननीय मन्त्री जी से कहनी हैं ताकि आज तक जो इस तजुर्बा इस क्षेत्र में हुआ है, उसके आधार पर अपनी भविष्य की योजनाओं को कार्यान्वित करते रहें। आज तक जो भी साधन स्वास्थ्य की दिशा में और चिकित्सा की दिशा में उपलब्ध हुए हैं, यह बिलकुल सत्य है कि अधिकतर नगरों में दिये गये हैं। और नगरों में ही जो बातें शुरू की जाती हैं उनकी कोई रूपरेखा यहां तक नहीं पहुंच पाती है। अगर नगरों तक ही हमारा भारतवर्ष या उत्तर प्रदेश सीमित है तब तो यह बात कुछ हद तक ठीक भी है लेकिन जैसा कि माना गया है कि अगर हमारा प्रदेश अधिकतर गांवों में ही रहता है तो सबसे पहला कदम सरकार को हमेशा गांवों

की तरफ उनके विकास और प्रगति की ओर बढ़ाना चाहिये। श्रीमन्, दूर देहातों में और पहाड़ी क्षेत्रों में जहां से मैं आ रहा हूं, वहां की समस्या को देखने के पश्चात् बिल्कुल सही तौर पर कह सकता हूं कि वहां पर कई मील तक कोई अस्पताल नहीं है। मुश्किल से ४०, ५० मील के फासले पर एक अस्पताल है जब कि सरकार की नीति यह है कि पांच मील से अधिक दूर कोई भी आदमी अपने उपचार के लिये न जाय। इसके साथ ही श्रीमन्, वहां पर न तो भवनों का निर्माण हो सका है जिनसे रोगियों के लिये कोई जगह नहीं मिलती, न वहां पर डाक्टरों का ही उचित प्रबन्ध हो पाता है। इसके अतिरिक्त वहां पर दवाइयों का भी अत्यन्त अभाव रहता है। इस प्रकार से डाक्टर के कार्य में किसी प्रकार की एफिसिएन्सी नहीं आ पाती है। कोई भी डाक्टर इन स्थानों पर जाने के लिये तैयार नहीं होता है।

सबसे बड़ी बात जो कि महसूस की गयी है, वह यह कि चिकित्सा के क्षेत्र में मशीनरी स्प्रिट ज्यादा है बजाय मिशनरी स्प्रिट के। यह डाक्टरों का काम ऐसा है कि यदि उनका स्तर ऊंचा हो तो उनके द्वारा देश और समाज की बहुत बड़ी सेवा हो सकती है। श्रीमन्, आजकल ऐसा देखा जाता है कि अस्पतालों में अमीरों के लिये तो दवा मिल जाती है, अमीर अच्छे से अच्छे वार्ड में दाखिला पा सकते हैं जब कि आज गांवों में दवा नहीं मिलती है जब कि वे अच्छे-अच्छे प्रकार की दवाइयां खरीद सकते हैं, इस प्रकार की दशा आप देहाती क्षेत्रों में अधिक पायेंगे कि जो लोग गरीब हैं, वे अक्सर बेमौत मर जाया करते हैं इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। सरकार ने जच्चा-बच्चा कल्याण के सम्बन्ध में काफी अच्छी योजना बनाई है लेकिन देहातों में अस्पतालों की कमी होने के कारण गरीबों को उपचार से वंचित रह जाना पड़ता है। मैं माननीय मंत्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि वह देहातों की ओर समुचा ध्यान दें ताकि गरीबों को निःशुल्क और सही उपचार मिल सके। श्रीमन्, यह सब बातें मैं अपने जिले टेहरी गढ़वाल के आधार पर कह रहा हूं। मैं इस बात को भली प्रकार जानता हूं कि माननीय मंत्री जी को वहां पर जाने का पिछले साल मौका मिला लेकिन वह केवल नरेन्द्रनगर तक ही गये और उसके लिये मैं माननीय मंत्री जी को यह बता देना चाहता हूं कि टेहरी गढ़वाल वहां से शुरू होता है उन्होंने वहां पर यह कहा था कि नरेन्द्रनगर अस्पताल के लिये नया एक्सरे प्लान्ट दिया जायेगा, लेकिन अभी तक उन्होंने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। इसके अलावा माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में कुष्ट आश्रम का भी जिक्र किया है। इस आश्रम के लिये उन्होंने ४० हजार रुपये देने का आश्वासन दिलाया था जिसका जिक्र बजट में भी है लेकिन कुछ कारणों से, हो सकता है फाइनेंशियल डिफीकल्टी के कारण इस वक्त केवल ५ हजार रुपया सरकार ने दिया है। इस मौके पर मैं केवल माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो उन्होंने आश्वासन दिया है, वह उसको अवश्य पूरा करेंगे। श्रीमन्, टेहरी गढ़वाल ४५ सौ वर्गमील में है लेकिन वहां पर केवल नगरों में चार अस्पताल हैं और उनकी भी हालत अच्छी नहीं है। यहां के अस्पतालों में दूर-दूर देहातों से लोग आते हैं, यह अस्पताल जो गांवों में हैं, उनकी दशा शोचनीय है तथा जिनसे लोगों को कुछ भी सुविधा उनसे नहीं मिल पाती है। उनकी इमारतें तक नहीं बनी हैं और अनुदान इस सरकार की ओर से हर साल स्वीकार किये जाते हैं और बजट में हर साल सामने आते हैं, लेकिन अभी तक भवन नहीं बन पाये। यदि वहां पर भवनों का निर्माण हो जायेगा तो उन स्थानों के लिये अच्छे डाक्टरों की प्राप्ति आसानी से हो सकती है।

श्रीमन्, और एक अजीब बीमारी वहां पर फैल गई है और वह यह कि वहां पर जिजर और टिंचर नाम की नशीली दवा बिकनी शुरू हो गई हैं। ऐसा कहा जाता है कि कानून के अन्तर्गत लाइसेंस प्राप्त व्यक्ति इसको बेंचते हैं और वे रोके नहीं जा सकते। वह व्यक्ति मिस्टर मित्तल नाम का है उस पर मुकदमे भी चले लेकिन कानून की रू से पकड़ा नहीं गया और इस व्यापार को वह तेजी से बढ़ाता चला जा रहा है। यह दुःख की बात है कि स्कूल के विद्यार्थी तक भी इस टिंचर कार्ड--या जो भी इसे पुकारते हों--के आदी हो गये हैं और अगर सरकार

[श्री सत्यसिंह राणा]

ने कोई क़दम नहीं उठाया तो वह सारे क्षेत्र में फैल जायगी और भयंकर बीमारी पैदा कर देगी। इसलिये सरकार को शीघ्रातिशीघ्र इसे खत्म करने की चेष्टा करनी चाहिये। गंगोत्तरी यमुनोत्तरी रूट्स हैं वहां पर कई हजार रुपये टट्टी बनाने के लिये दिया जाता है। बरेली से बांस और टाट मंगाया जाता है। मैं समझता हूं कि वहां पर पक्की टट्टियां बनाई जायं और जिस तरह से बद्रीनाथ-केदारनाथ लाइन पर सफाई के लिये काफी अनुदान दिया जाता है उसी तरह वहां भी सफाई का समुचित प्रबन्ध किय जाय।

मैं सरकार का ध्यान एक और बात की तरफ ले जाना चाहता हूं। वह यह कि हमारे जिले में अलीगढ़ से एक मोबाइल टीम आंखों की चिकित्सा के लिये आती है। नगरों तक ही उसका सम्पर्क रहता है। इसलिये कि देहातों को भी पूरा लाभ हो सके यह आवश्यक है कि नेत्र रोगी चिकित्सा के लिये वहां एक अस्पताल बनाने की योजना कार्यान्वित की जाय।

चकराता में एक विनरल डिजीज का अस्पताल है। उसके आसपास रमाई जौनपुर का इलाका है वहां भी यह बीमारी प्रचुर मात्रा में फैल रही है। लिहाजा वहां भी एक ऐसे अस्पताल की व्यवस्था की जाय।

मैं सरकार का ध्यान एक चीज की ओर और ले जाना चाहता हूं। जन स्वास्थ्य के लिये बद्रीनाथ टैम्पिल कमेटी के लिये ३ हजार रुपये का अनुदान दिया गया है जो मैं समझता हूं कि बहुत नाकाफी है। बद्रीनाथ टैम्पिल कमेटी वहां पर ६ हजार रुपया और सालाना खर्च करती है। सरकार को चाहिये कि जब वह वहां व्यवस्था करती है तो उस खर्चे को पूरे तौर से बर्दाश्त करे। मुझे अफसोस है कि चन्द रोज हुए इसी सदन में राज्यपाल महोदय के संशोधन के धन्यवाद के प्रस्ताव के सम्बन्ध में हमारे माननीय उपाध्याय जी ने बहुत सी ऐसी बातें इस सिलसिले में कहीं। मेरी जानकारी में वे आरोप सही नहीं थे। उन्होंने बद्रीनाथ जाने का कष्ट नहीं उठाया अगर वे वहां जाते और वहां की स्थिति को देखते तो ऐसी बातें न कहते। इस समय अवसर नहीं है कि जितनी बातें उन्होंने इस सदन में कहीं उनका जवाब दूं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--अध्यक्ष महोदय, प्वायन्ट आफ आर्डर में रेज करता हूं। राज्यपाल के भाषण सम्बन्धी धन्यवाद के प्रस्ताव के सिलसिले में जो कुछ कहा जा रहा है क्या मुझे भी उसका जवाब देने का मौका इस सदन में मिलेगा? मेरे बारे में जब बात कही जा रही है तो मुझे मौका मिलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष--कोई वैयक्तिक बात नहीं कह रहे हैं।

श्री सत्यसिंह राणा--मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जो बातें उन्होंने कहीं हैं उनको जांच कराई जाय और सरकार एक वक्तव्य दे। मैं बद्रीनाथ टैम्पिल के सम्बन्ध में यह अर्ज करना चाहता हूं कि वहां की व्यवस्था को सुचारु रूप से देखने के लिये सरकार खुद किसी व्यक्ति को वहां भेजे। अगर कोई वहां जायगा तो देखेगा कि कौन-कौन सी दिक्कतें कमेटी के सामने हैं और किन-किन बातों की वहां जरूरत है।

श्री अध्यक्ष--बद्रीनाथ कमेटी पर अधिक न कहिये और बजट पर ही भाषणकरिये।

श्री सत्यसिंह राणा--मैं और कुछ नहीं कहूंगा। मैं यही कहना चाहता हूं कि इंक्वायरी करा कर सरकार इस सदन में अपना स्टेटमेंट दे दे ताकि सब बातें साफ हो जायं। अपने जिले की बाबत दो एक बातें और कहना चाहता हूं। हमारे यहां मलेरिया निरोधक यूनिट्स काम नहीं कर रहे हैं। हमारे यहां कोई स्थानीय निकाय डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जैसी संस्था नहीं है और उसके न होने की दशा में मैंने देखा कि मलेरिया निरोधक यूनिट्स शहरों तक ही सीमित हैं। हमारे यहां वे यूनिट्स गये ही नहीं। सरकार ने भी स्वीकार किया है अपनी पुस्तिका में वहां छुट्टियों में काफी गर्मी रहती है और मलेरिया फैलता है लेकिन उसे देखने वाला कोई नहीं है। ऐसी यूनिट्स की प्लानिंग कमेटीज के मातहत ऐसी व्यवस्था की जाय ताकि डी० डी० टी० और जो अन्य साधन उपलब्ध हैं उन्हें वहीं जुटाया जा सके।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

डाक्टर ज़वाहरलाल रोहतगी (जिला कानपुर)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं कि जिस तरह से उन्होंने यह बजट तैयार किया है और जो हर चीज का ख्याल रखा है और हर शोबे में कुछ न कुछ रुपया बांट कर जिस तरह से काम चलाया है। इसमें शक नहीं कि पहले से इस हमारे स्टेट में स्वास्थ्य में बहुत फर्क हुआ है। हमारे यहां बवाई बीमारियां, एपेडिमिक्स बहुत कम हो गई हैं, उम्र कुछ बढ़ गई है और मौतें भी कम हो गई हैं। इसके लिये मंत्री जी और उनके साथी जो कार्यकर्ता हैं, सब बधाई के पात्र हैं और सभी को मैं बधाई देता हूं। इसमें शक नहीं कि इसमें पहले से खर्चा बढ़ गया है लेकिन मझे माफ किया जाय अगर मैं कहूं कि जितना होना चाहिये उतना अभी नहीं हुआ है। सन् १९४४-४५ में करीब ४ आने, ३ आना ९ पाई फी व्यक्ति खर्चा पड़ता था, अब वह बढ़ कर १२ आना जरूर हो गया है लेकिन जहाँ उस वक्त का बजट ३० करोड़ का होता था वहां आज इस साल का बजट ९१ करोड़ का है। तो बजट का कुल ५ परसेंट मुश्किल से पड़ता है। जब कि और देशों में २०, २५ परसेंट तंनदुरुस्ती और हल्थ पर खर्च होता है। भोर कमेटी ने बड़ा ख्याल करके यह कहा था कि कम से कम धन बजट का १५ परसेंट! इसमें खर्च होना चाहिये। कहां १५ परसेंट और अब जो खर्च हो रहा है वह है ५ परसेंट। तो इसमें बहुत गुंजायश है और बहुत जरूरत है कि इसमें और ज्यादा खर्च किया जाय।

सब से ज्यादा बधाई की पात्र तो मंत्री जी की वह स्पीच है जिसमें आपने कहा है कि अब यह महसूस किया जाता है कि यह इस सरकार का काम है कि वह सूबे की तन्दुरुस्ती को देखे और अब वह जमाना नहीं रहा कि लोग अपने पर्स से खर्च करें या लोग दवा का दाम अपने पास से दें। यह स्टेट तो लोक कल्याणकारी स्टेट है और उस हालत में तो स्टेट को ही हेल्थ के लिये खर्च करना पड़ेगा और उसका ख्याल करना पड़ेगा और स्टेट को ही बचपन से आखीर तक हेल्थ का ख्याल रखना होगा। इस बजट में हर शोबे का ख्याल रखा गया है, टी० बी० लेप्रोसी आदि आदि में रुपया देकर उसका कार्य बढ़ाया गया है। टी० बी० के सिलसिले में मुझे थोड़ी सी बात यह अर्ज करना है कि जैसे और इन्फर्मरीज का जिक्र किया है वैसे ही टी० बी० के लिये तो उनका होना बहुत जरूरी है। लखनऊ और भुआली में बहुत से ऐसे मरीज रहते हैं, अस्पताल में कि जिनको फायदा नहीं हो सकता लेकिन वह जगह घेरे रहते हैं अगर निकालते हैं तो सिफारिशें होती हैं, बदनामी होती है और अगर नहीं निकालते हैं तो दूसरों को नुकसान होता है। घरों में रहते हैं तो इंफेक्शन फैलता है तो सब से ज्यादा जरूरत इन्फर्मरीज की, मैं समझता हूं कि टी० बी० के लिये है। उनको चाहे आप इन्फर्मरीज कहिये या इन्क्योरेबिल होम्स कहिये, उसकी जरूरत है। मेरा ख्याल है कि ऐसी चीजें म्यूनिसिपल बोर्ड के लिये कम्पलसरी करदी जाय कि जिसमें यह हो सके। इसके अलावा जैसा कि अभी आपने कहा कि टी० बी० का इलाज ज्यादातर अब सर्जिकल हो गया है और इसमें जो आपरेशन होते हैं उसमें मरीज को खून देने की जरूरत होती है। तो इसके लिये ब्लड बैंकों को बढ़ाने की जरूरत है। ब्लड बैंक को ज्यादा बढ़ावा दिया जाना चाहिये। कानपुर में टी० बी० के मरीजों के लिये कुछ बेड्स बढ़े हैं लेकिन वहां टी० बी० सब से ज्यादा होती है और वहां थोड़े से बेड्स बढ़ाने से काम नहीं चलेगा। कानपुर में जरूरत यह है कि बड़े स्केल पर टी० बी० सेनेटोरियम बनाये जा सकें। मैं यह भी अर्ज कर दूं कि कानपुर में बच्चों के इलाज के लिये कोई जगह नहीं है। अभी हाल में बच्चोंकी जो बीमारी फैली थी तो जगह के

[डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी]

न होने की वजह से काफी परेशानी उठानी पड़ी और जगह ढूंढ़नी पड़ी तो कानपुर में बहुत जरूरत है कि चिल्डरन वार्ड बनाये जायं। कानपुर में आउट डोर पेशेन्ट डिपार्टमेंट है उसका हार्समैन अस्पताल में वह भी एक तरह से कलंक सा है उसमें अंधेरा रहता है हवा का इन्तजाम नहीं है और जब रोशनी नहीं रहती है तो मरीज का देखना ठीक तरह से मुश्किल हो जाता है तो उस तब्दीली की तरफ भी ख्याल किया जाय।

तीसरी बात मुझे यह बतानी थी कि पैथोलाजिकल लेबोरेट्रीज हमारे अस्पतालों में बहुत कम हैं खास कर बड़े-बड़े शहरों में ही हैं वह भी पुरानी ही है। तो जब पैथोलोजिकल लेबोरेटरीज अच्छी नहीं होती तो मरीज की तस्खीश ठीक नहीं हो सकती और इलाज भी ठीक नहीं हो सकता। इस बजट में मैंने कोई जगह नहीं देखी कि पैथोलोजिकल लेबोरेटरीज की तरफ सरकार ने ख्याल किया हो। लेबोरेटरीज को बढ़ाने की जरूरत है इसमें बहुत खर्च नहीं होगा उससे आमदनी भी होगी और होल टाइम डाक्टर वहां पर रखे जायंगे।

अब प्राइवेट प्रैक्टिस के बारे में मुझे यह कहना है कि अगर आप यह चाहते हैं कि अस्पतालों में जो गरीब आदमी जाते हैं उनका इलाज अच्छा और जल्दी हो सके तो प्राइवेट प्रैक्टिस आपके डाक्टर्स की जो है उसको धीरे-धीरे कम करना पड़ेगा। मेडिकल कालेज के जो प्रोफेसर्स हैं और अस्पतालों के जो सुपरिंटेंडेंट हैं उनकी प्राइवेट प्रैटिस बन्द करनी चाहिये। उनकी आप तनख्वाहें बढ़ायें और दुनिया भर की तथा और प्राविन्सेज की जो तनख्वाहें हैं उनको देख करके अपने यहां भी ज्यादा तनख्वाहें दीजिये और कम तनख्वाहें देकर जो प्राइवेट प्रैक्टिस अलाऊ करते हैं इसको बन्द कीजिये।

आपने पेक्लीनिक्स जो शुरू की थी वह कामयाब नहीं हुई उसकी वजह सिर्फ यही है कि आप प्राइवेट प्रैक्टिस एलाऊ करते हैं। इसी तरह से यह भी देखा जाता है कि डाक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस अलाऊ कराने की वजह से कभी-कभी पोस्टमार्टम में दूसरे दिन तक लाश पड़ी रहती है और साथ वाले आदमियों को पड़े रहना पड़ता है। सुबह अस्पताल में काम होता है फिर शाम को कुछ और काम आ गया और उसमें बड़ी देर लगती है।

मुझे सिविल सर्जन की पोस्ट के लिये भी कहना था कि जो आप अच्छे होशियार डाक्टर भेजते हैं जो दरअस्ल इलाज में काफी तजुर्बेकार हैं उनको इस कदर काम बाहर का हो जाता है कि जो वाकई में इलाज का उनका काम है उसके लिये बहुत कम टाइम मिलता है। कोई असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट या कोई इसी तरह का इन्तजाम हो सके कि जिससे सिविल सर्जन को प्रोफेशनल वर्क के लिये काफी समय मिले, वह आउट डोर में जा सके और जो सर्जिकल और मेडिकल तजुर्बा है उसमें काम कर सके तो अच्छा होगा। नहीं तो और जो काम होता है उसमें बहुत वक्त लग जाता है और वह प्रोफेशनल वर्क काफी नहीं कर सकते हैं।

आयुर्वेदिक के लिये मुझे यह कहना था कि जहां उनकी पे वग़ैरह जरूर बराबर रखनी चाहिये वहां उनका स्टैन्डर्ड भी कुछ अच्छा करना चाहिये। जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं उनका स्टैन्डर्ड अच्छा करना चाहिये। क्योंकि जो लोग लड़कों को पढ़ायेंगे उनका स्टैंडर्ड अवश्य अच्छा होना चाहिये। एक चीज और यह है कि इसमें रिसर्च की बड़ी जरूरत है। आयुर्वेदिक विभाग के लिए एक डिपार्टमेंट रिसर्च का होना बहुत आवश्यक है। जो हमारा पुराना तरीका है और जो दवाइयों का तरीका है, दोनों में रिसर्च की बड़ी जरूरत है। लेकिन हम रिसर्च में कम से कम रुपया पाते हैं जो कि इस वक्त है। तो इसमें बहुत काफी रुपया रखने की जरूरत है। दूसरी चीज एक और है कि दवाइयों को बनाने की जो इंडस्ट्री है, इस पर खास तौर से जोर देने

की जरूरत है ताकि दवाइयां जो आपकी हैं वह अच्छी तरह से बन सकें। आपके यहां Allopathic medicines के कारखाने इसके दो तीन ही हैं और बाकी सब छोटे-छोटे हैं जिनकी वजह से ज्यादा अच्छा काम नहीं हो सकता। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। एक बार फिर मैं कहता हूं कि Pharmaceutical Enquiry Committee की रिपोर्ट को अच्छी तरह से देखा जाय और कोई कमेटी बनायी जाय।

श्री बशीर अहमद हकीम (जिला सीतापुर)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी के लिए एक क़िता पेश करता हूं जो इन्हीं अनुदानों के सम्बन्ध में है। उसके बाद मैं थोड़े से शब्दों में कुछ और कहूंगा।

तरविक़यात व सेहत के चर्चे हों हरसू, गुप्ता तो हम भी मानें,
घरेलू सनअत की, देशी तिब की, जो सुन लो विपदा, तो हम भी मानें।
उम्मीदें सारी सिमट के "फाज़िल" बस एक मरकज़ पे आ गई हैं,
"रफ़ी" की ख़ाली जगह को भर दो जो सी० बी० गुप्ता तो हम भी मानें।

उपाध्यक्ष महोदय, जिस मेहनत के साथ चिकित्सा का और स्वास्थ्य का बजट कई सालों से तैयार किया जाता है और उसमें तो तरक्कियां हो रही हैं उससे किसी को इन्कार नहीं है। काफी मेहनत की जाती है और कोशिश की जाती है कि इस शोबे में ज्यादा से ज्यादा उन्नति हो। लेकिन मुझे निहायत अफसोस के साथ यह भी शिकायत करने का हक होता है कि हमारी देशी तिबें जिस हालत में इस वक्त हैं, जो मौजूदा सूरत उनकी है, वह काबिले रहम है।

मुझे इसका पता है, मैं जानता हूं कि इस तरफ काफी ध्यान दिया जाता है। लेकिन फिर भी यह शिकायत तो मुझे जरूर है कि जो इस सूबे में, या देश में, ४ किस्म की प्रणालियों से जनता की सेवा की जाती है, सेहत के मामले में, उनमें एक दूसरे के साथ जो बर्ताव किया जाता है वह कुछ मसावियाना नहीं है, बराबरी का नहीं है। जब अंग्रेज यहां था, हमें उससे शिकायत करने का न तो मौका ही मिलता था और न उसकी गुंजाइश ही थी, लेकिन आज आपकी सरकार है, हमारी सरकार है, जनता की सरकार है, इस देश के रहने वालों की सरकार है तो यहां की देशी तिबें जो यूनानी और आयुर्वेदिक कहलाती हैं उनकी तरफ पूरी तवज्जह होनी चाहिये।

मैंने बजट देखा, मुझे खुशी हुई कि तबीबों के लिये और वैद्यों के लिये कुछ बातें ऐसी रखी गयी हैं कि जिसे पसन्द किया जायगा लेकिन फिर भी अभी उसमें काफी खामियां हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहूंगा कि आपके यहां अभी जो कालिज खुला है उसमें जो सामान है आयुर्वेदिक तालीम के लिये वह नाकाफी है और इतनी सुस्ती से उसको चलाने की चेष्टा की जा रही है कि शायद बहुत मुद्दतों के बाद वह किसी अच्छी जगह पर जाकर पहुंचे। लेकिन उसके साथ ही साथ यूनानी तिब की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। तबीब पैदा किये जायं, कैसे पैदा किये जायं और जो कालिजेज यूनानी तिब के इस सूबे में चल रहें हैं उनकी क्या हालत है, वह कैसे चल रहे हैं, वहां से जो लड़के पढ़ के निकलते हैं उनकी सलाहियत क्या होती है किस किस्म का कोर्स वहां पढ़ाया जाता है, इन सब बातों की तरफ हमारी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है।

फिर उसी के साथ-साथ थोड़े दिनों के बाद एक अन्तर यह और आ जायगा कि आयुर्वेदिक कालिज के निकले हुए लड़कों को जगहें मिलेगी उनको तनख्वाहें ज्यादा मिलेंगी, उनको और सुविधायें ज्यादा मिलेंगी, लेकिन अभी इस सूबें में कोई ऐसा यूनानी कालिज नहीं है कि जहां के पास शुदा ग्रेजुएट उतनी तनख्वाहें पा सकें। इस ना-बराबरी को भी आपको बराबर करना है, उसे दूर करना है। और भी ऐसी ही चीजें हैं। आपने यूनानी डिस्पेंसरियों के लिये सहायक हकीमों का एक कायदा मुकर्रर किया है, लेकिन सहायक हकीम कहां से आयें, कहां से पैदा हों, आपने उसका कोई सामान नहीं किया। न कोई कालिज है, न कोई स्कूल है और यहां बरसों से तो एक छोटा मोटा स्कूल चल रहा था, उसे भी सरकार ने, चाहे किसी वजह से हो,

[श्री बशीर अहमद हकीम]

बन्द कर दिया। उसकी जगह पर दूसरा स्कूल न खोला गया और न उस जगह पर किसी कालिज या स्कूल को लाया गया कि जो इस वक्त चल रहे हैं। मैं सरकार का, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इसकी तरफ तवज्जह की जाय। इसके साथ ही साथ मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान अपने हल्के लहरपुर की तरफ दिलाना चाहता हूं जिसके १०० मील के एरिया में कोई शफाखाना महिलाओं के लिये नहीं है, जहां पर औरतों का, महिलाओं का बाकायदा इलाज हो सके। शफाखाने की बात तो जाने दीजिये मामूली किस्म की दाइयाँ तक नहीं मिलती हैं, मामूली किस्म का नर्सिंग का इन्तजाम भी नहीं है और जच्चा-बच्चा का भी कोई इंताजाम नहीं है जिससे वहां के रहने वालों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले जमाने से लहरपुर में एक शफाखाना खुला हुआ था महिलाओं के लिये, लेकिन वहां के दोनों डाक्टरों में किसी तरह का इख्तलाफ हुआ और उसकी बदौलत वह शफाखाना ही टूट गया। मैं माननीय मंत्री जी से अपील करूंगा कि इस शफाखाने को उसी तरह से जिस तरह कि महमूदाबाद का शफाखाना चलाया जा रहा है, इसको भी चलाने की कोशिश की जाय।

श्री प्रभुदयाल (जिला बस्ती)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खाद्य मंत्री महोदय ने आज सदन के समक्ष जो अनुदान प्रस्तुत किया है, उसके लिये मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। यह इतना सुन्दर बजट है जिसके लिये हम यह कह सकते हैं कि हम समाजवादी, कल्याणकारी राज्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने जो यह कदम उठाया है कि हम अपने प्रदेश के पांच मील की दूरी से ज्यादा ऐसा कोई स्थान नहीं रखेंगे जहां किसी की चिकित्सा न सकती हो, यह ऐसा प्रश्न है जिसके लिये हम कह सकते हैं कि हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान गरीबों की तरफ गया है, मजदूरों की तरफ गया और देहात की तरफ गया है। आप जानते हैं कि हमारे प्रदेश में आज अस्पतालों की कितनी बड़ी कमी है लेकिन बजट में केवल इतना ही रुपया रखना अधिक नहीं है जिससे अधिक से अधिक अस्पताल खोले जा सकें। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री जी ने पंचवर्षीय योजना के सिलसिले में जो अपना कदम उठाया है, उसके लिये वे भूरि-भूरि प्रशंसा के पात्र हैं कि इतने थोड़े से रुपये में उन्होंने इतना उपकार का काम किया है।

हम वर्षों से देखते आये हैं कि शहरों की तरफ ही अब तक काफी ध्यान उनका गया है। महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि देहातों की तरफ हम लोगों का ध्यान नहीं जाता है। इसलिये किसानों को, गरीब मजदूरों को और देहात में रहने वाले लोगों को आज कुनैन तक की गोली नहीं मिलती है। मैं ऐसे जिले से आया हूं जिसके संबंध में माननीय मंत्री जी को भी मालूम है कि वह बहुत पिछड़ा हुआ बस्ती जिला है। वहां की आबादी २४ लाख से भी अधिक है लेकिन वहां अस्पतालों की बहुत ही कमी है। इसकी तरफ उनका ध्यान गया है और उन्होंने अभी कहा है कि वह सर्वे करायेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे प्रदेश में कितने अस्पतालों की आवश्यकता है। लेकिन जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा है कि जितना रुपया बजट में रखना चाहिये था उतना नहीं रखा गया है। इसका दोष माननीय मंत्री जी का नहीं है हमारी आर्थिक कठिनाई कही जा सकती है।

हमारे केंद्र की स्वास्थ्य मंत्राणी श्री राजकुमारी अमृत कौर ने कहा है कि हमारा ध्यान देहातों की तरफ और गरीबों की तरफ गया है और हम बच्चों के लिये, स्त्रियों के लिये तथा आदमियों के लिये अधिक से अधिक अस्पताल खोलेंगे और इधर काफी ध्यान दिया जायगा। ऐसी हालत में हमारे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जी कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, ऐसी हमें पूर्ण आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है। स्वास्थ्य मंत्राणी जी ने कहा है कि हमें देश के कोने-कोने में चप्पे-चप्पे में जनता की स्वास्थ्य की दृष्टि से काम करना चाहिये। हमारी स्वास्थ्य मंत्राणी जी अभी रूस गई थी। मैं कोई कम्युनिस्ट की बात नहीं कह रहा हूं बल्कि उन्होंने कहा कि मुझे यह देख कर बड़ी प्रफुल्लता हुई कि रूस में स्वास्थ्य के ऊपर कितना अधिक ध्यान दिया जाता है। जैसे ही बम्बई में उतरीं उन्होने पत्रकारों से कहा कि रूस में जनता के स्वास्थ्य के ऊपर जो प्रबन्ध है उसे देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कोई। कम्युनिस्ट ख्याल से उन्होंने ऐसी बात नहीं कही, बल्कि

वह तो बड़े ही उदार विचार रखने वाली हैं। उन्होंने इसलिये उसका खयाल रखा और वह चाहती हैं कि हमारा देश भी आगे बढ़े। मैं कोई साम्यवादी देश का रहने वाला नहीं हूं। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी भी उसी तरह से प्रबन्ध करें। वहां एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ता है और बड़ी से बड़ी सेवायें लोग अपने लिये करा सकते हैं।

हमने अभी स्वास्थ्य मंत्री के भाषण में सुना कि यहां अब बच्चों के लिये, यहां स्त्रियों के लिये और कोढ़ियों के लिये अस्पतालों में अधिक रुपया खर्च किया जायगा। इस साल के बजट में उनके लिये अधिक रुपया रखा गया है और उन कोढ़ियों की तरफ निगाह गयी है। आप जानते हैं कि महात्मा गांधी ने सेवाग्राम में ही उनकी सेवा करने के लिये स्थान नियुक्त कर रखा था और वह वहां पर स्वयं उनकी सेवा किया करते थे। आज कोढ़ियों की सेवा करने के लिये हमारे इस देश में कोई तैयार नहीं होता है। हमारे देश में बाहर से लोग मिशनरीज आकर कोढ़ियों की सेवा करते हैं। इसलिये इन कोढ़ियों और अपाहिजों की तरफ सरकार का ध्यान जाना आवश्यक है, क्योंकि यह रोग इस प्रकार का है कि जो बड़ा क्लिष्ट है और लोग उससे घृणा करते हैं और इस प्रकार की भावना रखने वाला हमारा देश जाहिल है। यह महात्मा गांधी जी के विचार थे। इस कारण मेरा निवेदन है कि हमारे देश में केंद्रीय सरकार का ध्यान इन कोढ़ियों की तरफ जाना चाहिये। यहां पर उनकी सेवा विदेशी लोग करते हैं और उनसे हमको सबक लेना चाहिये कि कोढ़ियों की सेवा किस प्रकार की जानी चाहिये। आज जो स्वास्थ्य मंत्री महोदय ने कोढ़ियों के लिये अनुदान रखा है उसके लिये मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं, लेकिन मैं स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहता हूं कि इस प्रदेश के कोढ़ियों की ऐसी दशा है कि उनके लिये व्यापक अनुदान की आवश्यकता है और उसमें अधिक रुपया रखकर इस प्रदेश से इस घातक बीमारी को दूर करके महात्मा गांधी जी की इच्छा को पूरी करने की कृपा करें। हम चाहते हैं कि इस प्रदेश के कोढ़ियों को ऊपर उठाया जाय और इस प्रदेश में कोई कोढ़ी दिखाई न दे; तभी हम यह कह सकते हैं कि इस प्रदेश में सचमुच काम हुआ है।

बच्चों के लिये जो प्रयत्न किया जा रहा है वह भी सराहनीय है। बेचारे जो बचपन में ही भिन्न २ बीमारियों से बीमार हो जाते हैं फिर जीवन भर उनको यह बीमारी नहीं छोड़ती है। उनको इस प्रकार की सुविधा नहीं मिलती है जिससे उनकी बीमारी दूर हो जाय और वह दवा करा सकें। स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान इस प्रदेश के बच्चों की तरफ गया है। मैं इस ओर उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि गांवों के अन्दर बड़े बड़े स्वास्थ्य केंद्र बनाये जायं, क्योंकि गांव के लोग ही अधिक मेहनतकश होते हैं और वहीं से हमारा देश समृद्धि की ओर बढ़ता है। उनकी ओर हमको अधिक से अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है; इस ओर भी स्वास्थ्य मंत्री महोदय का ध्यान जाना चाहिये।

मैं बस्ती जिले की बात स्वास्थ्य मंत्री के सामने रखना चाहता हूं। वहां पर घेघा बीमारी इस प्रकार की है जो हर घर में आपको मिलेगी। वहां पर इस बीमारी का इतना जोर है कि बहुत अधिक संख्या में वहां पर लोग इससे पीड़ित हैं। इस बीमारी के लिये वहां पर प्रबन्ध करने की आवश्यकता है, जिससे लोगों को इससे छुटकारा मिल सके। मैं स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान फाइलेरिया की तरफ भी दिलाना चाहता हूं कि उस तरफ भी उनका ध्यान जाने की आवश्यकता है। यह बीमारी भी वहां पर लोगों को बहुत परेशान करती है।

बांसी तहसील में ५ लाख की आबादी है। वह बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है। वहां पर स्त्रियों की संख्या पुरुषों की अपेक्षा अधिक है, लेकिन वहां पर आज तक कोई भी अस्पताल स्त्रियों के लिये नहीं बनाया गया है। मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि-स्त्रियों के लिये एक अस्पताल वहां पर खुलवाने का कष्ट करें।

श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य और चिकित्सा की ओर जो काम हुआ है उसके लिये मैं अपनी सरकार का यदि कोई दूसरा मंत्री इस स्थान पर होता तो उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा करता क्योंकि जितने मंत्री यहां पर सरकारी कुर्सियों पर बैठते हैं उनके विभाग को जब मैं देखता हूं तो उनके विभाग मुझे कार्य की दृष्टि से शून्य मालूम होते हैं। यदि यह विभाग उनके हाथ में होता तो अच्छा काम कहा जाता, लेकिन गुप्ता जी जिनको मैं उत्तर प्रदेश का लोहपुरुष मानता हूं और यह मानता हूं कि गुप्ता जी जिस काम को उठाते हैं कोई ताकत नहीं है जो उसको रोक सके, वह इस काम को जितना मैं उम्मीद कर रहा था उतना नहीं कर सके। उसका कारण उनकी राजनीतिक पार्टीबन्दी का मोह है, अगर वह अपनी राजनीतिक पार्टीबन्दी में न फंसते तो मैं विश्वास नहीं करता कि जितना लोग कहते हैं उतना नहीं कर सकते थे, उतना वह करते। लेकिन राजनीति की पार्टीबन्दी ने उनके पैर में चाकी बांध दी है। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वे अपनी राजनीति को जरा अलग करें और प्रांत में जो भयंकर रोग रूपी शत्रु फैला हुआ है उससे लड़ाई करें, मैं विश्वास करता हूं कि वे उसे जीत लेंगे। वे इस तरह के आदमी हैं जैसे महाभारत में एक बार का किस्सा है कि अर्जुन से पूछा गया कि तुम क्या देख रहे हो। उन्होंने कहा कि कुछ नहीं देख रहा हूं मैं उस मछली की आंख देख रहा हूं जिसमें उन्हें निशाना लगाना था। गुप्ता जी भी उन्हीं आदमियों में से हैं इसलिये मैं जानता हूं कि वे ठीक से जिस काम को लेंगे उसको येन केन प्रकारेण पूरा करेंगे मगर उल्टा हो गया है। अगर वे सही पार्टी में होते तो किसी अदालत को उन पर रिमार्क करने की जरूरत न होती, उनकी तरफ कोई भी उंगली नहीं उठा सकता था और बड़ी सुविधा से वे उसको पूरा कर सकते। उनकी कार्य-शक्ति के बारे में तो मैंने बता दिया। अब मैं दो एक सुझाव देना चहता हूं। एक तो यही है कि पार्टीबन्दी से अलग रह कर इस काम को अंजाम दें।

एक सदस्य---अगर वे सोशलिस्ट पार्टी में आ जायं तो ?

श्री उमाशंकर---तो मैं चैलेंज दे सकता हूं कि उन पर कोई उंगली नहीं उठा सकता।

दूसरा सुझाव यह है कि आज अस्पतालों में मामूली दवाइयां भी नहीं है। उनके बारे में लोग शिकायत कम करते हैं क्योंकि अधिकतर लोग डाक्टरों और वैद्यों से झगड़ा कम करना चाहते हैं। अभी तक रूई, पट्टी और रोजमर्रा की दवाओं टिंचर इत्यादि के लिये कम रुपया दिया जाता है। इसके लिये काफी रुपया दिया जाय। बाकी इसके अलावा रुपये में से और दवाइयां रक्खी जायं। जो जरूरी रोज की चीजें हैं वह ज्यादा रक्खी जायं, जिससे डाक्टरों को यह मौका न मिले कि वह कहें कि रूई, पट्टी इत्यादि बाजार से खरीद लाओ। देहात के बाजारों में ऐसी चीजें नहीं मिलती हैं।

दूसरे आयुर्वेदिक औषधालय को रोगी ही नहीं सरकारी कर्मचारी भी अच्छी नजर से नहीं देखते। इसलिये हम चाहते हैं कि उनकी ओर अधिक ध्यान दिया जाय, उनको अच्छी दवाइयां दी जायं। अटरम पटरम दवाइयां दे दी जाती हैं इसलिये लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। अब तो सरकार ने एक कारखाना भी इसके लिये खोल दिया है। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वे महीने में एक बार खुद जाकर उसका मुआयना किया करें। मैं जानता हूं कि वे दवाओं के बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन उनके जाने मात्र से अच्छी से अच्छी दवाइयां बनने लगेंगी।

इसके अलावा मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि हमारे सूबे में ऐसी संस्थायें हैं जो बोगस सर्टिफिकेट्स देती हैं। बुन्देलखंड आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी एक ऐसी संस्था है जो तीन महीने के अन्दर वैद्य और सर्जन सब बना देती है। मैं प्रार्थना करूंगा कि यह बुन्देलखंड की यूनिवर्सिटी और साहित्य सम्मेलन के सर्टिफिकेट्स, जिनके पढ़ने लिखने का कहीं इन्तजाम नहीं है, बन्द किये जायं। जो गड़बड़ी इनके कारण हो रही है वह बन्द होनी चाहिये। दूसरी एक सलाह और है कि बोर्ड आफ इंडियन मेडिसिन अपने नियम के पैरा

३ के अनुसार जो वैद्यों को रजिस्टर्ड करता है इसी तरह की सर्टिफिकेट्स को रजिस्टर्ड कर के उनको भी वैद्य का प्रमाण दे देते हैं ; हम चाहते हैं कि यह नियम न रहे । अगर यह नियम नहीं रहेगा तो ये रजिस्टर्ड नहीं हो सकेंगे और ऐसी हालत में उनके पास लोगों के न जाने का अच्छा जरिया होगा । हमारे भाई श्री मदनमोहन उपाध्याय जी ने बद्रीनाथ कमेटी के बारे में जो कुछ कहा था उसके संबंध में श्री सत्यसिंह राणा जी ने कहा कि मैंने उसकी जांच की । वे तो स्वयं उस कमेटी के मेम्बर हैं, जांच करके वे क्या रिपोर्ट देंगे ? यह कहा गया कि उसकी जांच होनी चाहिये । जब इस तरह की कोई बात है ही नहीं तो इसमें शक पैदा होने की क्या बात है ?

श्रीमन्, बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी ने भी वही कोर्स रखा है जो आप अपने यहां एम० बी० बी० एस० के कोर्स में पढ़ाते हैं और उनकी पढ़ाई का भी उतना ही दिन है । मैं तो जानता नहीं लेकिन मुझसे यह कहा गया है कि उनका क्वालिफिकेशन यहां के एम० बी० बी० एस० के बराबर होता है । मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि अगर आप समझते हैं कि उनके क्वालिफिकेशन में कमी होती है, तो अगर वे चाहते हैं कि हम एम० बी० बी० एस० की परीक्षा देकर वह सर्टिफिकेट हासिल कर लें तो इस प्रकार की सुविधा उनको देने की कृपा करें । मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने पूर्वी जिलों में कई अस्पताल खोलने का जिक्र किया है और हमारे साथी जो देवरिया के लोग हैं उनकी शिकायत है कि उनके एरिया में घेघा वाले काफी हैं, जिसकी वजह से आवाज ही बिलकुल बदल जाती है । मेरे यहां जो घाघरा देवारा का एरिया है वहां घेघा, फाइलेरिया, मलेरिया आदि अनेकों रोगों से लोग बीमार रहते हैं । इसलिये एक बार आप उस एरिया में दौरा कीजिये और जहां-जहां उचित समझें वहां वहां एक-एक दवाखाना खोलने की इजाजत दें, जहां कि जरूरत हो । मैं समझता हूं कि हमारा एरिया जो घोसी, सगड़ी का है वहां तमाम गंवार आदमी बसते हैं और जमींदार लोग अपनी छावनियों पर बाहर के २५, २५ गुंडों को रखते हैं और उनके द्वारा वहां के गरीब लोगों पर आये दिन लाठियों का प्रहार हुआ करता है । इस कारण भी वहां पर एलोपैथिक डिस्पेंसरीज की बहुत जरूरत है । मधुबन में तो आपने खोलने के संबंध में जिक्र कर ही दिया है, इसी तरह से कठकुइयां, पडरौना आदि स्थानों पर आप दौरा करके इत्मीनान कर लें और तब वहां एक एक डिस्पेंसरी खोल दी जाय तो हमारे पूर्वी जिले के लोग जो दवा बिना मरते हैं, इन दवाखानों से उनको बड़ी राहत मिलेगी ।

श्री बेचनराम गुप्त (जिला बनारस)—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने चिकित्सा और स्वास्थ्य के लिये जो थोड़े से समय में कार्य किये हैं उसके लिये वे प्रशंसा के पात्र हैं और इसके लिये उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाय वह कम है । माननीय राम नारायण जी ने कहा कि स्वास्थ्य और चिकित्सा की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है, इसके बारे में कोई दो रायें नहीं हो सकती हैं । अब हमें देखना यह है कि इस जिम्मेदारी को सरकार ने कहां तक पूरा किया है । आप देखेंगे कि जन-स्वास्थ्य और चिकित्सा के तहत में सरकार दो तरह के कार्य करती है । एक तो प्रिवेंटिव है और दूसरा क्योरेटिव । प्रिवेंटिव में सरकार इंजेक्शन द्वारा या इस प्रकार के भोजन जनता को दे जिससे कोई बीमारी पैदा न हो सके, इन दोनों चीजों को ध्यान में रखें तो आप देखेंगे कि थोड़े से समय में इस प्रदेश में प्लेग, कालरा, मलेरिया इन तीनों बीमारियों में कितनी कमी हुई है । प्लेग का तो अब यहां नाम ही नहीं सुनाई पड़ता और कालरा तथा मलेरिया मेरे खयाल में रुपये में इस प्रदेश में एक आना रह गया है ।

माननीय रामनारायण जी त्रिपाठी ने यह भी कहा कि यह सरकार समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने का दावा करती है, लेकिन वह उस से बहुत दूर है । मैं माननीय त्रिपाठी जी से प्रार्थना करूंगा कि बाज बाज देशों में जहां समाजवादी सरकारें हैं, वहां की और इस प्रदेश की जनस्वास्थ्य और चिकित्सा की व्यवस्था में वह कोई बड़ा अन्तर नहीं पावेंगे । पाश्चात्य देशों में भी दवादारू जनता को मुफ्त दी जाती है, वह यहां भी दी जाती है, इसके बारे में मेरा खयाल यह है कि कोई दो राय नहीं हो सकतीं । मैं उनसे कहूंगा कि केवल समाजवादी ढंग की ही नहीं

[श्री बेचनराम गुप्त]

बल्कि पूरे तौर से समाजवादी व्यवस्था सरकार ने यहां कायम कर रखी है, जहां तक जनस्वास्थ्य और चिकित्सा का सम्बन्ध है।

एक बात की ओर हमारे कई माननीय मित्रों ने माननीय मन्त्री जी का ध्यान दिलाया, वह है आयुर्वेदिक सिस्टम। माननीय मन्त्री जी का ध्यान कई साल से आयुर्वेदिक सिस्टम की तरफ है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि तीन चार साल से आयुर्वेदिक सिस्टम इस प्रदेश में है, परन्तु पनप नहीं रहा है। उसका मुख्य कारण यह है कि जब तक इस का डायरेक्टरेट नहीं बदला जायगा यानी एलोपैथिक और आयुर्वेदिक का, तब तक आयुर्वेदिक सिस्टम यहां पनप नहीं सकता। यह हो सकता है कि आप आयुर्वेदिक के डाक्टरों का वेतन बढ़ा दें और दूसरी सुविधायें दे दें, लेकिन जैसे आयुर्वेदिक सिस्टम को पनपना चाहिए वह नहीं पनप सकता, जब तक उसका डायरेक्टरेट नहीं बदला जाता है और जब तक एलोपैथिक के डायरेक्टोरेट और आयुर्वेदिक के डायरेक्टोरेट अलग नहीं हो जायेंगे, तब तक काम नहीं चल सकता, क्योंकि दोनों ही सिस्टम्स के लोगों में आपस में बहुत जेलसी है, एलोपैथिक के डाक्टर आयुर्वेदिक सिस्टम की निन्दा करते हैं और जो आयुर्वेदिक सिस्टम के वैद्य हैं, वह एलोपैथिक के डाक्टरों का मजाक उड़ाते हैं और दोनों में कोई सामंजस्य नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जब तक इन दोनों सिस्टम्स के डायरेक्टरेट अलग नहीं किये जाते तब तक हमारे यहां आयुर्वेदिक या तिब्बी सिस्टम नहीं पनप सकते। देहातों में जो आयुर्वेदिक अस्पताल खोले गये हैं और जो डाक्टर रखे गये हैं, उनकी जानकारी एलोपैथी के बारे में बहुत कम है और देहातों के लिए यह बहुत जरूरी बात है कि जो डाक्टर वहां नियुक्त हो, उनकी थोड़ी बहुत जानकारी एलोपैथी की भी होनी चाहिए। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि वह छोटा मोटा आपरेशन भी कर सकें और इंजक्शन आदि भी दे सकें। इसके अलावा उन अस्पतालों में कुछ थोड़ी सी जरूरी एलोपैथिक दवायें भी रहनी चाहिए। मैं माननीय उमाशंकर जी की इस बात से सहमत नहीं हूं कि वहां केवल रुई और टिंक्चर आयोडीन ही रहे और दूसरी एलोपैथिक दवायें न रहें। मैं समझता हूं कि कुछ एलोपैथी की दवाओं का और कुछ सर्जरी के सामान का प्रबंध अगर वहां नहीं होता है, तो देहातों में उन अस्पतालों का कायम करना ही व्यर्थ है।

मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान उन रियासतों की ओर भी दिलाना चाहता हूं कि जिनका इस प्रदेश में विलय हुआ है। उस समय माननीय मन्त्री जी को याद होगा कि मुख्य मन्त्री जी ने कहा था कि इन रियासतों में जो अच्छी बातें हैं, उनको सरकार कायम रखेगी। मैं माननीय मन्त्री जी को ध्यान दिलाऊंगा कि बनारस राज्य की राजधानी राम नगर में एक बड़ा अच्छा अस्पताल था और वहां बनारस तक से लोग दवा लेने जाते थे और यहां कीमती से कीमती दवा मुफ्त दी जाती थी और मरीजों के खाने पीने का प्रबन्ध मुफ्त होता था लेकिन विलय के बाद वह अस्पताल समाप्त कर दिया गया, वहां के अच्छे से अच्छे इन्स्ट्रूमेंट्स बेकार पड़े हुए हैं और तीन चार साल से खराब हो रहे हैं और उस की एक बड़ी सुन्दर बिल्डिंग है, जिसकी लागत ४ लाख के करीब अवश्य होगी। तवज्जह दिलाने पर भी सरकार ने उस ओर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया। भदोही तहसील में महाराजगंज जो ग्रान्ड ट्रंक रोड पर है, वहां से ८ मील की रेडियस में कोई जच्चा-बच्चा केन्द्र नहीं है और न कोई एलोपैथिक अस्पताल है।

भदोही कालीन व्यवसाय के लिए बहुत प्रसिद्ध है। संसार में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो भदोही को न जानता हो। वहां की म्युनिसिपैलिटी की अवस्था बहुत खराब है और उसके पास इतना रुपया नहीं है, कि वह नगर की सफाई करे और इसलिए वहां टी० बी० और कुष्ठ के रोग बहुत तेजी से फैल रहे हैं। मनानीय मन्त्री जी अभी वहां कई महीने हुए पधारे थे। उन्होंने वहां के अस्पतालों को देखा है। उनकी हालत बहुत खराब है। कई सालों से उनकी इमारतों की मरम्मत नहीं हुई है। दवायें भी इन अस्पतालों में नहीं हैं। उन्होंने कहा कि यदि यहां की जनता सहयोग दे तो हम एक जनाना अस्पताल, एक्सरे एपेरेट्स और पैथोलोजिकल सेक्शन कायम कर सकते हैं। वहां की जनता ने सहयोग दिया और ५० हजार रुपया इकट्ठा

किया। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने मन्त्री जी को लिखा भी मगर बजट में देखता हूं तो इन तीनों चीजों में से एक के लिए भी प्राविजन नहीं है। मुझे बड़ा दुख है। काफी समय बीत गया है। मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान इस ओर दिलाता हूं। इन शब्दों के साथ मैं जो अनुदान उन्होंने पेश किया हैं, उसका समर्थन करता हूं।

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)--उपाध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय स्वास्थ्य मन्त्री ने जो अनुदान उपस्थित किये हैं, उनके लिए परिपाटी के रूप में नहीं बल्कि वस्तुतः हृदय से धन्यवाद देता हूं। हमारे राज्य की सरकार ने चिकित्सा की दिशा में जो प्रगति की है, वह अन्य राज्यों की तुलना में कहीं अधिक है। यह बात सही हैं कि इस दिशा में जितना वह चाहते हैं, उतना व्यय नहीं कर पाते। उसका कारण राज्य की अन्य चतुर्मुखी योजनायें हैं, जिन पर व्यय आवश्यक है। ऐसी दशा में मैं माननीय मन्त्री जी की सेवा में आपके द्वारा एक सुझाव उपस्थित करना चाहता हूं जिससे हमारी चिकित्सा प्रणाली और स्वास्थ्य को उन्नत करने में कम व्यय हो और कार्य अधिक हो। हमारे देश में आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली और एलोपैथिक प्रणाली यह दोनों हैं। यदि यह कहा जाय कि ऐलोपैथिक आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली को हजम करती जा रही है, तो किंचित अत्युक्ति न होगी। यह बात स्वतः सिद्ध है कि आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति बहुत सहज और कम व्यय साध्य है, और ऐलोपैथिक चिकित्सा पद्धति बहुत व्यय साध्य है। इस दृष्टि से इसमें विभाग हो जाने चाहिए। विशिष्ट रोगों की, आधुनिक विज्ञान से सम्बन्धित चिकित्साओं की व्यवस्था ऐलोपैथिक के जिम्मे कर दी जाय, जिसमें टी० बी०, कैन्सर या जो और अन्य नये-नये रोग पैदा हो रहे हैं, वे ऐलोपैथिक चिकित्सा प्रणाली के जिम्मे छोड़ दिये जायं और जो रोजमर्रा की हमारी औषधियों की आवश्यकता है, जैसे खांसी में, जुकाम में, या जूड़ी और इसी प्रकार की चीजों में उनको आयुर्वेद या तिब्बी चिकित्सा पद्धति के अधीन कर दिया जाय। तो इस से दो चीजें होंगी। एक तो जो आधुनिक विज्ञान है, उसका भी लाभ अधिक से अधिक विशिष्ट रोगों के लिये हमें मिल सकेगा और दूसरी ओर हम कम व्यय में अधिक लोगों को जो उनकी रोजमर्रा की आवश्यकतायें हैं, उनको कम खर्च में उन तक पहुंचा सकेंगे। इसी प्रसंग में मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान अपने जिले की ओर आकर्षित करूंगा। हमारा जिला सौभाग्य से राज्य के दो अत्यन्त प्रगतिशील, उन्नतिशील और सम्पन्न शहरों के बीच में है, कानपुर और लखनऊ। इस दृष्टि से जो बड़े शहरों के बीच में रहने वाले होते हैं, उन की ज्यादा उन्नति नहीं होती है। जिस तरह से हमारे जिले उन्नाव का विकास होना चाहिए था वह नही हो पाता है। हमारे जिले में शहर को छोड़ कर और कहीं पर भी जनाने अस्पताल की व्यवस्था नहीं है और जो शहर का जनाना अस्पताल है उसकी अवस्था भी अच्छी नहीं है क्योकि वहाँ की लेडी डाक्टर का रुख और व्यवहार ऐसा है जिस की वजह से समाज की स्त्रियों का जितना लाभ होना चाहिए था उतना लाभ वे नहीं उठा सकती है। मै अपने देहाती क्षेत्र की तरफ भी माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे जिले में और कम से कम मेरे क्षेत्र मे जहा कि मंत्री जी खुद हो आये भगवन्त नगर एलोपैथिक अस्पताल का उद् घाटन करने के लिये, तो वह अस्पताल काफी उन्नति कर रहा है। उसके लिये मै माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वहां के डाक्टर और कम्पाउन्डर के रहने के लिये क्वार्टर्स नहीं है। मै मन्त्री महोदय से आप के जरिये यह निवेदन करूंगा कि उस क्षेत्र में सुमेरपुर अस्पताल और भगवन्त नगर अस्पताल से हमारे माननीय मंत्री जी का व्यक्तिगत सम्बन्ध है और वहां पर कई बार जाने का अवसर उनको प्राप्त हुआ है। इस दृष्टि में यदि वहां के डाक्टर और कम्पाउन्डर क्वार्टर्स से बंचित रहे तो वहाँ के लोग कहते है कि गुप्ता जी इतने शक्तिशाली होते हुये भी हमारे अस्पताल का खयाल नहीं करते है।

डी० डी० टी० की जो व्यवस्था है उससे राज्य को बहुत लाभ पहुंचा है, किन्तु देहातों में जिस अनुपात में इससे लाभ पहुंचना चाहिए था उस अनुपात में नहीं हो रहा है। हम नहीं कह सकते कि देहातों में डी० डी० टी० की व्यवस्था उस अनुपात में क्यों नहीं की जाती जिस अनुपात से

[श्री देवदत्त मिश्र]

शहरों में की जाती है। शहरों में यदि मुहल्लेवाइज क्षेत्र लिये जायं तो बेहतर होगा और सिविल सर्जन या वहां का डाक्टर पहले ही से एलान करे कि आज इस मुहल्ले में डी० डी० टी० होगा और कल दूसरे में होगा। हमने देखा है कि किसी घर में हो जाता है और किसी मे नहीं होता है। तो इसका परिणाम तब तक नहीं निकलेगा जब तक कि पूरा अंचल कीटाणुओं से मुक्त नहीं होगा, जितना कि होना चाहिए। इसलिऐ डी० डी० टी० से जो फायदा होना चाहिए वह नही होता है। जो बहुत से प्रिवेन्टिव मेजर्स है उन की जितनी व्यवस्था होनी चाहिए उनका कुछ अभाव सा मालूम होता है। वे लोग ऐसा करते हैं कि अचानक किसी तरफ पहुंच गये और इसका नतीजा यह होता है कि इस तरह की व्यवस्था के लिये नागरिक तैयार नही रहते हैं और बहुत से लोगों के घर भी बन्द रहते हैं या इस तरह की चीजें होती ही नहीं है। आज यहा डाइरेक्टर भी मौजूद है मै उनसे भी निवेदन करूंगा कि लोगों को इससे अधिक से अधिक लाभ पहुंचना चाहिए और इसके लिये एक प्लानिंग की आवश्यकता है।

मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान एक बार फिर सुमेरपुर अस्पताल की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। आप उसको देख आये है और आदेश भी दे आये थे कि वहां का जो तालाब है, जिसमें पानी है लेकिन दुर्भाग्य है कि हमेशा उस का पानी सूख जाता है, उसके लिये आप आदेश दे आये थे कि जब पानी सूख जाय तो नहर से पानी भरने की व्यवस्था की जाय। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से मंत्री जी को यह याद दिलाना चाहता हूं कि उस समय जो आपके साथ डाइरेक्टर महोदय थे उन्होंने भी इस सम्बन्ध में आश्वासन दिया था कि वह इसकी व्यवस्था की करा देंगे, किन्तु वह व्यवस्था अभी तक नहीं हुई है, जिससे कि उन ग्रामीणों को जिनका कि उस तालाब से सम्बन्ध है और अस्पताल मे आने वाले रोगियों को और हजारों आदमी जो इस सड़क से जाते है, उनको इस तालाब से फायदा पहुंचता है, इसलिये मं यह प्रार्थना करूंगा यदि मेडिकल डिपार्टमेंट डाइरेक्ट नहर विभाग को ऐप्रोच करे और इस प्रकार का प्रवन्ध कराये जिससे कि वह तालाब हमेशा पानी से लबरेज रहे तो इस प्रकार से रोगियों और साधारण नागरिकों तथा ग्रामीणों की आवश्यकता की पूर्ति हो सकेगी। इन शब्दों के साथ में एक बार फिर स्वास्थ्य मंत्री जी को इस प्रकार का सुन्दर बजट पेश करने के लिये धन्यवाद देता हूं।

श्री मुहम्मद सुलेमान अधमी (जिला बस्ती)—जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, सबसे पहले में यह अर्ज करूंगा कि जो तरक्की इस वक्त हुई है, उसका आज से १५ वर्ष पहले गुमान भी नहीं किया जा सकता था। जो तरक्की इस वक्त हमारे हास्पिटल्स की हुई है, आज से १० साल पहले उसका किसी भी तरह से ख्याल नहीं किया जासकता था और जितनी बाते हुई है उनका कभी ख्वाब में भी गुमान नहीं किया जा सकता था लेकिनजो तरक्की इनकी हुई है उसके लिये हम माननीय मंत्री जी के शुक्रगुजार है। हां, यह बात जरूर अर्ज करने की है कि माननीय मंत्री जी इस बात के मुस्तहक हैं कि उन्हें मुबारक बाद दिये जायें। इस वक्त और बातों के मुताल्लिक जो कि बताई गयी है, मै कुछ दोहराना नही चाहता हुं। जो काम उन्होंने किये हैं, वह तो उनका फर्ज था और वह अपने आप उन्होने पूरा किया। सबसे ज्यादा मुबारकवाद के मुस्तहक तो आप इस बात के लिये है कि अपोजीशन के मेम्बरों ने भी आपकी तारीफ की है और वह नुक्ताचीनी जो कि पहले की जाती थी, उसमें बहुत कमी हुई है और जो इस तरह से सबसे कम नुक्ताचीनी इस वक्त आपकी हुई है, उसके लिये मै आपको मुबारकवाद देता हूं यानी आप गौर फरमायेंगे तो आपको याद होगा कि हमारे रामनारायण त्रिपाठी जी ने यह कहा था कि 'कुफ़्र टूटा खुदा खुदा करके'। मैं यह कहूंगा कि उन का यह कहना कतई मुनासिब नहीं है, उन्होंने यह तो कहा कि 'कुफ़्र टूटा खुदा खुदा करके' लेकिन उससे पहले की लाइन वह छोड़ गये, जो कि इस तरह से कही जाती है।

'लाये इस बात को इल्तिजा करके,
कुफ़्र टूटा खुदा खुदा करके।।'

हम यह देखते हैं कि इस काम को उन्होंने खुद ही किया है और हम उम्मीद करते हैं कि आगे चलकर वह और ज्यादा तरक्की कर सकेंगे। एक बात जिसका कि रामनारायण जी ने जिक्र किया है और यह फरमाया है कि १९५२-५३ में आपकी यह समस्या रही है और उसको वह दूर नहीं कर सके है और आइन्दा चल कर वह

प्लानिंग के मिनिस्टर भी होंगे तो वह जिन्दगी और मौत का सवाल था। जितनी खाद्य की चीजें थीं उनके बारे में आपने जो बातें की हैं, वह सही की है और उसमें आपने तरक्की की है तो फिर आइन्दा चल कर अगर प्लानिंग के मिनिस्टर होंगे तो यह शुबहा करना कि इसमें आपन फंस जाइये यह अच्छा काम नहीं है, इसको छोड़ दीजिये, तो मैं यह कहता हूं कि यह कोई होशियारी की बात नहीं है। उन्होंने जो मिसालें दी हैं उनको अगर ऐनेलाइज किया जाय तो यह पता चलता है कि इस प्रदेश में सभी बीमार हैं, जैसा कि आपने हिसाब लगाया, उस हिसाब से एक आना [illegible] है, इस तरह से खयाल करना कितने अफसोस की बात है। आप जैसे लायक आदमियों के मुंह से इस तरह की बात अगर सुनने को मिलती है तो यह बहुत ही अफसोसनाक बात है।

मैं और भी बहुत सी बातें कहना चाहता था लेकिन चूंकि वक्त कम है, मैं सिर्फ दो एक बातें आपको बताना चाहता हूं। वाकई में औरतों के अस्पताल हमारे प्रदेश मे बहुत ही कम है और इसके लिये मैंने मार्च सन् १९४९ में आपको याद दिलाया था और जब ५२-५३ में मैंने उसको न्यू आइटम में देखा तो मालूम पड़ा कि औरतों के अस्पताल का जिक्र बांसी के नाम था, लेकिन अभी तक उसमें कुछ नहीं हुआ है। मैं यह भी आपको याद दिलाना चाहता हूं कि ५२-५३ में जब आपने यह न्यू आइटम रखी थी, तो एक आदमी ऐसे थे जो कि १५ हजार रुपये और जमीन देने के लिये राजी थे। मैं तो समझता हूं कि जब एक साहब १५ हजार देने को तैयार हैं तो कुछ रुपया आप अपने पास से दे दें, लेकिन अब तो वह रुपया लैप्स हो गया है। लेकिन मैं आपको फिर भी याद दिलाता हूं कि आप उसकी ओर जरूर ध्यान दें।

मैंने आपको मौके की जगह दिखलायी थी, बहुत अच्छी जगह है। एक एक्साइज इन्स्पेक्टर साहब उसमें रहते हैं। लेकिन बांसी ऐसी जगह है, जहां उनको अगर मकान सुविधा से मिल सकता है और हम लोग उनको मकान दिलाने की जिम्मेदारी ले सकते हैं और मुझे उम्मीद है कि एक्साइज डिपार्टमेंट वाले इतने बेरहम नहीं होंगे कि वे मकान न दें। खैर, अगर वह न हो तो और भी ऐसी सूरत निकल सकती है ताकि वहां औरतों का अस्पताल खुल सके। इसकी वहां बड़ी जरूरत है क्योंकि सिवा बस्ती के और कोई अस्पताल नहीं है। उत्तर प्रदेश में बस्ती का जिला सबसे बड़ा जिला है, लेकिन जहां तक तनदुरुस्ती का मामला है, वहां की आबोहवा खराब है। इसलिए औरतों के अस्पताल की निहायत जरूरत है। इन अल्फाज के साथ में आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया।

श्री व्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना यह परम कर्त्तव्य समझता हूं कि माननीय स्वास्थ्य मन्त्री को इस अनुदान के प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद दूं। माननीय स्वास्थ्य मन्त्री के हाथ में जब से यह विभाग आया है, तब से यह उत्तरोत्तर तरक्की करता चला जा रहा है, इसमें कोई सन्देह नहीं है। माननीय रामनारायण त्रिपाठी जी ने भी इस विभाग के कार्य की प्रशंसा की और यह स्वीकार किया कि कुछ न कुछ सुधार का कार्य अवश्य हुआ है। माननीय उमाशंकर जी ने तो यहां तक प्रशंसा की कि माननीय मन्त्री जी को लौह पुरुष की उपाधि दे दी। इससे स्पष्ट होता है कि विरोधी पक्ष के लोग भी इसे स्वीकार करते हैं कि इस प्रान्त में स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा विभाग में उत्तरोत्तर उन्नति हुई है, हम लोग यदि इस विभाग की प्रशंसा करते हैं, तो इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। मन्त्री महोदय की जो प्रशंसा की गयी है, वह सर्वथा उचित है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय के समक्ष कुछ अपने आजमगढ़ जिले के बारे में कहना मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूं। एक ही तो हमारे यहां जिला अस्पताल है, उसकी इमारत बहुत खराब है, वहां पर जो एक एक्सरे प्लान्ट लगाया गया है, वह ऐसे कमरे में लगाया गया है, जो बहुत छोटा है और जहां रोशनी नहीं आती। सन् १९५२ से मैं माननीय मन्त्री जी से कहता आया हूं कि जो ग्रान्ट अस्पताल को दिया जाता है, वह अपर्याप्त है और उसको और अधिक सहायता दी जानी चाहिए क्योंकि अस्पताल की हालत बहुत शोचनीय है। कुछ इमारत में सुधार किया गया है, लेकिन वह काफी नहीं है।

[श्री व्रजविहारी मिश्र]

दूसरी बात में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा माननीय मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं फूलपूर तहसील के सम्बन्ध में। अपने भाषण में मन्त्री जी ने बहुत हीउत्तम रीति से जच्चा-बच्चा के अस्पताल के सम्बन्ध में बतलाया और कहा कि कई जगह वह जच्चा-बच्चा के अस्पताल खोलने जा रहे हैं। लेकिन उस तहसील के किसी भी भाग में कोई भी जनाना अस्पताल नहीं है, जच्चा-बच्चा की तो बात ही नहीं करनी है। सारे क्षेत्र में सिवा अतरौलिया और एहरौलिया के और कहीं भी ऐसे अस्पताल नहीं हैं। इन्हीं दो स्थानों पर दो अस्पताल हैं। लेकिन स्त्रियों के लिए वहां भी कोई खास प्रबन्ध नहीं है। हमारे लोककल्याणकारी राज्य में जनस्वास्थ्य को प्रमुख स्थान मिलना चाहिए। फिर कुछ जन संख्या में ५० प्रतिशत औरतों की संख्या है, जनस्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उनकी दवा के लिए कोई प्रबन्ध या व्यवस्था का न होना सर्वथा अनुचित है। ऐसी परिस्थिति में यह कार्य अधूरा ही कहा जायेगा। माननीय मन्त्री महोदय की सेवा में निवेदन करूंगा कि वे इस पर विचार करेंगे और कम से कम इस सुझाव को वे कार्यरूप में पारिणित करने को उद्योग करेंगे।

सरकार की यह नीति घोषित हो चुकी है कि हर ५ मील पर अस्पताल खुलेगा, यह नीति बहुत उत्तम है, इस सम्बन्ध में मुझे यह निवेदन करना है कि मेरे क्षेत्र में भदौरा गांव के करीब १२-१४ मील के फासले तक कोई अस्पताल नहीं है। प्लानिंग कमेटी ने भी लिखकर भेजा था, लेकिन उस सम्बन्ध में अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। कोयलसा में एक यूनानी अस्पताल है, लेकिन उसकी दशा बहुत बुरी है। न तो कोई इमारत है, न दवाइयों का ही समुचित प्रबंध है। इसके अतिरिक्त, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से कहना चाहता हूं कि जैसा कि माननीय उमाशंकर जी ने भी जिक्र किया है कि अस्पतालों में दवाइयां बहुत कम रहती हैं। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के जितने अस्पताल हैं, उनमें भी दवाइयां बहुत कम रहती हैं, केवल टिंचर आइडीन और रूई की पट्टी की ही कमी नहीं रहती, बल्कि ज्यादातर और दवाइयां भी मांगे जाने पर नहीं मिलतीं। इस अनुदान में माननीय मन्त्री जी ने कुछ रकम जरूर दवाइयों के लिए रखी है, लेकिन मैं आशा करता हूं कि मन्त्री जी इस कमी को अवश्य अस्पतालों के लिए पूरा करेंगे। इन अस्पतालों का रहना ही बेकार हो जाता है, अगर उनमें पूरी दवाइयां नहीं रहतीं।

दूसरी बात, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि आयुर्वेदिक कालेज जो लखनऊ में खोला गया है, इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने जो सुझाव रखा है। मैं भी उससे सहमत हूं, ऐलोपैथिक सिस्टम और आयुर्वेदिक सिस्टम में बहुत अन्तर है। दोनों के जो विशेषज्ञ हैं, वह एक दूसरे के साथ, जैसा कि माननीय बेचन राम जी ने कहा, सहानुभूति पूर्वक सहयोग नहीं करते हैं। मेरा यह सुझाव है कि दोनों के संचालक भिन्न-भिन्न होने चाहिए। एक ही संचालक के अन्तर्गत ऐलोपैथिक पद्धति का संचालन और उसी के अन्तर्गत आयुर्वेदिक पद्धति का संचालन उचित नहीं है। मेरा यह विचार है कि हम भारतवर्षीय लोगों के लिए आयुर्वेदिक पद्धति ज्यादा लाभप्रद होती है। मुझे आशा है, माननीय मन्त्री जी इस सम्बन्ध में जो सुझाव दिये गये हैं, उन पर ध्यान देंगे और उनको कार्यरूप में परिणित करेंगे।

एक बात और, जिस का प्रसंग तो नहीं था, लेकिन प्रातःकाल ही माननीय राणा जी ने कुछ कह दिया श्री बद्रीनाथ मन्दिर कमेटी के सम्बन्ध में और उसका जिक्र माननीय उमाशंकर जी ने भी किया। उस सम्बन्ध में मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि वह रिलिवेन्ट नहीं होगा, इस प्रसंग में कहना अधिक उचित न होगा। लेकिन इतना मैं अवश्य कहूंगा कि सरकार इस सम्बन्ध में जो अपना विचार होगा, सदन को देगी और अपना वक्तव्य भी देगी, जो कुछ राज्यपाल महोदय के संबोधन के सिलसिले में सदन में कह दिया गया था। एक बात मैं अवश्य कह देना चाहता हूं कि मन्दिर कमेटी का सेनिटेशन का जो खर्च है, उसमें ९ हजार रुपया व्यय होता है। सरकार की तरफ से केवल ३ हजार रुपया अनुदान के रूप में दिया जाता है। ६ हजार रुपया मन्दिर कमेटी व्यय करती है। मैं समझता हूं कि जो प्रबन्ध श्री बद्रीनाथ कमेटी की तरफ से होता है, वह बहुत ही सुन्दर तथा काफी है। सारे यात्रियों के लिए भिन्न भिन्न भागों में

प्रबन्ध करना पड़ता है और इस के लिए तीन हजार का अनुदान बहुत ही कम है। मैं आपके द्वारा माननीय मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस अनुदान को काफी मात्रा में बढ़ाना चाहिए। मन्दिर कमेटी के पास और भी व्यय होता है। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय मन्त्री जी मेरे दिये गये इन सुझावों का ध्यान रखेंगे।

श्री रामस्वरुप गुप्त (जिला कानपुर)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय आज जिस सम्बन्ध में यह सदन विचार कर रहा है मैं समझता हूं कि बधाई के शब्द कहना बधाई के कोरस में अपनी एक आवाज जोड़ देना है। क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में आज जितनी योजनायें चलायी गयी हैं, उनमें सब तरह की चिकित्सा पद्धतियों को स्थान दिया गया है और समुचित स्थान दिया गया है। ऐलोपैथिक चिकित्सा पद्धति को, आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को, यूनानी चिकित्सा पद्धति को और उधर होमियोपैथी को भी बढ़ावा दिया गया है और असल में आवश्यकता भी यह है केवल ऐलोपैथिक चिकित्सा पद्धति के लिए यदि हम प्रयत्न करें, और प्रत्येक पांच मील के दायरे पर एक ऐलोपैथिक अस्पताल देने की कोशिश करें, तो हमारे प्रदेश के लिए वह असंभव होगा। सम्भव तो यही होगा कि अधिक संख्या में आयुर्वेदिक औषधालय यहां स्थापित किये जायं। जैसा कि इस रिपोर्ट से आपको प्रकट होगा, इस वर्ष ग्रामीण क्षेत्रों में २० आयुर्वेदिक औषधालयों के लिए ६७ हजार रुपया रखा गया है और ऐलोपैथिक अस्पतालों के लिए २ लाख ५८ हजार रुपया रखा गया है तो चौगुनी रकम खर्च करनी पड़ती है, हम अगर ऐलोपैथिक अस्पताल खोलने का प्रयत्न करते हैं और मैं आप को बताऊं और हम सब का अनुभव है कि जनता आयुर्वेदिक औषधालयों की स्थापना से उतनी ही सन्तुष्ट होती है जितनी ऐलोपैथिक अस्पतालों की स्थापना से। मैं आपको अपने यहां की जनता की बात बतला रहा हूं और यह गलत है कि दूसरी जगह की जनता की मांग केवल अस्पतालों के लिए है, औषधालयों के लिए नहीं। आप को यह मालूम हो कि आयुर्वेदिक औषधालयों में जो औषधि देने का प्रबन्ध किया है, वह हर वर्ष से अच्छा है। उन्होंने अपनी फार्मेसी कायम की है और अच्छी औषधियां तैयार होती हैं। इस वर्ष के बजट में उस फार्मेसी के लिए ५० हजार रुपया रखा गया है और औषधालयों में अब औषधियों की कमी की शिकायत नहीं है, जब कि अस्पतालों में औषधियों की कमी है।

इसके बाद यह भी है कि जो वैद्य नियुक्त हो रहे हैं, उनको विशेषकर हिन्दू विश्वविद्यालय में प्रारम्भिक चिकित्सा का ज्ञान कराया जाता है और कुछ शल्य चिकित्सा का भी ज्ञान कराया जाता है, इसलिए वे ग्रामीण जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेते हैं। तो आप सोचिये कि जहां इतनी संख्या कम हो, दिन ब दिन जनता की मांग हो तो उनकी पूर्ति आप अस्पताल खोल करके कर सकेंगे, यह असम्भव है।

दूसरी बात यह कहनी है कि टी० बी० का रोग हमारे उत्तर प्रदेश में और कानपुर में बहुत बढ़ा हुआ है। उसको बार-बार दुहराने की आवश्यकता नहीं, कोई गर्व की बात नहीं, बल्कि लज्जा की बात है कि संसार में सब से अधिक टी० बी० कानपुर शहर में है। लेकिन उसका उपाय इससे नहीं पूरा होगा, अगर आप टी० बी० के वार्ड खोल दें। कानपुर ऐसे बड़े शहर में लाला लाजपतराय अस्पताल में ५० बेड और बढ़ा देने से उस शहर की आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो सकती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेडिकल कालेज की मांग बार-बार की जाती है, लेकिन मेडिकल कालेज की मैं उतनी आवश्यकता नहीं समझता, जितनी आवश्यकता मैं यह समझता हूं कि इस क्षय रोग की चिकित्सा के लिए अधिक संख्या में अस्पताल और क्लीनिक्स खोले जायं। यह कोशिश न की जाय कि वे अस्पताल ऐलोपैथिक पद्धति के हों और शहर ही में खोले जायं, ज्यादा अच्छा होगा अगर आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज करने वाले औषधालय हों और देहात में हों। कानपुर के समीप गंगा नदी बह रही है, उसका आप लाभ उठाइये। गंगा के किनारे बिठूर ऐसा अच्छा स्थान है क्या अच्छा होता, अगर आप टी० बी०

[श्री रामस्वरूप गुप्त]

हास्पिटल कानपुर शहर में न खोल कर ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में आप कायम करते। तो मैं आशा करता हूं कि अधिक लाभ होता।

इसी प्रकार हमारे उत्तर प्रदेश में कुष्ठ रोग की चिकित्सा की तरफ भी यह पहला अवसर है जब से कांग्रेस सरकार आयी उसने यह काम अपने हाथ में लिया। इसके पहले तो इस रोग की चिकित्सा के लिए अमेरिका की या दूसरे मुल्कों की मिशनरीज संस्थायें, काम करती थीं। और हमारे यहां के लोग उपेक्षा करते थे। आवश्यकता यह है कि जितने अभी तक कुष्ठ रोग के आश्रम खुल चुके हैं, उनसे अधिक खोले जायं और कुछ दिनों से चर्चा चल रही है और मैं आशा करूंगा कि हमारी प्रान्तीय सरकार इस ओर ध्यान देगी। ऋषिकेश सरीखे स्थान में कुष्ठ रोग की चिकित्सा का औषधालय तथा अस्पताल होना चाहिए। इसी प्रकार से एक तरफ मैं आपका ध्यान फिर दिलाना चाहता हूं कि कानपुर में एक स्थानीय टी० बी० ऐसोसियेशन है। उस टी० बी० एसोसियेशन के पास कई लाख रुपये हैं। गांधी स्मारक निधि का जब रुपया एकत्र किया गया था, तो उसमें लगभग पौने दो लाख रुपया रिजर्व कर दिया गया था, टी० बी० चिकित्सा के लिए। यह सारा का सारा रुपया कानपुर के टी० बी० एसोसियेशन को मिल गया। लेकिन टी० बी० एसोशियेशन आज तक कोई उसका उपयोग न कर पाया। न कहीं अस्पताल खोल पाया और न कोई और काम कर पाया। मैं आशा करता हूं कि इस प्रकार रुपया पड़ा नहीं रहेगा कि जिस बीमारी के लिए सब से अधिक आवश्यकता हो, उसी का रुपया पड़ा रहे।

इसके अलावा उन बातों के लिए मैं और बधाई देना चाहता हूं कि जो चिकित्सा से अतिरिक्त स्वास्थ्य रक्षा के लिए जो कदम उठाये गये हैं, हमारे इस स्वास्थ्य विभाग की ओर से और उसमें १ लाख बीस हजार रुपया रखा गया है, शिशु केन्द्रों के लिए जहां बालकों के स्वास्थ्य को उन्नत करने के लिए ध्यान दिया जायगा। ये केन्द्र हमारे ग्रामों में भी होंगे और शहरों में भी होंगे। एक लाख बीस हजार रुपया रखा गया है। लेकिन यदि इस बात को हम समझ लें कि इलाज बाद को आता है और स्वास्थ्य रक्षा की आवश्यकता पहले है तो स्वास्थ्य रक्षा के और बीमारियों के न होने देने के लिए जो उपयाग किये जायं, उनमें हमें अधिक रुपया खर्च करने की आवश्यकता होगी। हमारे बालकों के स्वास्थ्य की रक्षा करना यह एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अंग है, इसमें बालक भी हैं, विद्यार्थी भी हैं। मैं देखता हूं, मेरा तो शिक्षा संस्थाओं से सम्बन्ध है, ऐसा गिरा हुआ स्वास्थ्य है लड़कों का कि कपड़े खोलकर देख लीजिये हड्डी हड्डी दिखलायी दे रही है। ताज्जुब होगा, जिसकी हम आशा नहीं करते थे कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में कहीं टी० बी० का रोग हो सकता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों में भी टी० बी० का रोग दिखलायी दे रहा है। इसलिए मैं इस ओर ध्यान आकर्षित करूंगा कि बालकों के लिए, नवयुवकों के लिए और शिशुओं के लिए जो भी उपाय बीमारी से बचाने के हो सकते हैं, उनके लिए अधिक से अधिक रुपया खर्च किया जाय और पहले खर्च किया जाय और दवाओं के लिए बाद में खर्च किया जाय।

श्री गंगाधर मैठाणी (जिला गढ़वाल)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय रामनारायण त्रिपाठी जी ने जो प्रस्तुत अनुदानों मे कटौती का प्रस्ताव पेश किया है, उसका समर्थन करने लिए खड़ा हुआ हूं। यहां पर बहुत सी बातें कही गयी हैं और यह भी कहा गया है कि पिछले दिनों में अस्पतालों वगैरह में उन्नति हुई है, लेकिन सत्य से ऊपर जाना तो हमारे लिए सम्भव नहीं है। एक विषय की ओर मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं, वह है आयुर्वेद की शिक्षा। माननीय मन्त्री जी ने कहा कि आयुर्वेद कालेज भी खोले गये हैं। जब आयुर्वेद शिक्षा की बात आती है तो बोर्ड आफ इन्डियन मेडिसिन ऐक्ट बना हुआ है, उस ऐक्ट के अन्दर अगर कोई आयुर्वेद संस्था खोलना चाहता है, तो बोर्ड आफ इन्डियन मेडिसिन को उसके रिकाग्नीशन या उसके एफिलियेशन का अधिकार दिया गया है। तो जब माननीय मन्त्री जी की कृपा दृष्टि उधर न रही, तो यह उन्होंने ऐसा निश्चय किया कि यहा पर बहुत सी आयुर्वेद की संस्थायें

हो गयी हैं और उन आयुर्वेद संस्थाओं को हम राज्य की तरफ से पूरी सहायता नहीं दे सकते हैं इसलिए हम उनको कम कर दें। यही उद्देश्य उन्होंने गत वर्ष बताया और यही मैं समझता हूं इस वर्ष भी है। यह निर्णय किया गया कि सारे उत्तर प्रदेश में चार या पांच आयुर्वेद कालेज रहेंगे, उसमें से झांसी का, पीलीभीत का और हिन्दू युनिवर्सिटी बनारस आदि का है। लेकिन सैद्धान्तिक दृष्टि से यह देखना है कि जब बोर्ड आफ इंडियन मेडिसिन को अधिकार है कि वह किसी भी संस्था को वाध्य करे और हम देखते हैं कि उस ऐक्ट के २६ (सी) में लिखा हुआ है कि अगर बोर्ड आफ इंडियन मेडिसिन यह समझता है कि कोई आयुर्वेदिक शिक्षा संस्था ठीक ढंग से नहीं चलती है तो बोर्ड आफ इंडियन मेडिसिन को वह अधिकार था कि वह उस संस्था को ठीक करे। लेकिन गवर्नमेंट एक एक्सपर्ट कमेटी का आधार लेकर के प्रत्येक कालेज को यह आदेश देती है कि आप अपने काजिल को बन्द कर दीजिये। सैद्धान्तिक प्रश्न यह उठता है कि गवर्नमेंट यह कहेगी कि हम उन सब को आर्थिक सहायता करें। लेकिन हम देखते हैं कि प्रजातन्त्र के युग में जब कोई प्राइमरी स्कूल खोलता है तो वहां पर गवर्नमेंट से आशा करता है कि उसको ग्रान्ट दें और उसको यह अधिकार है। गवर्नमेंट को देना चाहिये, जिससे कि वह स्कूल चल सके। इधर जो गवर्नमेंट ने उद्देश्य बतलाया कि हम बहुत सी शिक्षा संस्थाओं को जो ठीक ढंग से नहीं चल पाती हैं इसलिये नहीं चलाना चाहते हैं, क्योंकि उनका स्टैन्डर्ड गिर गया है और लोगों की शिक्षा ठीक ढंग से नहीं हो सकती। ऐसा माननीय मंत्री महोदय का उद्देश्य था। लेकिन जिस पद्धति और तरीके से उस उद्देश्य का पालन किया गया कि जबरदस्ती कालिजेज तोड़ दिये गये, तो उसमें विचार होना चाहिये कि यह कहां तक उचित था। एक ओर तो मेरठ में एक आयुर्वेदिक कालिज तोड़ दिया गया और एक खोला गया, पिछला तोड़ दिया गया। पिछले कालिज के विद्यार्थियों की कोई व्यवस्था नहीं की गयी कोई रिकाग्नीशन नहीं किया गया। चन्द लड़कों ने लिखा है देहरादून आयुर्वेदिक कालेज तोड़ा गया और उनको आदेश दिया गया कि वे ऋषिकुल में जाकर भर्ती हो जायें। वह किसी भी कारण से भर्ती नहीं हो पाये। कुछ अटैंडेंस शार्ट हो गयीं और अब उनको परीक्षा में बैठने से रोका जा रहा है। इस पर माननीय मंत्री महोदय ध्यान रखेंगे। इधर जो गवर्नमेंट ने आयुर्वेदिक कालेज खोला है उसका उपयुक्त स्थान मेडिकल कालिज के बगल में नहीं था, क्योंकि एलोपैथिक और आयुर्वेद में सैद्धान्तिक मतभेद है। इसलिये एलोपैथिक के संरक्षकत्व में आयुर्वेद की उन्नति हो नहीं सकती है। माननीय मंत्री महोदय ने अपने भाषण में कहा है कि जो आयुर्वेद कालिज खुला है। उसमें भारतीय औषधियों से इलाज होगा। तो हम कहते हैं कि चाहे आयुर्वेद से हमें लाभ पहुंचे या एलोपैथिक से सुविधा मिले, लेकिन यह भारतीय साइंस है, उसका विकास होना चाहिये। लेकिन हम देखते हैं कि माननीय मंत्री महोदय की लखनऊ शहर पर विशेष कृपा है। जो स्टेट फार्मेसी खोली गयी वह भी यहां, आयुर्वेदिक कालेज भी खुला, एलोपैथिक काजिल भी खुला और जो चीजें हो रही हैं या हुई हैं या और आगे होंगी वह भी यहीं शायद होंगी। इसका अनुभव माननीय मंत्री महोदय को आगे चल कर होगा कि एलोपैथिक कालिज के बगल में ही आयुर्वेदिक कालेज ठीक ढंग पर नहीं चल पायेगा। इस पर आपको पुनः विचार करना पड़ेगा।

एक बात जो बद्रीनाथ सेनिटेशन के सम्बन्ध में कही गयी है, अब उसके सम्बन्ध में मैं भी एक बात कहना चाहता हूं कि बद्रीनाथपुरी में बद्रीनाथ सेनिटेशन और इम्प्रूवमेंट ऐक्ट के मातहत बद्रीनाथ पुरी के स्वास्थ्य का प्रबन्ध बद्रीनाथ कमेटी को दे दिया गया है और उस कमेटी के सदस्य भी फतेह सिंह राणा और ब्रजबिहारी मिश्र जी ने कहा कि उसके लिये अधिक रुपया होना चाहिये। हम तो कहते हैं और वहां के लोगों की भी यह मांग है कि गवर्नमेंट के पास तरह तरह के रिप्रेजेंटेशन किये गये

[श्री गंगाधर मैठाणी]

और जब श्री पुरुषोत्तमदास टंडन कांग्रेस के प्रेसीडेंट थे, उन्होंने गवर्नमेंट को लिखा था कि यहां पर सेनीटेशन को मन्दिर कमेटी से अलग कर देना चाहिये और सेनिटेशन का प्रबन्ध सरकार को खुद करना चाहिये। मैं सेनिटेशन के डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं। उसके लिये बहुत से डेप्यूटेशन माननीय स्वास्थ्य मंत्री, प्रधान मंत्री, स्वायत्तशासन मंत्री को भी दिये गये हैं। इसलिये बजाय कुछ ग्रान्ट देने के सेनिटेशन इम्प्रूवमेंट को नल एंड वायड निलंबित कर देना चाहिये, और उसके स्थान पर टाउन एरिया या मोटीफाइड एरिया बना सकें तो बनाना चाहिये। अगर न बन सके तो गवर्नमेंट को खुद अपने हाथ में वहां का सेनिटेशन ले लेना चाहिये, यह जनता की मांग है। हम तो कहते हैं कि बद्रीनाथ और केदारनाथ यात्रा मार्ग में अस्पताल खोलने का मामला पिछले बजट में भी था। और बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा मार्ग के लिये आपने जो काम किया है, उसके लिये हम आपको बधाई देंगे लेकिन अस्पताल बनने का वायदा अगस्तमुनि में सन् १९४६ ई० से था और गत वर्ष एक लाख रुपया मंजूर भी किया गया था और प्लानिंग कमेटी ने भी कहा था कि अगस्त मुनि और केदारनाथ में अस्पताल खोलें, लेकिन अभी तक अस्पताल नहीं खुला है और इस बजट में भी इसके सम्बन्ध में कुछ नहीं है। इसी प्रकार से केदारनाथ में भी अस्पताल नहीं है। इतना कह कर मैं खत्म करता हूं।

नियोजन मंत्री के सभासचिव (श्री बलदेवसिंह आर्य)—उपाध्यक्ष महोदय, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के ऊपर अब तक जिन माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं और सुझाव दिये हैं, उनको सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि स्वास्थ्य विभाग तथा चिकित्सा विभाग ने इस वर्ष जो कार्य किया है वह बहुत ही प्रशंसनीय रहा है इसीलिये माननीय सदस्यों ने इसकी प्रशंसा की है। किन्तु मुझे माननीय रामनारायण जी त्रिपाठी के इस कथन से बड़ा आश्चर्य हुआ जब उन्होंने यह कहा कि नेत्र चिकित्सा जो हमारे प्रदेश में होती है, जैसे अलीगढ़, सीतापुर और प्रदेश के अन्य स्थानों पर होती है, उनके सम्बन्ध में उन जिलों को ही मौका दिया जाता है, जो जिले माननीय मंत्री जी तक पहुंच पाते हैं या एप्रोच करते हैं; इस सिलसिले में मैं उनका भ्रम दूर करने की आवश्यकता समझता हूं और मुझे यकीन है कि मैं जो चीज उनके सामने रखूंगा, उससे उनका भ्रम अवश्य ही दूर हो जायगा।

हमारे प्रदेश में जहां नेत्र चिकित्सा का महत्वपूर्ण कार्य हो रहा है, उसका एक चिकित्सालय अलीगढ़ में गांधी आई हास्पीटल के नाम से है और वह डाक्टर मोहनलाल के अधीन है। इस अस्पताल से हमारे प्रदेश के १८ जिले सम्बन्धित हैं जैसे अलीगढ़, देहरादून, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलन्दशहर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, एटा, टेहरी गढ़वाल, झांसी, जालौन, हमीरपुर, फतेहपुर, बांदा, बदायूं और मथुरा। दूसरा सीतापुर में आई हास्पिटल है, इसके डाक्टर एम० पी० मेहरा इंचार्ज हैं इसके साथ २० जिले हमारे प्रदेश के सम्बन्धित हैं, जैसे सीतापुर, गढ़वाल, नैनीताल, अल्मोड़ा, बरेली, पीलीभीत, बहराइच, शाहजहांपुर, हरदोई, खीरी, गोंडा, फैजाबाद, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, जौनपुर, देवरिया, गोरखपुर, आजमगढ़, बस्ती और फर्रुखाबाद। तीसरा अस्पताल लखनऊ में किंग जार्ज मेडिकल कालेज है, इसके प्रोफेसर डा० एस० पी० गुप्ता हैं इससे सम्बन्धित निम्नलिखित चार जिले लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, और सुल्तानपुर हैं। इसके बाद चौथा आगरा मेडीकल कालेज है और इससे आगरा, मैनपुरी, और इटावा तीन जिले सम्बन्धित हैं। कानपुर में लाला लाजपतराय अस्पताल है, इसके साथ कानपुर और उन्नाव दो जिले हैं और बनारस में कि०ई० सेवन्थ आई हास्पिटल है, इससे बनारस, मिर्जापुर व गाजीपुर और बलिया ये चार जिले सम्बन्धित हैं। इससे साबित है कि हमारे प्रदेश का हर जिला किसी न किसी अस्पताल से सम्बन्धित है

यानी जुड़ा हुआ है। आपका यह कहना कि माननीय मंत्री जी के पास जो जिले एप्रोच करते हैं, उनको शामिल किया जाता है उचित नहीं है। मैं यहां पर यह भी बतला देना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में एक सलाहकार कौंसिल है जो डायरेक्टर आफ स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग के अधीन है। इस कौंसिल की राय से ही यह सारी व्यवस्था होती है कि किस जिले को किस अस्पताल से संबंधित किया जाय और इस कौंसिल की ही राय से सारा काम चलता है। डायरेक्टर के पास ७५,००० रुपये की एक धनराशि भी रहती है, वह उसको इस कौंसिल की राय से, जहां जैसे और जितनी जरूरत होती है, उसके मुताबिक सहायता देते रहते हैं। इस प्रकार से आपका यह कहना सर्वथा असत्य मालूम पड़ता है।

आपने आगे फेमिली प्लानिंग की चर्चा की है और आपने पूछा है कि सरकार ने इस ओर क्या कार्य किया है। इसके दो ही तरीके हो सकते हैं। एक तो यह कि मनुष्य संयम से रहे और जितनी संतान पैदा करना ठीक समझता है और उनका लालन पालन कर सकता है, उतनी ही पैदा करे और दूसरा कृत्रिम उपाय हैं जिनके द्वारा संतान निग्रह के उपाय बरते जा सकते हैं। हमारे प्रदेश में इस समय जो संस्था कार्य कर रही है वह इंडियन रेडक्रास सोसाइटी है। सन् १९५२-५३ में सरकार ने उसको १५ हजार रुपये की सहायता दी और इस वर्ष में २० हजार रुपया की सहायता उसको दी जा रही है और इसी प्रकार से अगले वर्ष भी उसको सहायता दी जायगी। यह संस्था ग्रामों में प्रचार करती है और उसके इस प्रदेश के विभिन्न स्थानों में क्लिनिक्स हैं जहां पर महिलाओं को और पुरुषों को उचित सलाह दी जाती है। यहां पर जे० के० इंस्टीटचूट आफ सोशियोलाजी एंड ह्यूमन रिलेशन्स जो कि लखनऊ विश्वविद्यालय के अन्तर्गत संस्था है, वह भी इस सम्बन्ध में अनुसन्धान कर रही है। यह भी उम्मीद की जाती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार नियोजन के सम्बन्ध में उचित अनुसन्धान करके उसको लाभप्रद बनाया जायगा। इस संस्था को अनुसन्धान के लिये ७ हजार रुपया वार्षिक सरकार की ओर से मिलता है। इस तरह हमारे प्रदेश में परिवार नियोजन का कार्य चल रहा है। इसके साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि सन् १९४६ में हमारे प्रदेश में प्रति हजार बर्थ रेट २४·९ था जो सन् १९५३ में घट कर १७.३८ रह गया। तो इससे आपको यह ज्ञात होगा कि हमारे प्रदेश में परिवार नियोजन का कार्य सन्तोषप्रद ढंग से चल रहा है।

आपने एक चीज यह कही है कि स्वास्थ्य शिक्षा के सम्बन्ध में सरकार क्या कार्य कर रही है। उसके सिलसिले में मैं यह बताना चाहता हूं कि सरकार ने इस सम्बन्ध में सतर्कता से काम किया है और सरकार ने इस सम्बन्ध में अभी तक जो कार्य किया है उसका संक्षेप में उल्लेख इस प्रकार है। सरकार ने हमारे संचालक स्वास्थ्य तथा चिकित्सा विभाग से मिलकर कक्षा एक से आठवें तक के लिये एक सेलेबस तैयार किया है और इसी प्रकार से ९ से १२ दर्जे तक के लिये एक कोर्स तैयार किया जा रहा है और यह भी कोशिश की जा रही है कि जो ट्रेनिंग कालेज हमारे प्रदेश में हैं जहां उन कालेजेज में शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाती है, वहां भी इस सम्बन्ध में शिक्षा दी जाय। इस प्रकार से हमारे प्रदेश में स्वास्थ्य शिक्षा के सम्बन्ध में बराबर प्रयत्न किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त हमारे टेहरी-गढ़वाल के श्री सत्यसिंह राणा ने कुष्ट आश्रम के सम्बन्ध में कुछ चर्चा किया। उन्होंने यह कहा कि उस आश्रम को ४० हजार रुपये की सहायता दी जानी चाहिये और इस बजट में उसको ५ हजार रुपया दिया गया है। यह तो उस आश्रम की प्रगति पर मुनहसर करता है कि वह किस प्रकार से अपने कार्य का संचालन करता है। अगर उनके कार्य की प्रगति अच्छी रहती है तो निश्चय ही सरकार फिर से कुछ सहायता देने पर विचार कर सकती है। इसलिये उनको इस सम्बन्ध में अधीर नहीं होना चाहिये। उन्होंने यह भी कहा कि गंगोत्री और यमुनोत्री

[श्री बलदेवसिंह आर्य]

के यात्रा मार्ग पर सफाई आदि की सरकार ने क्या व्यवस्था की है। लेकिन मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि सरकार इस सम्बन्ध में विशेष जानकारी हासिल करेगी और यदि उस यात्रा मार्ग में पर्याप्त प्रबन्ध नहीं है तो विचार करने के बाद जिस प्रकार की आवश्यकता होगी उस पर सरकार विचार करेगी। जैसी केदारनाथ और बद्रीनाथ के यात्रा मार्गों पर सरकार की ओर से स्वास्थ्य सम्बन्धी समुचित व्यवस्था की जाती है वैसी ही वहां पर भी व्यवस्था की जायगी।

आपने एक बात यह कही कि टेहरी-गढ़वाल में अभी तक मलेरिया निरोधक कार्य शुरू नहीं किया गया है और उस सम्बन्ध में सरकार क्या कर रही है। यह कार्य अभी तक वहां पर शुरू नहीं किया गया है यह मैं जानता हूं। टेहरी-गढ़वाल ऐसी जगह है जो दो नदियों के किनारे पर बसा हुआ है। इस सम्बन्ध में सरकार उचित जानकारी हासिल करने के बाद उचित कार्यवाही करेगी। तो इस तरह से हमारे प्रदेश में मलेरिया की रोकथाम के लिये जो महत्वपूर्ण कार्य हो रहा है, उससे हमारे सदन के माननीय सदस्य अपरिचित नहीं हैं। इस सम्बन्ध में बहुत कुछ कार्य हमारे प्रदेश में हो रहा है और यह उम्मीदकी जाती है कि निकट भविष्य में मलेरिया जैसी बीमारी को इस प्रदेश से निकाल बाहर कर दिया जायेगा। आपने देखा होगा कि तराई के इलाके में कुछ वर्ष पहले कोई भी व्यक्ति रहने के लिये तैयार नहीं होता था और मलेरिया कोई भी काम वहां होने देने से रोकता था। किन्तु धीरे धीरे इस पर काबू पाया जा रहा है और हजारों की तादाद में लोग वहां आकर रहने लगे हैं। बहुत से शरणार्थी भाई और राजनैतिक पीड़ित वहां जाकर बस गये हैं तथा और भी जो पहले के वहां रहने वाले थे वे भी अच्छी तरह से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस प्रकार से मलेरिया की बीमारी को हम धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं।

(इस समय ३ बजकर ५६ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

इसके अलावा किन्हीं माननीय सदस्य ने घेघा की बीमारी का भी जिक्र किया। यह बीमारी भी कुछ जिलों में पायी जाती है। देहरादून में जौनसार भाभर के इलाके में है। नमक में आयोडीन मिला कर देने से इस बीमारी को रोकने का प्रयत्न किया जा रहा है। मिर्जापुर तथा और पूर्वी जिलों में भी यह बीमारी पायी जाती है। इस सम्बन्ध में सरकार जरूरी जानकारी प्राप्त कर रही है और उसके बाद उचित कार्यवाही की जायगी। इस तरह से हमारे प्रदेश में बीमारियों की रोकथाम करने का कार्य चल रहा है। मुझे उम्मीद है कि माननीय सदस्य मैंने जो स्पष्टीकरण दिया है उससे संतुष्ट होंगे। इतना कह कर मैं अपने स्थान पर बैठता हूं।

श्री धर्मदत्त वैद्य (जिला बरेली)---मैं एक घंटा समय बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष---अभी कुछ और माननीय सदस्य बोल लें।

श्री मदन गोपाल वैद्य (जिला फैजाबाद)---माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बजट हमारे सामने है उसके लिये मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को बधाई देता हूं। स्वास्थ्य विभाग जो उन्नति कर रहा है और उसमें जो नयी नयी स्वास्थ्य योजनायें शामिल की गयी हैं, वे प्रशंसनीय हैं और उससे देश का काफी कल्याण हो रहा है। इतना सब कुछ होते हुए भी अभी हमारे प्रदेश में बहुत कुछ होना बाकी है। आयुर्वेदिक क्षेत्र में जो हम लोगों को कठिनाइयां हैं उनको माननीय मंत्री जी के समक्ष उपस्थित करना चाहता हूं।

आज इस जमाने में गरीबों के लिये सस्ती और लाभकारी चिकित्सा पद्धति की आवश्यकता है। यह चीज आज एक संघर्ष और विवाद का विषय बन गयी है कि एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति ठीक है अथवा आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति। अभी लखनऊ में जो मेडिकल कान्फ्रेन्स हुई थी उसके बाद से यह विवाद और भी ज्यादा बढ़ गया है और यह समस्या अब केवल आयुर्वेद के विरुद्ध ही नहीं ऐलोपैथिक के अतिरिक्त दूसरी सभी पद्धतियों के विरुद्ध, चाहे वह होमियोपैथी हो, चाहे नेचरक्योर हो, आती है। ऐसी स्थिति में हमारे आयुर्वेदिक की उन्नति होना दुष्कर हो रहा है उस समय और भी जब कि वह एक ऐसे ढांचे में कार्य कर रहा है जो इस चिकित्सा पद्धति में विश्वास नहीं करते, बल्कि विरुद्ध हैं। इसके लिये आयुर्वेदिक डायरेक्टोरेट बिल्कुल अलहदा होना चाहिये और एलोपैथी से उसका कोई सम्बन्ध नहीं होना चाहिये क्योंकि उनसे आयुर्वेद वालों को कोई सहयोग नहीं मिल पाता। आयुर्वेद कालेज का जो प्रबन्ध है वह भी अच्छे और योग्य वैद्यों के हाथ में होना चाहिये। आयुर्वेद फैकल्टी का एक अलग डीन भी नियुक्त होने की आवश्यकता है और वह भी एक योग्य वैद्य हो। कालेज के सम्बन्ध में इस समय मैं केवल इतना ही कहूंगा।

आयुर्वेदिक पद्धति के विषय में हमें कुछ कठिनाइयां हैं। एक यह है कि जो आयुर्वेदिक डिस्पेंसरीज हैं वे धीरे धीरे मेन रोड से हटती जा रही हैं क्योंकि डाक्टर लोग इंटीरियर में जाना पसन्द नहीं करते हैं। इसलिए आयुर्वेदिक चिकित्सा की डिस्पेंसरीज इंटीरियर में शिफ्ट कर दी जाती है। ऐसे कार्यों का कम्युनिटी प्रोजेक्ट एरियाज में विशेष अनुभव हुआ है। डिस्पेंसरीज हटाने के संबंध में वैद्यों और हकीमों की यह शिकायत रही है कि उनको इंटीरियर में भेजा जाता है जहां कि कोई जाने को तैयार नहीं होता है। ये उनकी कठिनाइयां हैं। इसलिये मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि अब इस नीति का अन्त होना चाहिये कि आयुर्वेदिक तथा यूनानी डिस्पेंसरीज को बिलकुल इंटीरियर में ढकेल दिया जाय। यह तो एक तरह से उनके साथ अन्याय की बात है। इसके अलावा प्रबन्ध के संबंध में एक बड़ी शिकायत यह है कि जितनी आयुर्वेदिक व यूनानी डिस्पेंसरीज हैं उनको डिस्ट्रिक्ट मेडिकल आफिसर आफ हेल्थ के मातहत रखा गया है। यदि ऐलोपैथिक डिस्पेंसरीज को डिस्ट्रिक्ट मेडिकल आफिसर आफ हेल्थ के अन्डर रखने की बात होती है तो कहा जाता है कि उनके मातहत उनका रखा जाना मुनासिब नहीं है क्योंकि वे तो प्रिवेंटिव मेडिसिन के विशेषज्ञ समझे जाते हैं न कि क्योरेटिव के। तो ऐसी हालत में आयुर्वेदिक व यूनानी डिस्पेंसरीज को डिस्ट्रिक्ट मेडिकल आफिसर आफ हेल्थ के मातहत रखा जाना मुनासिब नहीं है क्योंकि उनको सहयोग की भावना इन डिस्पेंसरीज के साथ नहीं होती है। हमारे प्रांत के अन्दर १०,१२ आयुर्वेदिक और यूनानी इंसपेक्टर मुकर्रर किये गये हैं। कई वर्ष से इन इंसपेक्टर्स का हेड क्वार्टर लखनऊ में रहता था और वे प्रांत भर का अपने क्षेत्र में दौरा करते थे लेकिन अब ऐसी व्यवस्था कर दी गई है कि ६ जिले के इंसपेक्टर को एक डिस्ट्रिक्ट मेडिकल आफिसर आफ हेल्थ के मातहत रख दिया गया है। एक डिस्ट्रिक्ट मेडिकल आफिसर आफ हेल्थ के मातहत ६ या ८ जिले के इंसपेक्टर्स को रख देना यह कितनी अप्रतिष्ठा की बात है! हालांकि माननीय मंत्री जी ने अब उन लोगों को गजटेड आफिसर स्टाफ में स्थान दे देने की कृपा की है लेकिन इस तरह से ६,६ जिले के इंसपेक्टर्स को एक डिस्ट्रिक्ट के आफिसर के मातहत रख कर यह कोई प्रतिष्ठा और सम्मान की बात नहीं की गई है। न उनका कोई अपना आफिस है, न कोई उनका कर्मचारी है और उनको डिस्ट्रिक्ट मेडिकल आफिसर आफ हेल्थ के नीचे रहना पड़ता है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि निरीक्षण के मामले में भी डिस्ट्रिक्ट मेडिकल आफिसर आफ हेल्थ का सहयोगात्मक ढंग नहीं होता है इसलिये उन डिस्पेंसरीज को उनके मातहत नहीं रखना चाहिये क्योंकि इस तरह से वे नहीं चाहते हैं कि आयुर्वेदिक और युनानी डिस्पेंसरीज पनपें। डिस्पेंसरीज के संबंध में बहुत से कटु अनुभव हैं लेकिन मैं मुनासिब नहीं

[श्री मदन गोपाल वैद्य]

समझता हूं कि उन सभी बातों को इस समय सदन के सम्मुख उपस्थित करूं। आयुर्वेदिक और यूनानी डिस्पेंसरीज को सफल बनाने के लिये आवश्यक है कि उन डिस्पेंसरीज में शल्य चिकित्सा का भी प्रबन्ध हो तथा उनके अन्दर मैटरनिटी सेंटर भी हों। अगर इन डिस्पेंसरीज में शल्य चिकित्सा के साथ-साथ मेटरनिटी सेंटर का भी प्रबन्ध होगा तो इसकी उपयोगिता बढ़ जायगी और जनता आप से आप इन डिस्पेंसरीज में आना पसन्द करेगी क्योंकि उसको तो जहां भी आसानी से सुविधा प्राप्त हो सकेगी वहीं जाना वह पसन्द करेगी। बहुत सी एलोपैथिक डिस्पेंसरीज हैं जहां मैटरनिटी सेंटर होने की वजह से उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है लेकिन आयुर्वेदिक व यूनानी डिस्पेंसरीज में इनका प्रबन्ध न रहने की वजह से उनकी उतनी उपयोगिता नहीं होती तथा वे उतनी सफल नहीं हो सकतीं। इसलिये यह आवश्यक है कि सर्जरी के साथ-साथ वहां मैटरनिटी सेंटर भी कायम किया जाय। और भी बहुत सी अनुभव की बातें हैं लेकिन उनको कहने का अभी समय नहीं है। जो हमारा पब्लिक हेल्थ विभाग है उस पर सरकार काफी रुपया खर्च कर रही है और उसका प्रबन्ध भी काफी लम्बा चौड़ा है। हमारे स्वास्थ्य विभाग का जितना लम्बा चौड़ा प्रबन्ध है वह विदेशों की एक प्रकार से नकल है और वह विदेशी परम्पराओं और भावनाओं पर ही कायम है। मैं यह आवश्यक समझता हूं कि भारतवर्ष की परम्पराओं के आधार पर उनका पुनस्संगठन होना चाहिये। इसलिये जो यह जन-स्वास्थ्य की व्यवस्था है उसके पुनःसंगठन की आवश्यकता है, उससे मैं समझता हूं कि खर्च भी कम होगा और काम भी अधिक बढ़ाया जा सकता है।

श्री धर्म दत्त वैद्य—अध्यक्ष महोदय, मैंने समय बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था, मैं जानना चाहता हूं कि आप का क्या निर्णय हुआ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—अध्यक्ष महोदय, इस बजट में काफी समय बढ़ाया जा चुका है; अभी हमारी सरकारी पक्ष के लोगों से बातचीत हो रही है और कल को दो तीन घंटे अधिक बैठने की तैयारी हो रही है। ऐसी हालत में आज तो हम बैठने को तैयार नहीं है। आज तो कोई माननीय सदस्य अधिक आलोचना भी नहीं कर रहे हैं सभी तारीफ ही कर रहे हैं इसलिये आज समय बढ़ाना बेकार है और कल ही बढ़ाया जाय।

श्री धर्म दत्त वैद्य—अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज का जो यह विषय है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत से लोग अभी इस पर अपने विचार करना चाहते हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि आप समय बढ़ा दें।

श्री अध्यक्ष—मैं बीच का रास्ता लिये लेता हूं और मैं समझता हूं कि आधा घंटा काफी होगा।

श्री धर्मदत्त वैद्य—अध्यक्ष महोदय, जो अनुदान आज माननीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा सदन में प्रस्तुत किया गया है उसके लिये मैं माननीय मंत्री जी को धन्यबाद देता हूं। मैं निवेदन करूंगा कि जो धनराशि इस अनुदान द्वारा विभाग के लिये मांगी गई है वह बहुत ही अपर्याप्त है। हमारे प्रदेश में जनस्वास्थ्य के लिये बहुत सुन्दर और महत्वपूर्ण काम हुआ है और इसमें प्रदेशीय सरकार को अपना बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट अदा करना है। इसलिये अनुदान की इस धनराशि को मैं बहुत ही अपर्याप्त समझता हूं और इस संबंध में कुछ बातें भी मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं ताकि माननीय मंत्री जी उस पर विचार कर सकें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, गत ३ वर्ष से हमारे इस सदन में देशी चिकित्सा पद्धति के संबंध में काफी विचार और वादविवाद रहा है। मुझे हर्ष है कि यह प्रदेश भारतवर्ष में इस चिकित्सा पद्धति के उत्थान के लिये अग्रणी रहा है और इस दिशा में बहुत कार्य हुआ है परन्तु आज भी हमारे लिये बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन की ओर सरकार का ध्यान तुरन्त जाना चाहिये। पिछले वर्षों में देशी चिकित्सा पद्धति के उत्थान के लिये माननीय मंत्री जी ने बहुत महत्वपूर्ण

कदम उठाये हैं जिनमें वैद्यों के वेतन आदि का प्रश्न भी है। यह ठीक है कि इस वर्ष वैद्यों के वेतन स्केल बढाये गये हैं किन्तु उन को वह संस्कृत के शास्त्रियों वाला स्केल नहीं दिलाया गया है जबकि सरकार उन्हीं वैद्यों को राजकीय औषधालयों में स्थान देती है जो कि उन्हीं सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कालेजों से पास कर के आते हैं और जिनको सरकार स्नातक अथवा ग्रेजुएट मानती है। दूसरे जो स्केल निर्धारित किये गये हैं उन का कोई प्रभाव उन पर नहीं पड़ा जो राजकीय चिकित्सालयों में इस समय कार्य कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि कुछ इनक्रिमेंट्स देकर उनको प्रोत्साहित करें। इसके अतिरिक्त हमारे यहां जो देहातों में आयुर्वेदिक और यूनानी औषधालय हैं उनकी बिल्डिंग्ज बहुत ही खराब हालत में हैं, मैंने पिछले साल भी माननीय मंत्री जी से निवेदन किया था कि प्रत्येक वर्ष इस बजट में ऐसी गुंजाइश रखा करें कि जिससे इन औषधालयों के नये भवन धीरे-धीरे बनते चले जायं और वहां के रहने वाले वैद्य और कम्पाउन्डरों को भी रहने की सुविधा होती जाय। उनको वहां मकान बड़ी कठिनाई से मिलते हैं। अतः ऐसी व्यवस्था की जाय कि वहां ऐसे मकान बनाये जायं जिससे वहां के रहने वाले वैद्य उसका लाभ उठा सकें। दूसरे कुछ नियोजन समितियों द्वारा इस बात की व्यवस्था हो कि यदि वहां के लोग स्वयं आधा रुपया एकत्रित कर लें तो सरकार आधा रुपया वहां के औषधालयों को बनाने के लिये अगर दे दे तो वहां भवन-निर्माण का कार्य बड़ी शीघ्रता से हो सकता है।

एक बात मुझे आयुर्वेदिक कालेज के संबंध में कहनी है। हमारी प्रांतीय सरकार ने यहां इस प्रदेश की आवश्यकताओं को अनुभव करते हुये और जनता की मांग को देखते हुये पिछले वर्ष आयुर्वेदिक कालेज की स्थापना की थी। पिछले वर्ष भी बहुत बड़ी रकम आयुर्वेदिक कालेज के लिये बजट में रखी गई और उससे पिछले वर्ष भी एक बड़ी रकम रखी गई थी किन्तु उसे मेडिकल कालेज के साथ संबंधित कर दिया गया था। उस वर्ष कोई कार्य नहीं हुआ सिवाय कुछ विद्यार्थियों के जो उसमें रखे गये उनको तो एम० बी० बी० एस० के कोर्स में ले लिया गया और उसके बाद उस कालेज को समाप्त कर दिया गया और जो रुपया अनुदान में आयुर्वेदिक कालेज के लिये रखा गया था वह मेडिकल कालेज के हिस्से में चला गया। पिछले साल इसके लिये अनुदान रखा गया था और कालेज की स्थापना हो गई लेकिन कालेज में अव्यवस्था रही और उसके कारण छात्रों ने हड़ताल कर दी और उसमें बहुत सी कठिनाइयां सामने आईं। कुछ लोग जब मंत्री महोदय से मिले तो उन्होंने कहा कि हम कालेज को बन्द कर देंगे। मुझको यह निवेदन करना है कि गत तीन वर्षों में इस सदन के विचारों को ध्यान में रखते हुये अपने प्रदेश के पांच सौ से अधिक देशी चिकित्सालयों की व्यवस्था को देखते हुये और जनता की गरीबी को देखते हुये यह हमारे लिए आवश्यक है कि इस प्रदेश में एक स्टेट आयुर्वेदिक कालेज सुव्यवस्थित रूप में चले। इसलिये इस कालेज को समाप्त न किया जाय किन्तु उसकी व्यवस्था आयुर्वेद के डिप्टी डाइरेक्टर के नेतृत्व नें चलायी जाय और उसके लिये एक अलग से फैकल्टी हो जिससे उसकी व्यवस्था ठीक तरह से चले।

एक बात इंडियन मेडिसिन बोर्ड के संबंध में कही गई है कि उसने एक नये विद्यालय के लिये मान्यता दी और दूसरे विद्यालयों की मान्यता समाप्त कर दी; मैं बताना चाहता हूं कि इंडियन मेडिसिन बोर्ड ने जिन कालेजेज की स्थिति अच्छी नहीं थी उनको लिखा कि वे अपने कालेज की स्थिति अच्छी बनायें और उनको ३ वर्ष का मौका दिया। जिन कालेजेज ने स्थिति ठीक कर ली उनकी मान्यता रखी और जिन्होंने ठीक नहीं किया उनकी मान्यता समाप्त कर दी। एक माननीय सदस्य ने वैद्यों के रजिस्ट्रेशन को बन्द करने के लिये कहा। शीघ्र ही इंडियन मेडिसिन ऐक्ट अब संशोधन के लिये भी आ रहा है उसके बाद पैरा ४ है उसके अनुसार रजिस्टर्ड होने वाले वैद्य सब बन्द हो जावेंगे।

एक बात और कहना चाहता हूं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसके लिये कोई स्थान नहीं है। पिछले वर्ष मंत्री महोदय की सलाहकार समिति ने आयुर्वेदिक सैनिटोरियम और इस तरह की बहुत सी योजनायें रखी थीं। लेकिन इस बजट में कोई इस तरह की दिखाई

[श्री धर्मदत्त वैद्य]

नहीं दी और जो गतवर्ष सुझाव रखे गये थे उसके लिये कोई कदम नहीं उठाया गया है। मैं किसी अन्य चिकित्सा प्रणाली की निन्दा नहीं करना चाहता लेकिन मैं चाहता हूं कि अरबों रुपयों के लगभग बाहर से दवाइयां खरीदने में जो हम खर्च करते हैं उसे रोका जाय। अंग्रेजी शासन के समय ६० करोड़ रुपये का विदेशी कपड़ा जब हम खरीदते थे तब गांधी जी से विदेशी औषधि के संबंध में जब प्रश्न किये गये थे तो उन्होंने कहा था कि यह अरबों रुपया जो विदेशी औषधियों की खरीद के लिये बाहर जा रहा है उसको रोकना चाहिये किसी प्रकार इसका रोका जाना भी नितान्त आवश्यक है। किन्तु अपने यहां इसके लिये रिसर्च की आवश्यकता है। स्टेट फार्मेसी में रिसर्च का विभाग खुले और उसमें अन्वेषण कार्य हो। अशोकारिष्ट और अर्जुनारिष्ट का टिंचर अथवा उनके तरल सार बंगाल कैमिकल की भांति बनायें जायं इस प्रकार के अशोकारिष्ट और अर्जुनारिष्ट आदि के टिंचर या तरल सार अथवा अन्यत्र महत्वपूर्ण औषधियां फारमेसी में तैयार कराई जायं तो हम देशी चिकित्सा प्रणाली में उसका अच्छा लाभ उठा सकते हैं और अरबों रुपयों की सम्पति जो इस गरीब मुल्क से बाहर भेज दी जाती है उसको शनैः शनैः रोका जा सकता है।

श्री बसंतलाल शर्मा (जिला बहराइच)--मान्यवर, जो अनुदान हमारे सामने उपस्थित हैं मैं उनका समर्थन करता हूं और सा.. ही माननीय मंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। मुझसे पहले जो भाषण हुये हैं उनको सुनने से ऐसा मुझे मालूम हुआ है कि आज इस सदन के अन्दर हमारे माननीय मंत्री जी के लिये प्रशंसा की एक झड़ी सी लगी हुई है और वे इसके पात्र भी हैं। पूर्व इसके कि मैं कुछ कहूं, एक बात आपके द्वारा यह बतलाना चाहता हूं कि अन्य शासकीय विभागों के कर्मचारियों एवं अधिकारियों के और इस सदन के सदस्यों के बीच में जो एक ऐसी भावना बनती जा रही है कि हम कि तना ही क्यों न करें लेकिन वे सब हमें बुरा ही कहेंगे और प्रशंसा नहीं कर सकते। मैं प्रेस प्रतिनिधियों और इस सदन के द्वारा उन अधिकारियों के पास यह संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि उस विभाग के अधिकारीवर्ग भी धन्यवाद के पात्र हैं। जब देहातों के अन्दर और इस प्रदेश के एसे-ऐसे स्थानों में जहां कि मलेरिया और प्लेग जैसी भयंकर बीमारियां फैलती हैं और जिनके कारण वहां के गांवों में आवागमन का सिलसिला बन्द कर दिया जाता है ताकि एक आदमी इस गाँव से उस गांव न जाये उस समय इस विभाग के कर्मचारी अपने प्राणों की बाजी लगाकर वहां जाकर लोगों का इलाज करते हैं। इसी से इस पर अब उन्होंने काबू पा लिया है और इसके नतीजे आज इस सदन में दिखाई दे रहे हैं। आज मंत्री महोदय और उनका विभाग पूर्ण प्रशंसा का पात्र बन गया है क्योंकि इतने थोड़े अल्पकाल में हमारे प्रदेश में फैले हुये तमाम रोगों पर काबू पाने की कोशिश की है। इस प्रगति को देखते हुये वे धन्यवाद और प्रशंसा के पात्र हैं। इस अनुदान पर अपने विचार व्यक्त करते हुये एक उक्ति याद हो उठती है कि Health is wealth मैं जानता हूं कि जीवन के लिये स्वास्थ्य की जितनी आवश्यकता है उतनी और किसी चीज की नहीं है। यदि मनुष्य का स्वास्थ्य ठीक है तो वह सब कुछ कर सकता है उसका आर्थिक विकास हो सकता है, सामाजिक विकास हो सकता है और हर प्रकार का विकास हो सकता है। यदि मनुष्य के पास स्वास्थ्य धन नहीं है तो वह कुछ भी नहीं कर सकता है। वह जीवन भर रोता रहता है। लेकिन जिस प्रकार हमारे प्रदेश में स्वास्थ्य के अन्दर जो खराबियां पैदा हुई हैं उसका कारण क्या है? इस पर विचार करने की आवश्यकता है। इसका कारण एक मात्र यह है कि जब हमारे यहां मनुष्य पैदा होता है तो उस समय उसके चरित्र को ठीक बनाने की आवश्यकता है। मैं कोई वैद्य नहीं हूं लेकिन पुस्तकें और लेख पढ़ने के आधार पर कह सकता हूं कि मुझे एक लेख बहुत ही उपयुक्त याद है जिस समें लिखा था कि "ब्रह्मचर्य ही जीवन है और वीर्यनाश ही मृत्यु है।" ये बातें हमारे मंत्री जी पर घटती हैं। ब्रह्मचर्य ही जीवन है यह सत्य है। जिस सत्य को वे बनाये हुये हैं और वे एक ब्रह्मचर्य-व्रत रूप में हमारे सामने हैं। इससे सिद्ध होता है कि उनके ब्रह्मचर्य के कारण स्वास्थ्य विभाग में सफलता दिखाई देती है, यही खास कारण है।

लेकिन जब मैं देखता हूं तो उनका ध्यान आकर्षित करते हुये महसूस करता हूं कि जिस ब्रह्मचर्य के कारण जीवन बनता है उस ब्रह्मचर्य के संबंध में हमारे राज्य की तरफ क्यों उनका ध्यान नहीं पहुंचता है, इससे शंका पैदा होती है। इसलिये मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज हमारे स्कूलों के अन्दर छात्रों और छात्राओं में जो प्रवृत्ति चल रही है उस तरफ भी उन्हें अपना ध्यान देने की आवश्यकता है। यह बात जरूर है कि वह शिक्षा से संबंध रखने वाली चीज है। लेकिन जब हमारे विरोधी दल के सदस्य उन्हें लौह पुरुष की उपाधि देते हुये पाये जा रहे हैं तो मैं समझता हूं कि वास्तव में हमारे प्रदेश में वे लौहपुरुष हैं।

लेकिन जब "लौह पुरुष" शब्द का उच्चारण होता है, तो हमें वह महान व्यक्ति याद आता है जो कि हमारे राष्ट्र की जिन्दगी था, और वे हमारे केन्द्रीय सरकार के अन्दर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। यदि हम इस चीज को देखें, तो यही बात यहां पर भी घटती है कि माननीय मन्त्री जी भी आज इस प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर से कम नहीं है। मैं उनसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि विद्यार्थियों के अन्दर ब्रह्मचर्य की शिक्षा का देना बहुत आवश्यक है, आजकल विद्यार्थियों के अन्दर धूम्रपान करने की आदत बढ़ती जा रही है, सिनेमाओं के अन्दर नाना प्रकार के अश्लील गाने उनको सुनने को मिलते हैं, जिससे कि उनका चरित्र गिरता है। यह एक कमी हमारे प्रदेश के अन्दर है, जिससे हमारे यहां की जनता बीमार रहती है। ब्रह्मचर्य न होने के कारण हमारे यहां की जनता बीमारी का शिकार बनती चली जा रही है।

साथ ही मैं अपने जिले की एक समस्या की ओर आपके द्वारा मन्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मेरी कांस्टीट्युऐंसी में मा० मन्त्री जी पधारे हैं, जहां पर कि मलेरिया का ज्यादा प्रकोप रहता है। वह एक जंगली इलाका है, और वहां पर मलेरिया का हर समय ही डर रहता है वहां पर इसको दूर करने के लिए प्रयत्न किये गये हैं, लेकिन फिर भी इसमें पर्याप्त त्रुटियां हैं। जिस प्रकार से यहां से आदेश दिये जाते हैं, उनका वहां पर ठीक तरह से प्रयोग नहीं हो रहा है। नाना प्रकार की बीमारियां इसकी वजह से वहां पर हो रही हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में थाना खैरीघाट के पास बनने वाले अस्पताल की बाबत मैंने क्वेश्चन पुट किया था और उसके उत्तर में यह आश्वासन दिलाया गया था कि वह साल भर के अन्दर अस्पताल बन कर पूरा हो जायगा, लेकिन अभी तक वह पूरा नहीं हो पाया है। इसके बाद मुझे एक बात यह कहनी है कि इस वक्त की यह योजना है कि ५ मील के एरिया के अन्दर अस्पताल बनाये जायं और यह योजना तभी सफल हो सकेगी, जब कि आयुर्वेदिक इलाज को अधिक प्रोत्साहन मिले। क्योंकि यह सस्ती चिकित्सा है और इससे बीमारी जल्दी दूर हो सकती है तथा रोगी जल्दी स्वस्थ हो सकते हैं लेकिन यह आयुर्वेदिक पद्धति जो हमारे डाइरेक्टर महोदय ऐलोपैथिक के हैं, उनके अन्दर नहीं पनप सकती है।

*श्री राम नरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—मैंने एक आदेश, जो कि सरकार की ओर से जिलों के लिये किया गया है, उसको देखा, जिसमें कि जिले के अधिकारियों को यह आदेश है कि वह अपने इलाके का नक्शा हर पांच मील का तैयार करें और इस आधार पर तैयार करें कि किस-किस प्रकार की दवाइयों के स्थान वहां पर खोले जा सकते हैं, उसका एक चित्र तैयार करें। इस प्रकार से सारे प्रान्त भर में पांच मील की दूरी पर अस्पताल या और प्रकार से दवा का प्रबन्ध करने के लिए योजना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती है कि किसी राष्ट्र के जीवन के लिए उसका स्वास्थ्य की अहम हुआ करता है। अंग्रेजों के आने के बाद हमारा जीवन अवनत हुआ है और हमको नीचे गिराया गया है। यहां के लोगों के स्वास्थ्य की अवहेलना करके हमारे राष्ट्र के ढांचे को एक प्रकार से क्षति पहुंचायी गयी है, किंतु हमारे सुयोग्य मन्त्री जी ने जब से इस विभाग को लिया है, और जैसा कि मैंने अभी प्रार्थना की है,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामनरेश शुक्ल]

उनके सुनियोजित तरीके से शीघ्र ही हर पांच मील की दूरी पर किसी न किसी प्रकार के दवाई क स्थानों का प्रबन्ध हो जायेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक अस्पतालों का सम्बन्ध है, इसके पहले कि मैं और बातों को कहूं, मैं आपके द्वारा माननीय मन्त्री जी का ध्यान अपने जिले की ओर दिलाना चाहता हूं। मैं अपने जिले प्रतापगढ़ की बात कहना चाहता हूं कि प्रतापगढ़ में एक जगह पर अस्पताल बनाने के लिए आदेश भी हो गये और आज से कुछ साल पहले वहां पर इमारत के लिए आदेश हो गये थे, लेकिन अभी तक वह पूरा नहीं हो पाया है। मुझे यहां तक पता चला है कि इसके लिए रुपया भी अलग कर दिया गया है, किन्तु केन्द्र के किसी आदेश के अनुसार, जिसका तात्पर्य यह था कि खर्चे में कमी की जाय, वह अस्पताल रोक दिया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, वह अस्पताल उस स्थान का तब से रुका पड़ा हुआ है। मुझे यह भी पता लगा है कि इमारत की मद में जो रुपया मिला था, वह अभी पड़ा हुआ है और संभवतः १० हजार के करीब है। सन् ५० या ५१ की यह बात है और तब से लेकर अब तक बहुत से अस्पताल इस प्रान्त में बने होंगे लेकिन वह अस्पताल नहीं बन सका। उस समय उसकी जो आवश्यकता समझी गयी थी उसके बाद भी आज वही आवश्यकता अपनी जगह है पर वैसी ही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस गरीब स्थान के चारों तरफ १० मील तक कोई भी दवा का प्रबन्ध नहीं है, और इसके बन जाने के बाद उस इलाके की यह जो बड़ी कमी है, वह भी पूरी हो जाती है, क्योंकि यह इलाका जो और भी पीछे पड़े हुए स्थान हैं उनसे अलग सा पड़ता है। तो मैं आपके द्वारा उनसे यह प्रार्थना करूंगा कि वे कृपा करके इस प्रश्न पर फिर से विचार कर लें। एक प्रश्न के उत्तर में यह बतलाया गया था कि वे वहां पर अस्पताल खोलने के लिए तैयार हैं, यदि स्थानीय जनता कोई इमारत बना दे। तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां की जनता न तो पश्चिम की जनता है, न पूर्व की जनता है, न कानपुर की जनता है, न लखनऊ की जनता है। ऐसा गरीब इलाका शायद ही माननीय मन्त्री जी को कभी देखने को मिला होगा। इस बात के साक्षी मेरे मित्र रामनारायण जी होंगे। अवध के ताल्लुकेदारों के सताये हुए जो इलाके हैं, उनकी रीढ़ अभी तक सीधी नहीं हुई है, तो वह ५० हजार रुपये की इमारत कैसे बनवा सकता है? इसलिए माननीय मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे इस प्रश्न पर पुनर्विचार कर लें और सम्भव हो तो जल्दी से जल्दी वहां अस्पताल बनवाने की व्यवस्था करें।

एक बात जो मुझे बहुत दिनों से चुभती है, उसे भी आपके द्वारा माननीय मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं। स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए माननीय मन्त्री जी बहुत प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन इस प्रान्त का स्वास्थ्य अच्छा कैसे हो जब तक दालदा घी को रंगने की आज तक व्यवस्था न हो पायी। उसके लिए अभी तक रंग न मिल सका। अब तो वह गांव तक पहुंच गया है, और वहां जो छोटे छोटे ग्वाले हैं, वे टिन के टिन देहात में ले जाते हैं और दूध में के साथ में मिला देते हैं। आज यह व्यवस्था हो गयी है कि प्रान्त में कहीं भी शुद्ध घी का मिलना असम्भव सा हो गया है। इसलिए आपके द्वारा एक छोटी सी प्रार्थना माननीय मन्त्री जी से करूंगा कि उनके लिए कोई काम दुस्तर नहीं है, और न मैं समझ सकता हूं कि माननीय मन्त्री गुप्ता जी के लिए कोई काम कठिन हो सकता है, इसलिए यह कैसे कठिन हो गया है कि यह काम अब तक नहीं हो सका? इस लिए मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि अगले बजट के वक्त हम उनको इस बात के लिए भी बधाई दिल खोल कर दे सकें कि उन्होंने इसे रंग दिया, ऐसी वे व्यवस्था कर दें।

*श्रीमती लक्ष्मी देवी (जिला हरदोई)--श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, जो आज स्वास्थ्य का अनुदान पेश किया गया है, मैं स्वास्थ्य मन्त्री की बहुत आभारी हूं कि उन्होंने स्वास्थ्य की तरफ इतना ध्यान दिया और देना भी उनको चाहिए था। एक अगुवा के लिए सबसे बड़ी बात

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यही होती है कि देश की कमी पर उनका पूरा-पूरा ध्यान हो, लेकिन साथ ही में उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे जिले में इस वक्त केवल एक ही महिला अस्पताल है। आप समझ सकते हैं कि रोग तो पुरुष व स्त्री सभी में आता है, लेकिन एक तहसील ऐसी है जिसमें १० महीने से कोई भी लेडी डाक्टर नहीं है। वहां अस्पताल की बुरी हालत है। माननीय मुख्य मन्त्री जी कल वहां गये थे, तो उनसे निवेदन किया था कि वहां पर ऐसी व्यवस्था तो कर दी जाय कि वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का न रह कर गवर्नमेंट का अस्पताल हो जाय, ताकि हम गवर्नमेंट से कुछ निवेदन तो कर सकें। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के जितने अस्पताल होते हैं, उनकी हालत कहीं भी अच्छी नहीं है, और यहां तो और भी खराब है। ७ साल हो गये, लेकिन हालत न सुधरी। मरीज आते हैं तो दवा नहीं मिलती। १,४०० रु० मरीजों के लिए हैं, १,४०० रु० में क्या दवा आ सकती है, क्या फर्नीचर खरीदा जा सकता है, और क्या इन्स्ट्रूमेंट्स खरीदे जा सकते हैं। तो उसकी अवस्था ऐसी बुरी है कि वह नाम मात्र के लिए ही अस्पताल हो रहा है। मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान उस तरफ ले जाना चाहती हूं और यह चाहती हूं कि वह उसको अपने हाथ में लेकर उसकी स्थिति को अच्छा करें।

दूसरी बात यह है कि गांव में चिकित्सा का जितना समुचित प्रबन्ध होना चाहिए वह अभी तक नहीं हो पाया है। वहां पर डाक्टर पहुंच गये हैं, लेकिन उनके रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं हो पायी है। उनके लिए घर तो होना ही चाहिए, क्योंकि पब्लिक के पास पैसा नहीं है कि वह अपने लिये ही घर बनवा सके तो डाक्टरों के लिये वह कहां से बनवायेगी ताकि वह रह सकें। तो जहां-जहां डिस्पेंसरीज हैं, वहां कुछ न कुछ प्रयत्न करके डाक्टरों के रहने के लिए मकानों की व्यवस्था होनी चाहिए क्योंकि डाक्टर बिना मकान की व्यवस्था के गांव में जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। कई लोगों से मुझ से बातचीत हुई है, और उन्होंने यही कहा। एक जगह मैंने एक छोटी डिस्पेंसरी के लिए घर बनवा दिया है, जो कि पूरा नहीं बन पाया है, उसकी छत अभी नहीं बनी है। गत साल भी मैंने डिप्टी मिनिस्टर से मांग की थी कि वह उसके लिए कुछ मदद दें, ताकि छत बनायी जा सके, और इस साल मैं फिर आपका ध्यान दिलाना चाहती हूं कि उसे आप ठीक करा दें। उस जगह पर ७, ८ मील तक कोई अस्पताल नहीं है, और कहीं दवा की व्यवस्था नहीं है, कि जिससे वहां की गरीब जनता कुछ लाभ उठा सके।

तीसरी बात यह है कि जनता अंग्रेजी दवाइयों के कारण उसका पूरा लाभ नहीं उठा पाती क्योंकि वे इतनी मंहगी हैं कि जिनको खरीदने में हर कोई समर्थ नहीं होता। दवाइयों की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि वह हर गरीब, अमीर को मिल सकें, और वह उसका उपयोग कर सकें, और जो उनको तकलीफ है, उसमें उनको लाभ पहुंच सके। तो इतनी बात कह कर मैं फिर उनका ध्यान दिलाना चाहती हूं और आशा करती हूं कि उस तरफ वह ध्यान देंगे ताकि लेडी डाक्टर वहां पहुंच जाय और उस अस्पताल की अच्छी व्यवस्था हो जाय ताकि जनता की जो सेवा हो सकती है, वह अच्छी तरह से हो सके।

श्री राम नारायण त्रिपाठी—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अनुगृहीत हूं विधान सभा के उन सदस्यों का जिन्होंने आम तौर पर मेरे पहले भाषण का समर्थन किया। मुझे कुछ ज्यादा कहना नहीं है, लेकिन कुछ बातों की तरफ मैं अवश्य ध्यान दिलाना चाहूंगा। पहली बात तो आम तौर पर सदस्यों ने यह ध्यान दिया कि हमारे प्रदेश में स्वास्थ्य और चिकित्सा की प्रगति अगर आंकी जाय, तो वह देहातों में कुछ नहीं है शहरों की बनिस्बत। उसकी देहातों में ज्यादा प्रगति होनी चाहिए। शहरों में और भी प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स हैं और तरह-तरह की सुविधायें हैं, लेकिन यह जान पड़ता है कि शहरों में अधिक प्रगति होती जा रही है बनिस्बत देहातों के। इस बात की ओर सरकार का ध्यान जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त स्त्रियों के सम्बन्ध में, जितनी वृद्धि उनके अस्पतालों में होनी चाहिए थी, नहीं हुई है। जहां १९४७ में ८९ अस्पताल थे, वह अब कुल १२० हैं, उनकी जनसंख्या

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

भी पुरुषों के मुकाबिले में ज्यादा हुई है। तो ऐसी अवस्था में उनके अस्पतालों की ओर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। माननीय बेचनराम जी को सारे प्रदेश में समाजवादी चिकित्सा पद्धति दिखाई दी, लेकिन सिर्फ अपने भदोही और रामनगर में नहीं दिखाई दी। तो मैं माननीय मन्त्री जी से सिफारिश करूंगा कि वह भदोही और रामनगर की ओर कुछ ज्यादा ध्यान दें। सुलेमान अधमी साहब ने यह फरमाया कि आपने एक आना एक आदमी प्रति माह का हिसाब से लगा दिया, तो क्या सारे प्रदेश के लोग बीमार हैं। उन्होंने शायद कोई रिपोर्ट पढ़ी नहीं, लेकिन यह प्रचलित तरीका है और तमाम कमेटियों ने, भोर कमेटी ने, खेर कमेटी ने, सभी कमेटियों ने इसी तरह से हिसाब लगा कर बतलाया है, और उसी तरह मैंने भी हिसाब निकाला है। अगर वह इस विषय में अनभिज्ञ हैं तो मुझे कुछ नहीं कहना।

परिवार नियोजन के बारे में मैंने इतना जरूर पढ़ा था कि रेडक्रास काम कर रही है, लेकिन माननीय बलदेव सिंह आर्य इतने से ही सन्तुष्ट हों तो मुझे कुछ नहीं कहना है, क्योंकि अगर उनकी समाजवादी योजनाओं में इतना ही हो कि रेडक्रास को १५ या २० हजार रुपया दे दिया जाय और उससे सरकार के काम की इति श्री हो जाय। खैर ठीक है, बहर हाल अब रिसर्च हो रहा है। जे० के० इन्टीट्यूट आफ सोशियालोजी में। मैं चाहूंगा और मन्त्री जी ने आशा दिलायी है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में बहुत कुछ होने वाला है। तो मैं आशा करूंगा कि परिवार नियोजन का भी प्रदेश स्तर पर सरकारी संगठन इसमें बनेगा। आंखों के अस्पताल के सम्बन्ध में जरूर मुझे कुछ शंका थी। माननीय बलदेव प्रसाद आर्य जी ने जो भाषण दिया और किसी लिहाज से नहीं तो कम से कम इस लिहाज से दारुलशफा में पड़ोसी हैं, मैं माने लेता हूं अगर कभी कोई आपत्ति होगी, तो मैं कहूंगा। स्वास्थ्य, शिक्षा (हेल्थ, एजूकेशन) के सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय, आर्य जी ने बताया कि प्रास्पेक्टस तैयार हो रहा है और सन् १९५२ में भी यही कहा गया था कि पाठ्यक्रम तैयार हो रहा है। तो तीन वर्षों तक प्रास्पेक्टस तैयार नहीं हो पाया है और उसके बाद सरकार सन्तुष्ट हो कि बड़ा भारी कदम उठाया जा रहा है, मैं समझता हूं कि नाकाफी है। इस सम्बन्ध में शीघ्र ही कार्यवाही होनी चाहिए।

आयुर्वेद के बारे में भी जो मैंने अपनी बातें कही थीं, उसका सब ने समर्थन किया और सब लोगों ने महसूस किया कि इस प्रणाली को विकसित करना है तो ऐलोपैथी की ईर्ष्या से उसको बचाना पड़ेगा। और इस सम्बन्ध में मैं समझता हूं मन्त्री जी को ज्यादा सोचने विचारने का अवसर नहीं है। वे अनुसंधानशालायें खोलें। और रही यह कि ऐलोपैथ आयुर्वेद का मजाक उड़ाते हैं और आयुर्वेद वाले ऐलोपैथ का, तो यह तो सब में हुआ ही करता है, हर एक में कुछ न कुछ खामियां हो सकती हैं, लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं जिसकी वजह से किसी एक चीज को बिलकुल उड़ा दिया जाय। इन शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर जोर देता हूं, और आशा करता हूं कि माननीय गुप्ता जी कम से कम अगले साल यह अनुदान १० करोड़ के ऊपर कर देंगे, जैसा कि आश्वासन उन्होंने दिया है ताकि हम भी सही माने में बधाई दे सकें, अभी तो प्रसन्नता ही जाहिर की है।

नियोजन मन्त्री के सभा सचिव (श्री बनारसी दास)---अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य और चिकित्सा के इस अनुदान का सदन के माननीय सदस्यों ने जो समर्थन किया है, तथा अपने मूल्यवान सुझाव दिये हैं, उसके लिए मैं बड़ा आभारी हूं। श्रीमन्, रामनारायण जी ने इस बात पर खेद प्रकट किया है कि हमारे स्वास्थ्य के बजट का अनुपात जो बढ़ता हुआ हमारा बजट है, उसके अनुसार नहीं है और डा० जवाहर लाल जी ने यह कहा है कि हमारे इस विभाग पर खर्च तमाम बजट का ५ प्रतिशत होता है, जो भोर कमेटी के अनुसार १५ प्रतिशत होना चाहिए। यह सही है कि जिस वक्त भोर कमेटी ने अपना प्रस्ताव पेश किया था, उस वक्त परिस्थिति और थी, लेकिन स्वास्थ्य और चिकित्सा का यह विषय तो समाज विज्ञान का विषय है, और वह विभाग विस्तृत हो गया है, इसलिए आज हमें तो तुलनात्मक दृष्टि से विचार करना होगा और जिनसे स्वास्थ्य में वृद्धि हो, रक्षा हो उन सभी चीजों को प्राथमिकता देनी होगी। इस लिए अपने

प्रदेश में इस अनुदान में प्रत्येक व्यक्ति पर कितना खर्च हो, इस दृष्टि से सोचें, तो चाहे हमको सन्तोष न हो। इस विभाग की प्रगति हमको इस दृष्टि से देखनी होगी कि हमने जब अपनी मंजिल शुरू की तो उस वक्त बिलकुल एक निराशा के अन्दर थे और हमारे प्रान्त का बजट उस वक्त एक बहुत ही नीचे स्तर पर था। तो अगर आप सन् ४६--४७ के आंकड़ों की तरफ गौर करें, तो चिकित्सा स्वास्थ्य का बजट १ करोड़ ४१ लाख २६ हजार ८०० रुपया था और आज आप देखेंगे कि यह ५ करोड़ से ज्यादा हो गया है, यानी तीन गुना ज्यादा हो गया है। और इस दिशा में जो स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्यायें थीं, सभी पर गम्भीरता के साथ विचार किया गया है और समस्त प्रदेश के अन्दर बीमारी का मुकाबला करने में संगठन किया गया है, और सभी मर्जों के ऊपर आशातीत सफलता भी प्राप्त हुई। तो इसलिए आज जो बजट इस सदन के सामने प्रस्तुत है, चाहे १० करोड़ का न हो, लेकिन मौजूदा परिस्थिति में हम इस पर असन्तोष प्रकट नहीं कर सकते। रामनारायण जी ने खेर कमेटी की तरफ ध्यान आकर्षित किया है। आपकी मुख्य आपत्ति यह है कि आयुर्वेद के समस्त कालेजेज को सम्बद्ध करने के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं की गयी, कोई फैकल्टी नहीं कायम की गयी। जहां तक आयुर्वेद का विश्वविद्यालय कायम करने का सवाल है, बोर्ड आफ इन्डियन मेडिसिन का उस वक्त में मत यह था कि एक फैकल्टी अलग कायम न की जाय। उसने एक अपनी विशेषज्ञ कमेटी मुकर्रर की जिसने कि आयुर्वेदिक कालेजेज के स्तर को ऊंचा करने का भार अपने ऊपर लिया और इस दिशा में बहुत कुछ उन्नति भी हुई। अब बोर्ड आफ इन्डियन मेडिसिन का मत यह है कि अलग एक फैकल्टी कायम की जाय, इस पर विचार किया जा रहा है।

हमारे माननीय मैठाणी जी ने और माननीय रामनारायण जी ने इस बात पर आक्षेप किया कि उत्तराखंड और देहरादून के कालेज को मान्यता नहीं दी गयी, उनसे मान्यता छीन ली गयी, सम्भवतः इस वजह से कि कांग्रेस दल के अन्दर पहले मैठाणी जी थे और अब वह दूसरे दल में हैं। वास्तव में अगर वह बोर्ड आफ इन्डियन मेडिसिन की कार्यवाही को देखें, कि यह विभाग किस तरह से इनका संघटन करता है, उसको देखें, तो उनको कोई इस प्रकार की आपत्ति नहीं होगी। जब आप यह चाहते हैं कि आयुर्वेद की उन्नति हो, आयुर्वेद आधुनिक साइंस की श्रेणी में आकर खड़ा हो जाय, तो यह सबसे पहला फर्ज हमारा हो जाता है कि हमारी जितनी भी शिक्षण संस्थायें हैं, आयुर्वेद की, उनका स्तर ऊंचा हो और जो ये संस्थायें गलत सार्टिफिकेट्स देती हैं, जैसा कि अभी उसी विरोधी पार्टी के एक माननीय सदस्य उमाशंकर मिश्र जी ने कहा कि बहुत सी ऐसी संस्थायें हैं जो बोगस सार्टिफिकेट्स देती हैं, तो आयुर्वेद की उन्नति के हक में उचित यही था कि इस प्रकार की संस्थायें जो हों, उनका स्तर ऊंचा करने के लिए हर मुनासिब कदम उठाया जाय। जो विशेषज्ञ समिति मुकर्रर की गयी, उस समिति ने दो साल का समय प्रत्येक संस्था को दिया कि वह अपने स्तर को ऊंचा करे। उसमें ऐसे केवल उत्तराखंड विद्यापीठ और देहरादून का विद्यालय ही नहीं था, बल्कि रामसहाय आयुर्वेदिक कालेज, मेरठ, लेखराम आयुर्वेदिक कालेज, मेरठ, आयुर्वेदिक कालेज, देहरादून, उत्तराखंड विद्यापीठ, कान्यकुब्ज आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ, अर्जुन आयुर्वेदिक कालेज, बनारस, दर्शनानन्द आयुर्वेदिक कालेज, बनारस और बलदेव आयुर्वेदिक कालेज, बनारस, इन सभी को समय दिया गया। जब दो वर्ष में वह अपना स्तर ऊंचा नहीं कर पाये, तभी उनकी मान्यता छीनी गयी। तो यह नहीं कहा जा सकता कि मान्यता देने में या मान्यता वापस लेने में किसी दलगत राजनीति से काम लिया गया है, या भेदभाव से काम लिया गया है। जहां तक देहरादून के विद्यापीठ का सम्बन्ध है, वहां की नगर पालिका चाहती है कि फिर से इसको चलाया जाय और वह प्रयत्न कर रही है। यदि उनका प्रयत्न सफल होता है तो बोर्ड आफ इन्डियन मेडिसिन इसको कायम करने की स्वीकृति दे सकता है। इसी प्रकार से बनारस के अन्दर अर्जुन आयुर्वेदिक कालेज और दर्शनानन्द आयुर्वेदिक कालेज दोनों मिल गये और उन्होंने अपने स्तर को ऊंचा करने का प्रयत्न किया है। तो इसलिए उनको मान्यता दी गयी है। तो मैं माननीय रामनारायण जी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जहां तक आयुर्वेद कालेज को मान्तया देने का प्रश्न है, इसमें किसी भेदभाव या किसी राजनैतिक भेद-भाव का कोई

[श्री बनारसी दास]

सवाल नहीं है। वह तो एक आयुर्वेद के हित की बात है। आपने यह भी प्रश्न उपस्थित किया कि यहां एक आयुर्वेद कालेज कायम किया, तो उसका प्रिंसिपल डा० याजनिक को बनाया गया। आज वह उसके प्रिंसिपल नहीं हैं। इस वक्त में हमारे डिप्टी डाइरेक्टर, जो स्वयं आयुर्वेद के एक विद्वान हैं, वह इसके प्रिंसिपल हैं और इस बात की कोशिश की जा रही है कि उसके प्रिंसिपल शीघ्र ही कोई आयुर्वेद के योग्य विद्वान हों। इसलिए इस दिशा में यह शिकायत उचित नहीं मालूम होती। जिस वक्त डाक्टर याजनिक को प्रिंसिपल बनाया गया था, वह केवल उसका संघटन करने के लिए उनको बनाया गया था। इसलिए कि उनको ऐसे इन्स्टीट्यूट को चलाने का काफी अनुभव था, उसको एक ठीक लाइन पर चला दें, उसके बाद इरादा यही था कि आयुर्वेद के कोई विद्वान ही उसके प्रिंसिपल हों। तो जहां तक आयुर्वेद को तरक्की देने के लिए, उसके स्तर को ऊंचा करने का प्रश्न है, उसमें सरकार पीछे नहीं हटी है।

आप ने यह भी आपत्ति की कि खेर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार ५ मेडिकल कालेजेज हमारे प्रदेश में कायम होने चाहिए थे। जहां तक मेडिकल कालिजों के ग्रेजुएट्स का सवाल है, लखनऊ और आगरा मेडिकल कालिज में ऐडमिशन्स में वृद्धि करने से इस वक्त मेडिकल ग्रेजुएट्स का अभाव नहीं है, बल्कि पी० एम० एस० टू की सर्विसेज के लिए इस वक्त काफी मात्रा में मेडिकल ग्रैजुएट्स उपलब्ध हैं। लेकिन कानपुर में मेडिकल कालिज कायम करने के लिए जो सरकार का वादा था, सरकार अब भी उस पर कायम है। एक कमेटी मेडिकल कालिज कानपुर में कायम करने के सम्बन्ध में कायम की थी। उसकी रिपोर्ट सरकार के सामने आ चुकी है। सरकार उस पर विचार कर रही है, और शीघ्र ही इस बात का प्रयत्न किया जायगा कि कानपुर के अन्दर एक मेडिकल कालिज कायम किया जाय। कुछ सदस्यों ने यह आपत्ति की है कि जिस तरह से कि माडर्न साइंस के कालेजेज को मान्यता दी गयी है, उनके विकास के लिए प्रयत्न किया गया है, उसी प्रकार से आयुर्वेदिक कालेजेज के लिए हो और एक माननीय सदस्य ने यह कहा खास तौर से कि यूनानी की उपेक्षा की गयी है। अगर आप गौर से इस विभाग की कार्य गति को देखें, तो हमारे प्रदेश में आज आयुर्वेद के कितने कालिज हैं। बनारस है, हरिद्वार का कालिज, गुरुकुल कांगड़ी, ऋषिकुल है, पीलीभीत है, बुन्देलखण्ड विद्यालय है। वहां सब को सरकार ने मान्यता दी है, और यदि सरकार की सहायता को आप देखें, तो ४–५ साल में उत्तरोत्तर बनारस यूनिवर्सिटी, पीलीभीत, बुन्देलखंड विद्यालय, गुरुकुल कांगड़ी और ऋषिकुल कालेज की ग्रांट बढ़ती चली जा रही है, जिस से ये कालिजेज एक उचित स्तर पर आयें और आयुर्वेद की समुचित सेवा कर सकें, वहां पर आयुर्वेद का विकास हो सके, अनुसंधान हो सके, और वहां से जो भी आयुर्वेद के ग्रैजुएट्स हों, वह आकर के इस प्रदेश की सेवा कर सकें।

एक मुझे इस बात का दुःख है कि कुछ सदस्यों ने इस बात की आशंका प्रकट की है कि जब तक कि आयुर्वेद का डायरेक्टोरेट अलग नहीं होगा, उस वक्त तक आयुर्वेद की सेवा नहीं हो सकती है। यदि व्यावहारिक दृष्टि से देखें, तो आयुर्वेद और यूनानी के उप-संचालक एक प्रकार से इस वक्त स्वतंत्र हैं। लेकिन आधुनिक विज्ञान और किसी भी चिकित्सा प्रणाली के बीच में रेखा नहीं खींची जा सकती। यदि आपके इस सुझाव को मान लिया जाय तो होम्योपैथी के लिए भी अलग डायरेक्टोरेट हो, नेचरोपैथी के लिए भी डायरेक्टोरेट हो और फिर आयुर्वेद की तरह यूनानी के लिए भी डायरेक्टोरेट हो। तो फिर जहां तक हमारे प्रदेश के स्वास्थ्य का सवाल है, वहां डायरेक्टोरेटों की एक प्रदर्शिनी बन जाय। यह उचित नहीं मालूम पड़ता। इसमें कहां तक पब्लिक एक्सचेकर के रुपये का सदुपयोग होगा? अगर इस प्रकार से डायरेक्टोरेट की मांग की जायगी, तो उसका एक ही तर्क संगत नतीजा हो सकता है कि हमारे देश की एक चिकित्सा प्रणाली हो, केवल एक ही को मान्यता दी जाय। बाकी प्रणालियां हमारे देश के अन्दर, प्रदेश के अन्दर फलें फूलें, लेकिन सरकार केवल एक को मान्यता दे। तो यह उचित नहीं मालूम पड़ता। मैं समझता हूं कि उसमें अगर देखा जाय, तो एक थोड़ा संकीर्ण दृष्टिकोण है। जहां तक हमारी डायरेक्टोरेट का सवाल है, हो सकता है कि कुछ लोगों में द्वेष हो, लेकिन उसकी पूरी सहानुभूति आयुर्वेद और यूनानी से है, और उसके संगठन करने में उन्होंने कभी भी

उपेक्षा नहीं दिखलायी है, और न कभी उन्होंने आयुर्वेद या यूनानी प्रणाली के प्रति उसके संगठन में किसी तरह द्वेष के भाव को दिखलाया है। तो जहां तक कोई भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण कोई रखता है, उसके अन्दर द्वेष, भेद-भाव और संकीर्णता का कोई स्थान नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण तो केवल एक सत्य का अन्वेषण और सत्य की खोज करता है। तो एक तरफ तो आप यह चाहते हैं कि सर्जरी हो, यह भी चाहते हैं कि वहां पर पेनिसिलीन इत्यादि अन्य दवाएं भी रखी जायं, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि उसकी डायरेक्टोरेट भी अलग हो, एक तरफ मिलन की बात और दूसरी तरफ अलहदगी की बात, ये दोनों चीजें कहां तक साथ-साथ जा सकती हैं।

अभी धर्मदत्त जी ने कहा कि यह सही है, उन्होंने इस बात के लिए तो धन्यवाद दिया कि आयुर्वेद के व्यक्तियों का स्केल बढ़ाया गया है, लेकिन वह काफी नहीं है। अगर आप गौर से देखें, तो मालूम होगा कि उनका ग्रेड पी० एम० एस० (२) के अनुसार है, और दूसरा ग्रेड एस० पी० एम० एस० के अनुसार है। यह हमारी सरकार का एक साहसपूर्ण कदम है जिससे आगे जाकर यह होगा कि जो हमारे आज विद्यार्थी एम० बी० बी० एस० की ओर जाते हैं, वह रुकेंगे, तो इस समय जो बहुत बड़ी तादाद हमारे यहां एम० बी० बी० एस० और पोस्ट ग्रैजुएट्स की आती है, वह पी० एम० एस० (२) में ही रखे जाते हैं। यह कहना कि उनको कोई लाभ नहीं हुआ ठीक नहीं है, क्योंकि मौजूदा ग्रेड १२० से २०० रुपये का होगा, तो उनको अवश्य लाभ होगा।

इसके अलावा यह भी आलोचना की गयी है कि यह कितने मजाक की बात मालूम होती है कि आयुर्वेदिक इन्स्पेक्टर्स जो ६ जिलों में हैं उनको हेल्थ आफिसर्स के नीचे रखा गया है। अब तक इन्स्पेक्टर्स गजटेड आफिसर्स नहीं थे, इसलिए उनकी डायरी चेक करने के लिए और उनकी छुट्टी वगैरा के लिए किसी के देखरेख की भी आवश्यकता थी या नहीं। यह तो आप जिलों में भी देखेंगे कि नियोजन विभाग है, उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का कन्ट्रोल तथा सुपरविजन रहता है तथा अन्य विभागों पर भी जिलों में रहता है, तो यह आलोचना क्या उचित होगी कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट क्योंकि टेक्नीकल हैन्ड नहीं है, इसलिए इसका नियंत्रण इन्जीनियरों पर या टीचरों पर क्या उचित होगा? यह तो एक प्रशासन का सवाल था और केवल ऐडमिनिस्ट्रेटिव कन्ट्रोल था और उनकी डायरी चेक करने के लिए तथा छुट्टी वगैरा का इन्तजाम करने के लिए हेल्थ आफिसर के अधीन उनको रखा गया था। जहां तक डिस्पेंसरीज के मुआइने का सवाल है, उसमें उनके ऊपर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं था।

श्री सत्यसिंह राणा ने कहा कि माननीय मन्त्री जी ने नरेन्द्रनगर के लिए वायदा किया था लेकिन अभी तक वहां पर एक्सरे प्लान्ट नहीं पहुंचा है, वहां जरूर एक्सरे प्लान्ट पहुंच गया है। श्री बेचन राम गुप्त ने भदोही के सम्बन्ध में कहा था कि माननीय मन्त्री जी ने वायदा किया था कि वहां जनाना अस्पताल खोलेंगे। लेकिन इसके सम्बन्ध में यह बात है कि जब इस बजट के प्रपोजल पहुंचे तो उस समय तक रिपोर्ट नहीं आयी थी कि वहां रुपया एकत्रित हो चुका है, और सहयोग मिल रहा है। लेकिन मन्त्री जी ने जो वायदा किया है, वह बिलकुल सही है और जब रिपोर्ट आ चुकी है तो भदोही में जनाना अस्पताल अवश्य कायम किया जायगा और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि एक्सरे प्लान्ट भी जरूर पहुंचाया जायगा, जैसा कि मन्त्री जी ने वायदा किया था। यह बात नहीं थी कि वह अपने वायदे को पूरा नहींक रना चाहते थे। श्री सत्यसिंह राणा ने यह भी कहा कि ५ मील के क्षेत्र में एक डिस्पेंसरी कायम करने की बात है तो उसके सम्बन्ध में यह है कि ५ मील की बात तो आवश्यक है लेकिन आबादी को ध्यान में रखकर है। जहां तक टेहरी-गढ़वाल का सवाल है, वहां १२ एलोपैथिक और ४३ आयुर्वेदिक डिस्पेंसरीज हैं। इस प्रकार से कुल मिलाकर ५५ डिस्पेन्सरीज हैं, और अब तीन और तिब्बत के बार्डर पर कायम की जा रही हैं। इसलिए आबादी के अनुपात के लिहाज से हर ५ मील के पीछे एक डिस्पेंसरी की बात ठीक नहीं होगी।

[श्री बनारसी दास]

सदन के बाज माननीय सदस्यों ने मन्त्री जी का ध्यान बांसी के अस्पताल की तरफ भी आकर्षित किया है। बांसी में अस्पताल कायम करने के लिए सरकार ने जिक्र किया था। लेकिन उसके लिए उपयुक्त स्थान नहीं मिल सका। इस वर्ष किराये का मकान लेकर सरकार इरादा रखती है कि वहां पर जनाना अस्पताल कायम किया जायगा। जहां तक बस्ती जिले में चिकित्सा का सवाल है, तो वहां की आबादी को देखते हुए डिस्पेंसरीज का नम्बर ३९ है और जहां तक ५ मील के रेडियस का सवाल है, तो ३६ होनी चाहिए। यह हो सकता है कि हर ५ मील के रेडियस में अस्पताल न हों, लेकिन जहां तक संख्या का सवाल है, वह जिले की आबादी के अनुपात से कम नहीं है और इस बात की कोशिश की जा रही है कि फिर से उनको व्यवस्थित किया जाय और हर ५ मील के रेडियस में अस्पताल हो।

माननीय सदस्यों ने और भी जिलों के सम्बन्ध में अपने-अपने सुझाव दिये हैं। इतने थोड़े से समय में सभी का जवाब देना तो मेरे लिए सम्भव नहीं है। लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूं कि उनके जो सुझाव हैं उनके लिए भरसक प्रयत्न किया जायगा पूरा करने का और जहां तक सम्भव हो सकेगा, उनको कार्यान्वित किया जायगा। एक बार मैं सभी सदस्यों के प्रति अपना आभार प्रदर्शित करता हूं।

श्री कल्याणचन्द्र मोहिले उपनाम छुन्नन गुरु (जिला इलाहाबाद)—श्रीमन्, मैं माननीय मन्त्री जी से एक बात पूछना चाहता हूं। क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि जब वह इलाहाबाद गये थे तो उन्होंने वहां पर मेडिकल कालेज के लिए कहा था कि वह वहां पर बहुत जल्द बनेगा। इस बजट में उसका कोई जिक्र नहीं है, तो अब सरकार का क्या विचार है ?

*श्री चन्द्रभानु गुप्त—अध्यक्ष महोदय, जहां तक इलाहाबाद में मेडिकल कालेज बनाने का प्रश्न है, जब मैं इलाहाबाद गया तो यह प्रश्न वहां डा० सगुण ने उठाया था। उस समय मैंने उनसे निवेदन किया था कि इलाहाबाद के मेडिकल कालेज निर्माण का विषय तब उठेगा जब कानपुर का मेडिकल कालेज बन जायगा। और वह बात उनसे इसलिए कही थी कि कानपुर में मेडिकल कालेज बनाने में सरकार का बहुत कम पैसा लगेगा, क्योंकि वहां पर सरकार के पास तीन बड़े अस्पताल हैं, जिनमें करीब एक हजार मरीजों का इलाज हो सकता है, और जिनमें एक हजार बेड्स से अधिक वहां पर हैं। जब सरकार के पास वहां पर तीन बड़े अस्पताल हैं तो वहां पर मेडिकल कालेज बनाने में बड़ी सुविधा है। मैंने इलाहाबाद में मेडिकल कालेज बनाने के विषय में उनसे यह निवेदन किया था कि जब कानपुर का मेडिकल कालेज बन जायगा तब इलाहाबाद के मेडिकल कालेज के बनाने का प्रश्न उठेगा। अभी इलाहाबाद में एक नया अस्पताल बनने वाला है। जिस स्थान पर वह बनेगा, वहां पर हमने यह आदेश दिया है कि इस बात की गुंजाइश रखी जाय कि वहां पर बाद को मेडिकल कालेज बनाया जा सके। इसलिए जो इन्जीनियर नक्शे का डिजाइन बना रहे हैं उसमें इलाहाबाद में मेडिकल कालेज बनाने की व्यवस्था रखी जायगी परन्तु उसके निर्माण का कार्य कानपुर के मेडिकल कालेज के बन जाने के बाद ही किया जा सकता है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—मैं यह जानना चाहता हूं कि आयुर्वेदिक के सम्बन्ध में जो एक्सपर्ट कमेटी बैठेगी, उसकी रिपोर्ट क्या हमको माननीय मन्त्री जी देंगे ?

श्री अध्यक्ष—यह विषय इससे सम्बन्ध रखने वाला नहीं है।

(कुछ ठहर कर)

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १९ के अन्तर्गत एक रुपये की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि वित्तीय वर्ष १९५५-५६ के लिए आय-व्ययक में अनुदान संख्या १९—चिकित्सा (लेखा शीर्षक ३८—चिकित्सा) के अन्तर्गत ३,०३,८४,२०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २० के अन्तर्गत एक रुपये की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि वित्तीय वर्ष १९५५-५६ के लिए आय-व्ययक में अनुदान संख्या २०—जनस्वास्थ्य (लेखा शीर्षक ३९—जनस्वास्थ्य) के अन्तर्गत १,४८,१६,४०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४१—लेखा शीर्षक ६३—असाधारण व्यय

*नियोजन मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४१ (लेखा शीर्षक ६३—असाधारण व्यय) के अन्तर्गत ३३,९४,१०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जिस अनुदान को मैं आज सदन के विचारार्थ उपस्थित कर रहा हूं, उसका विषय उन विषयों से सम्बन्ध रखता है जिस विषय के तहत में प्रत्येक वर्ष में जब वह सदन के समक्ष आता था, तो करोड़ों की मांग प्रस्तुत किया करता था। मुझे प्रसन्नता है कि वह करोड़ों की मांग घटकर आज सिर्फ लाखों की मांग रह गयी है। जब मैं यहां पर करोड़ों की मांग पेश करता था, तो सदस्यगण यह समझकर कि करोड़ों की मांग जरूरी है, उसके लिए मंजूरी प्रदान किया करते थे। अब मुझे इस बात के बताने की आवश्यकता नहीं है और न मैं यह मुनासिब ही समझता हूं कि इस विषय पर यहां पर प्रकाश डालूं। क्योंकि सदस्यगण इस बात से भलीभांति परिचित हैं कि अब ऐसा समय आ गया है कि नियंत्रण हमारे प्रदेश से करीब करीब उठ गये हैं। सन् १९५२ में यह कहा गया था कि अब नियंत्रण उत्तरोत्तर हमारे बीच से हटते जायेंगे, उस दिन से अब यह संभव हो सका है कि जहां तक खाद्यान्न के नियंत्रण का सम्बन्ध है, वह हट गये हैं। ६-७ महीने पहले, हमने यह निर्णय किया था कि कोर्स ग्रेन के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के आदेशानुसार नियंत्रण हटाया जाय और वे हमारे प्रदेश के बाहर भेजे जा सकते थे, लेकिन जहां तक गहूं का सम्बन्ध था, वह हमारे प्रदेश के बाहर नहीं जा सकता था। दिसम्बर में केन्द्रीय सरकार ने यह निर्णय किया कि जोन बना दिये जायं, और उस जोन में उत्तर प्रदेश और बिहार सम्मिलित कर दिये गये। उसके अनुसार उत्तर प्रदेश का गेहूं बिहार जा सकता था, लेकिन वह भी नियंत्रण ७-८ दिन हुए केन्द्रीय सरकार ने हटा दिया है, इस प्रकार गेहूं पर भी अब नियंत्रण नहीं है। इस प्रकार जहां तक खाद्यान्नों का सम्बन्ध है, उन पर से एक जगह से दूसरी जगह जाने पर जो नियंत्रण था, वह हटा लिया गया है और न उसके कंजम्पशन पर है। लेकिन इसने चन्द और बातें हमारे बीच में पैदा कर दी हैं। एक बात यह है कि कोर्स ग्रेन के दाम रोजमर्रा बड़ी तेजी से साथ गिरते जा रहे हैं। उनके गिरने से हमारे प्रदेश के किसानों के लिए और हमारे प्रदेश की ऐग्रीकल्चर एकोनोमी के लिए बहुत कठिनाई पैदा हो गयी है। और अगर यह दाम घटते ही गये, तो हमारी जो ऐग्रीकल्चरल एकोनोमी है, उसके आर्थिक ढांचे में बड़ा भारी अन्तर पैदा हो सकता है। इसलिए इस विभाग पर प्राइसेज के स्टैबिलाइज करने का काम भी आ गया है। केन्द्रीय सरकार के अभी आदेश मिले हैं कि ज्वार, बाजरा, मक्का और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

चना आदि की खरीद आरम्भ कर दी जाय और वह केन्द्रीय सरकार के आदेशानुसार कर दी गयी है। इसके अतिरिक्त गुड़ की कीमतें भी गिर रही हैं। उसकी भी खरीदारी हो रही है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि उसकी प्राइसेज को भी संतुलित कर सकें, लेकिन यह एक विवाद-ग्रस्त विषय है, कि हम उसमें कहां तक सफलता प्राप्त कर सकेंगे। मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि इस प्रकार से दामों का गिरते जाना प्रदेश और सारे देश में चिन्ता की बात पैदा कर सकता है। जहां तक सरकारी विभाग का सम्बन्ध है, मैं सरकार की ओर से प्रदेश के किसानों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार का यह बराबर प्रयत्न रहेगा कि वह इस प्रकार से घटती के जमाने में ऐसे प्रयास करे, जिससे ऐग्रीकल्चरल एकोनोमी को नुकसान न पहुंचे और बेचारे किसान तबाही के रास्ते पर न चले जायं। इस विषय में और अधिक नहीं कहना चाहता, केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार से जो आदेश आ रहे हैं, उनका हम पालन कर रहे हैं और उनकी ओर से जो एक कमेटी इस बारे में बैठी हुई है वह इस प्रश्न पर विचार कर रही है। उसकी जो सिफारिशें होंगी, उनके अनुसार हम कार्य करने की चेष्टा करेंगे कि जिस से घटती हुई कीमतें इस प्रकार से न घट जायं जिससे जो इसका आर्थिक ढांचा है, वह खतरे में पड़ जाय।

इसके अतिरिक्त इस विभाग के तहत में कुछ ऐसी चीजें रह गयी हैं जिन पर थोड़ा बहुत नियंत्रण बाकी है, नमक पर अभी कुछ नियंत्रण है। सरगोधा और धरंधरा नमक हमारे यहां काफी मात्रा में आता है, लेकिन सांभर नमक की मात्रा आजकल कुछ कम हो रही है, इसलिए सांभर नमक की कमी है, और उसकी मांग प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में अभी तक है।

सीमेंट की जो कमी हम पहले महसूस करते थे और जो करीब-करीब २५ लाख टन हमारे प्रदेश में आता है उसकी ज्यादा कमी हमें नहीं है। ऐसे आवश्यकता तो हमारे प्रदेश में सीमेंट की अधिक है और वह करीब-करीब ३५ लाख टन प्रतिमास के करीब आ रही है। जब कि मिर्जापुर सीमेंट फैक्ट्री के बन जाने से जो केंद्रीय सरकार से पहले हमें कोटा मिलता था उसमें थोड़ी सी कमी हुई और उसमें जो कमी हम महसूस करते हैं वह उत्तरोत्तर घटती जायगी।

जहां तक आयरन व टीन के प्रोडक्शन का संबंध है उनका नियंत्रण करीब-करीब बिलकुल हट गया है सिवा उन गैलवनाइज्ड शीट्स के जो कम मात्रा में पैदा होते हैं। उनके ऊपर अभी नियंत्रण है और अभी नियंत्रण रखना जरूरी है। हमारे यहां फायरवुड्स पर भी कंट्रोल था, जो जंगलों से लकड़ी आती थी वह प्रदेश के विभिन्न कस्बाल टाउन्स व अन्य टाउन्स में वितरित होती थी और एक बंधी हुई कीमत पर बिकती थी। सिवा खेरी जिले के फारेस्ट के हमारे यहां जो लकड़ी आती है, उस पर तो अभी नियंत्रण हमने रखा है और वहां से जो लकड़ी आती है वह कानपुर, लखनऊ आदि शहरों में वितरित की जाती है जो बुन्देलखंड व बांदा की लकड़ी है, उस पर जो हमने नियंत्रण रखा था वह हटा दिया है और वहां की लकड़ी अब किसी स्थान पर भेजी जा सकती है।

जहां तक कोल डस्ट की बात है वह उस मात्रा में हमारे प्रदेश में नहीं आ पाती जिस मात्रा में उसकी आवश्यकता है। पहले २५ वैगन के करीब प्रतिमास हमें मिल जाया करता था लेकिन अब वह १६-१७ वैगन से ज्यादा नहीं आता है। इसी तरह से ईंट के ऊपर भी नियंत्रण है क्योंकि जब जिलों से इस प्रकार की मांग आयी तो उसको जारी रखा गया है। ऐसे ही मकानों पर तो नियंत्रण अभी चल ही रहा है क्योंकि मकानों की व्यवस्था तो आज भी वैसी ही बनी हुई है जैसा कि कई वर्ष पहले कभी अनुभव की जाती रही है। लेकिन प्रदेश की सरकार ने एक हाउसिंग कमेटी हमारे माननीय वित्त मंत्री के तहत में नियुक्त की है और वह सारे प्रदेश की हाउसिंग समस्या पर विचार कर रही है। उस कमेटी की सिफारिश आने के बाद प्रादेशिक सरकार अवश्य इस तरह की जो सिफारिशें होंगी उन पर विचार करके उनको कार्य रूप में परिणित करने की चेष्टा करेगी। जहां तक मकानों की समस्या है इसको हल करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने एक योजना बनायी है जिस योजना के तहत में जो लोग सरकार से रुपया

उधार लेकर मकान बनाना चाहते हैं वे बना सकते हैं। कदाचित् इस रुपये के द्वारा हम मकान बनाने की समस्या का निराकरण कर सकेंगे। परन्तु जैसा कि अभी हमने कहा कि मकानों के ऊपर नियंत्रण अभी जारी है और जो मकानों के नियंत्रण का कानून है, अभी थोड़े ही दिन हुये असेम्बली और कौंसिल ने पास किया है और उसमें उचित परिवर्तन करके इस बात की व्यवस्था रखी है जिससे मकानों के मालिकों और किरायेदारों को अधिक तकलीफ न हो और वे ठीक तरह से आपस के ताल्लुकात रखते हुये इस प्रकार के कार्य करें कि यह समस्या उत्तरोत्तर हमारे बीच में से घटती जावे।

साफ्ट कोक पर अभी नियंत्रण है। उसकी सप्लाई जितनी इस प्रदेश की आवश्यकता है उतनी मात्रा में नहीं हो रही है। आज तो इस बात का प्रयास किया जा रहा है कि साफ्ट कोक अधिक मात्रा में शहरों और देहातों में चलाया जाय क्योंकि यदि इसका चलन अधिक मात्रा में हो जावे तो काऊ डंग जो खेती के लिये खाद के काम आता है और जिसका मैन्योर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, आज उसको देहातों में लकड़ी के रूप में जलाया जाता है। इसलिये केंद्रीय सरकार के बहुत से विशेषज्ञों ने इस बात पर जोर दिया है कि हमारा यह कर्त्तव्य होना चाहिये और प्रत्येक प्रदेश की सरकार का यह कर्त्तव्य होना चाहिये कि साफ्ट कोक का वितरण और उसका इस्तेमाल अधिक मात्रा में प्रदेश में बढ़ाया जावे। लेकिन आज प्रदेश के रहने वालों की जितनी आवश्यकता है उस मात्रा में वह प्राप्त नहीं हो रहा है। हमारा यह कर्त्तव्य है कि इस विभाग का काम उत्तरोत्तर घटता जावे। सन् १९५२ में जब कि नियंत्रण तोड़ने की बात सोची गयी उस समय करीब १० लाख आदमी इस विभाग में कार्य करते थे और आज चार पांच महीने पहले तक इस विभाग में चार हजार के करीब व्यक्ति काम करते थे और अब उनकी संख्या केवल १,९०० के करीब रह गई है और यह संख्या भी ऐसे व्यक्तियों की है जो हमारे बचे हुये नियंत्रण के संबंध में और जो गल्ला केंद्रीय सरकार द्वारा खरीदा जाता है उस को रखने आदि के लिये प्रबन्ध करते हैं और इस तरह से मैं कह सकता हूं कि अब विभाग के कर्मचारी काफी संख्या में कम हो गये हैं। साथ ही सरकार की यह भी चेष्टा है कि ऐसे कर्मचारी जिन्होंने अच्छा काम किया है और ईमानदारी का परिचय दिया है और जिन्होंने आठ दस साल इस विभाग में काम किया है उनको प्रदेश के अन्य विभागों में समुचित रूप से लगाया जाय और हम उनके उस प्रदेश की सेवा के कार्य को नहीं भूल सकते हैं और हम अपना कर्त्तव्य समझते हैं कि ऐसे व्यक्तियों को अधिक से अधिक मात्रा में जहां तक संभव हो नौकरी दिलाने का प्रयत्न करें। अब क्योंकि समय अधिक नहीं है इसलिये मैं अधिक और न कहूंगा और इन चन्द शब्दों के साथ सदन की स्वीकृति के लिये इस अनुदान को पेश करता हूं।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से इस प्रस्तुत अनुदान में एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव उपस्थित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि नियंत्रण अब काफी वस्तुओं पर समाप्त हो गया है और विश्वास भी है कि शेष पर जल्द समाप्त हो जायेंगे लेकिन स्वयं माननीय गुप्त जी ने भी महसूस किया कि किसानों के गल्ले की कीमतें बहुत कम होती चली जा रही हैं। केंद्रीय और प्रादेशिक दोनों ही सरकारों को इसकी विशेष चिन्ता है। इस सरकार की ओर से जो रिपोर्ट छपी है उसको जब हम ने देखा तो यह कहने में मैं हिचकता नहीं हूं कि इतनी जानकारी पहले नहीं थी इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद चकित हो गया। कितनी बड़ी गिरावट गल्ले के भावों में सन् ५२ से ५४ तक हुई है। बाजरे और चावल आदि गल्लों की कहीं ४० प्रतिशत, कहीं ४८ प्रतिशत और कही ५० प्रतिशत गिरावट हुई है। इसके अलावा इस वर्ष जो मोटे गल्ले की कीमतें घटी हैं मेरा ख्याल है कि माननीय रसद मंत्री जी को शायद इस का पता न हो कि किन्हीं-किन्हीं देहातों में इस साल गल्ले की काफी पैदावार हुई है और जहां फसल अच्छी हुई है वहां से लोग आते हैं तो उन से पता चलता है कि गल्ले के दाम एक दम गिर रहे हैं और किसानों की हालत बहुत खराब होने लगी है। साढ़े ६ रुपये मन जौ और दस रुपये मन गेहूं और ५ रुपये मन चना बिक रहा है। केंद्रीय सरकार ने दिसम्बर सन् ५४ में आदेश निकाला था कि गल्ले की कीमतों पर

[श्री रामसुन्दर पाण्डेय]

कंट्रोल होना चाहिये लेकिन अब मार्च का महीना बीत रहा है ४ माह के बाद भी प्रादेशिक सरकार की ओर से इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। किसान देहातों के रहने वाले हैं और जिन का जीवन गल्ले पर ही निर्भर है उनके माल की कीमतें इस तरह से गिरती हैं और उसके मुकाबिले में जो कारखानों से पैदा होने वाला सामान है उनकी कीमतों में अभी कोई गिरावट नहीं है, उसकी कीमत उसी प्रकार चली आ रही है जैसे सन् ५२ में थी। इस तरह से किसान के माल में और कारखानों के माल की कीमतों में कोई संतुलन नहीं रह गया है और अफसोस है कि सरकार इस दिशा में अभी बिलकुल नाकामयाब रही है। इस समय देहातों की हालत बड़ी चिन्तनीय हो गई है क्योंकि सन् ५० में जो कपड़ा जिस भाव से बिकता था वह आज भी उसी भाव से बिक रहा है। सन् ५० में जो धोती का जोड़ा ७ या ८ रुपये में बिकता था वह आज भी उन्हीं दामों में उस किसान को मिलता है और जो सीमेंट सन् ५० में ५ रुपया ४ आना बोरी थी वह आज भी उसी रेट से मिलती है। मालगुजारी, टैक्स आदि में बढ़ोत्तरी है लेकिन किसान के गल्ले की कीमतें उत्तरोत्तर इतनी कम होती जा रही हैं कि जिससे कि सान की कमर टूट रही है। और मुझे इस बात का विशेष दुख है कि प्रादेशिक सरकार इस दिशा में कि "भावों में सामञ्जस्य हो" बिलकुल असफल है इसी प्रकार गुड़ के संबंध में भी माननीय गुप्त जी ने कहा कि हमने यह सोचा था और कोशिश भी की कि गुड़ की कीमत गिरने से रोकें लेकिन जब आदेश हुआ उस समय मैं गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया और जो जिले हमारे पास में हैं, जहां कोई शुगर मिल नहीं हैं, उन देहातों में घूमने का अवसर मिला था। उन जिलों में जहां किसानों के लिये कोई साधन नहीं है कि वे अपने गन्ने को मिलों तक पहुंचा सकें वहां के किसान कोल्हू में अपने ईख को पेरते हैं, उससे गुड़ बनाकर और उसको बेंचकर अपने लिये कपड़ा और दूसरे सामान सुलभ किया करते हैं। लेकिन हमने देखा कि साढ़े पांच रुपया, ६ रुपया और ७ रुपये मन तक बाजार में गुड़ के भाव रहे और बलिया, बिलथरा रोड जो हमारे घर के पास ही है जो बहुत बड़ी गुड़ की मंडी है, हमारे जिले में गोंडा, कोयागंज, अतरौलिया की जो मंडी है वहां भी अच्छे किस्म का गुड़ ६ रुपये, ७ रुपये मन पर बिका है। और उस वक्त हमने चिट्ठी लिखी सरकार के पास लेकिन कोई रोकथाम नहीं हुई। गुड़ की खरीद भी उन्हीं शहरों और जिलों में की गई है जिनके पास मिलें हैं और जहां पर मिलें नहीं हैं वहां गुड़ के न खरीदने से मैं समझता हूं कि दो करोड़ रुपया किसानों का नुकसान हो गया है।

इसके अलावा ईंट कोल और सीमेंट के बारे में भी गुप्ता जी ने चर्चा किया है। ईंटों के बारे मे यह बात सही है कि ईंटें अधिक बनने लगी हैं, चूरा कोल भी ज्यादा तादाद में कोआपरेटिव सोसाइटीज को देने का प्रबन्ध किया गया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सोसाइटीज के जरिये से या प्राइवेट भट्ठों के जरिये से जो ईंटें तैयार हो रही हैं उसकी कीमतों में कोई विशेष अन्तर नहीं है। इसमें कहा गया है कि अव्वल ईंट प्रति हजार २२ से ३० रुपये, द्वितीय २२ से १३ रु० और तृतीय २१ से १३ रु० तक आदि इस तरह की ईंटों की कीमत है। कोआपरेटिव सोसाइटी के भट्टे और प्राइवेट भट्टे हैं उनको जो कोयला देने में पक्षपात किया जाता है उससे काफी परेशानी प्राइवेट भट्ठों को उठानी पड़ती है। इसका नतीजा यह होता है कि किसानों को यदि अपने खेत में कुआं बनाना है, या यदि वह अपना मकान बनाने वाला है और वह सरकार के पास या सरकारी अधिकारी के पास आवेदनपत्र भेजता है तो कोयला होता भी है तो भी उसको परमिट नहीं मिलता। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि ईंटों और कोयले के मामलों में काफी कोताही हुई है। यह सही है कि सीमेंट का उत्पादन बहुत अधिक हुआ है लेकिन देहातों में किसानों को आज भी उतनी ही परेशानी उठानी पड़ती है जितनी वह उठाता रहा है। अध्यक्ष महोदय, तीस-तीस और चालीस-चालीस मील की दूरी पर रहने वाला किसान प्रार्थना-पत्र लेकर जिला सप्लाई आफिस में आता है और वहां उसको दो-दो दिन रुकना पड़ता है और अगर सीमेंट है तो भी या तो परमिट नहीं पाता या परमिट मिल भी जाता है तो १० मील, २० मील की दूरी पर उसे लाने के लिये परमिट मिलता है और उसको लाने और घर तक सामान लाने में उसको

कीमत के अलावा ५० रुपये से अधिक नुकसान होता है। उस संबंध में मैं गुप्ता जी से निवेदन करूंगा कि सीमेंट की दूकानें देहाती क्षेत्रों में काफी फैला दें। केवल शहरों में ही सीमेंट की दूकानें न रहें।

अब जहां तक साफ्ट कोक और ईंधन की बात है अगर देहातों में फैलाई जायं तो मैं समझता हूं कि लोग उससे लाभ उठा सकेंगे। यह बात सही है देहात का आदमी जो गोबर की खाद होती जिससे कि सही माने में गल्ले की पैदावार हो सकती है उसको न बनाकर ईंधन के काम में लाते हैं। अगर साफ्ट कोक देहातों में, छोटे-छोटे कस्बों में फैलायी जाय तो उससे अधिक से अधिक लाभ हो सकता है, लेकिन जो रिपोर्ट है ; उसको देखने से पता चलता है कि गुप्ता जी शायद इस सिलसिले में अभी अधिक दिनों तक कामयाब न हो सकें क्योंकि लगातार कमी होती चली जाती है।

इसी तरह से रहने के मकानों का किराया और किराये पर उठने वाले मकानों की समस्या है। अध्यक्ष महोदय, शहर में जिस प्रकार की आबादी है और जैसे ही आबादी बढ़ती जाती है उसी तरह से हम देखते हैं कि वहां पर मकानों की समस्या भी बढ़ती जाती है और सरकार इस समस्या को हल नहीं कर सकती है। मैं आपकी रिपोर्ट देखने के बाद यह कहने के लिये तैयार हूं कि सन् १९५१ की जनगणना के अनुसार ५०,३५,२६६ आदमी शहरों में रहते हैं, इसके लिये जहां १०,०८,५४८ मकानों की आवश्यकता है ऐसे मकानों की जिस में लोग रहते हैं, तो आप केवल ७,४३,२५७ मकानों को ही अलाट कर सके हैं। और अब भी ढाई लाख मकानों की कमी बनी हुई है। अब आप देखेंगे कि सन् १९५१ में २२,४६९, सन् १९५२ में १३,९१३ और सन् १९५३ में ४,३१४ मकानों की कमी है। यह जो रिपोर्ट है इससे मालूम होता है कि मकानों की समस्या दिन प्रति दिन बदतर होती चली जा रही है। देहातों की दशा क्या कहें ? एक एक घर में १०,१० आदमी रहते हैं। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से आप देखेंगे कि माननीय गुप्ता जी ने कहा है कि हम शहरों में मकान बनाने के लिये कोआपरेटिव के जरिये से तकावी देना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि शहरों में तकावी अवश्य बटेगी लेकिन देहातों में भी बंटनी चाहिये। जो लोग मकान बनाने के लिये तैयार हैं उन्हें आवश्यकतानुसार तकावी मिलनी चाहिये। अध्यक्ष महोदय, जो छटनी हुई है वह ठीक है छटनी होनी ही चाहिये लेकिन यह सभी जानते हैं कि इस विभाग से ८,५९६ आदमियों की छटनी हुई है। नौकरी कम लोगों को मिली है, इनकी हालत आज बहुत खराब है।

श्री अध्यक्ष--अब आप का समय हो गया है।

***श्री चन्द्रभानु गुप्त**--अध्यक्ष महोदय, जिन आंकड़ों की तरफ माननीय सदस्य ने हमारा ध्यान आकर्षित कराया है तो मैं स्वयं इन आंकड़ों की चर्चा करते हुये कह चुका हूं कि जहां तक गल्ले की कीमतों का संबंध है वह कीमतें घटी हैं और वह प्रश्न एक चिन्ताजनक प्रश्न है और सरकार उस चिन्ताजनक प्रश्न को अपने सामने रखती है। सरकार इस बात के प्रयत्न में लगी हुई है कि किसी तरह से प्राइसेज को सपोर्ट दे करके, किसानों के गल्ले को बाजार में बेचने की कोशिश की जाय जिससे किसानों को जरूरत से ज्यादा घटी हुई गल्ले की कीमत न मिले ; क्योंकि सरकार महसूस करती है कि किसानों को बहुत घाटा हुआ है और जो कम कीमत उनको गल्ले की मिलेगी उससे सारी ऐग्रीकल्चरल इकोनामी तबाही में चली जायेगी। केन्द्रीय सरकार और हमारी सरकार का यह कहना है और मैंने इस सदन में वचन भी दिया है कि सरकार भरसक प्रयत्न करेगी कि कीमतें अधिक न घटने पायें। हमारी सरकार ने इस प्रश्न पर विचार करने के लिये विशेषज्ञों की एक कमेटी नियुक्त कर दी है जो कि इस पर विचार कर रही है। वह जो निर्णय करेगी उस पर विचार करके कि किस तरह से किसानों की घटी हुई कीमतों में मदद पहुंचे और कैसे उनकी प्राइसेज स्टैबिल रहें, उसको करने की सरकार कोशिश करेगी।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

जहां तक मकानों की बातों का प्रश्न है इस संबंध में अभी मैंने यह निवेदन कर दिया था कि हमारी सरकार ने वित्त मंत्री की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त कर रखी है जो कि मकानों की कमी के प्रश्न पर विचार कर रही है। हम आशा करते हैं कि इस कमेटी की सिफारिशें शीघ्र ही हमारे सामने आयेंगी और उन पर विचार करके हम मकान बनाने के लिये कदम उठायेंगे। मैं जानता हूं कि जहां तक शहरों का ताल्लुक है वहां पर मकानों की समस्या उत्तरोत्तर बढ़ रही है क्योंकि जिन लोगों के पुराने मकान हैं वे अब साधनहीन हो गये हैं और यदि साधनहीन नहीं भी हैं तो उनकी मकान बनाने की इच्छा नहीं हो रही है।

यद्यपि इस प्रकार के कानून हमारे बीच में चल रहे हैं इसलिये लोगों की प्रवृत्ति नये मकान बनाने की तरफ नहीं है। इसलिये मैं जहां तक समझता हूं कि आगे आने वाले समय में मकान बनाने के प्रश्न को स्वयं सरकार को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। लेकिन जब तक इस कमेटी की सिफारिशें सामने न आ जायं, हम इस प्रश्न के ऊपर अच्छी तरह से विचार नहीं कर सकते हैं। मैं इस समय इतना ही कहना चाहता हूं कि यह समस्या हमारे सामने है और हम इन समस्याओं को हल करने का पूरा विचार कर रहे हैं। मैं अब और अधिक न कहता हुआ अब सिर्फ यही कह सकता हूं कि जो-जो प्रश्न आज मेरे सामने उपस्थित किये गये हैं वह सब हमारे सामने हैं और सरकार इन सब प्रश्नों को हल करने में सहानुभूति का परिचय देगी।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४१—असाधारण व्यय (लेखा शीर्षक : ६३—असाधारण व्यय) के अन्तर्गत १ रुपये की कटौती की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४१—असाधारण व्यय (लेखा शीर्षक : ६३—असाधारण व्यय) के अन्तर्गत ३३,९४,१०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इसके बाद सदन ५ बजकर २८ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

मिठ्ठन लाल,
सचिव, विधान मंडल,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
२८ मार्च, १९५५।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९ पर)

जिला कमेटी के सदस्य

१--जिलाधीश (चेयरमैन)
२--एस० पी०
३--डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर
४--सिविल सर्जन
५--डी० एम० ओ० एच०
६--डी० ए० ओ०
७--डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव अफसर
८--डिस्ट्रिक्ट इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स
९--प्रेसीडेंट डिस्ट्रिक्ट बोर्ड
१०--डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग अफसर
११--एस० डी० ओज०
१२--तहसीलदार
१३--असिस्टेंट इंजीनियर कसया
१४--फ्लड् अफसर, एक डिप्टी
१५--प्रेसीडेंट डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी
१६--सप्लाई अफसर
१७--डिस्ट्रिक्ट केन आफिसर
१८--वेटेरिनेरी असिस्टेंट सर्जन
१९--एम० एल० एज०
२०--श्री मदन पाल सिंह, छितौनी
२१--श्री चन्द्रदेव तिवारी, पडरौना
२२--श्री जानकी शरन तिवारी, बरहज
२३--श्री विश्वनाथ त्रिपाठी
२४--श्री जे० एम० एस० मुरार, भागलपुर
२५--श्री शंकरदयाल त्रिपाठी
२६--श्री कुंवर प्रताप बहादुर नरायन सिंह, खड्डा
२७--श्री मुरलीधर त्रिपाठी, रुद्रपुर
२८--श्री रामपति त्रिपाठी

नत्थी 'ख'

(देखिय तारांकित प्रश्न १३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९ पर)

कपड़े के वितरण का ब्योरा

	धोती	साड़ी	मारकीन	कमीज के कपड़े	छींट	छाल्टीन	बने हुए कपड़े	सिल्क कवर	खाकी कमीज	खाकी ड्रिल
देवरिया ..	११९	९८	१,७७५	२४९	२१८	६४९	१ गांठ ८६ गज	९२	५००	१०२
सलेमपुर ..	११६	१७०	१,६७०	२२८	२१८	६४९	१ गांठ ८५ गज	९२	५००	४८
पडरौना ..	११६	१७१	१,६७५	१९५	२१८	६६४	१ गांठ ८५ गज	९२	५००	४८
हाटा ..	११६	१७२	१,७११	२१५	२१८	६६४	१ गांठ ८५ गज	९२	५००	७२
योग ..	४६७	६११	६,८३१	८८७	८७२	२,६२६	४ गांठ ३४१ गज	३६८	२,०००	२७०

नत्थी 'ग'

(देखिये पीछे पृष्ठ १६ पर)

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, १९५५

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित किया गया।)

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, १९५३ को कुछ प्रयोजनों के लिए संशोधित करने का

उत्तर प्रदेश अधिनियम ५, १९५४।

विधेयक

यह आवश्यक है कि यहां पर आगे चल कर प्रतीत होने वाले प्रयोजनों के लिये उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, १९५३ को संशोधित किया जाय; उत्तर प्रदेश अधिनियम ५, १९५४।

इसलिये भारतीय गणतंत्र के छठे वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रारम्भ।

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) अधिनियम, १९५५ कहलाएगा।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम ५, १९५४ की धारा ३ का संशोधन।

२—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, १९५३ को (जिसे यहां पर आगे चल कर मूल अधिनियम कहा गया है) धारा ३ के :

(१) खंड (२) में वर्तमान स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिये जोत में निम्नलिखित सम्मिलित न होगी :—

१—भूमि जो उस वर्ष के, जिसमें क्षेत्र के सम्बन्ध में धारा ४ के अधीन विज्ञप्ति जारी की गई हो, ठीक पहले के कृषि वर्ष में बाग थी;

२—भूमि जिसमें पानी की बाढ़ आती हो अथवा जिसका अत्यन्त कटाव होता हो (subject to fluvial action or intensive soil erosion)";

(२) खंड (२-क) में शब्द "और इसके अन्तर्गत धारा ४३ की उपधारा के अधीन स्थापित उप-समिति भी है" के स्थान पर शब्द "और इसके अन्तर्गत धारा ४३ की उपधारा (१) के अधीन संगठित उप-समिति तथा उक्त धारा की उपधारा (१-क) के अधीन नामांकित समिति भी है" रख दिये जायं ;

(३) खंड (३) के पश्चात् निम्नलिखित नये उपखंड (३-क) के रूप में बढ़ा दिया जाय :

"(३-क) "चकबन्दीकर्ता" (consolidator) का तात्पर्य ऐसे अधिकारी से है जिसे राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन चकबन्दीकर्ता के कर्त्तव्यों के पालन करने के हेतु धारा ४२ के अधीन नियुक्त करे" और

(४) वर्तमान खंड ५ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"(५) "भूमि" (land) का तात्पर्य ऐसी भूमि से है जो किसी के अधिकार या अध्यासन में कृषि, उद्यानकरण (horticulture) तथा पशुपालन (animal husbandry) जिसके अन्तर्गत मत्स्य संवर्धन (pisciculture) और कुक्कुट पालन (poultry farming) भी है से सम्बद्ध प्रयोजन के लिये हो और इसके अन्तर्गत निम्नांकित भी है :

(क) सम्बद्ध खातेदार की जोत का भाग जो उसके मकान या अन्य तत्सम रचना (other similar structure) का स्थल (site) हो;

(ख) भूमि जो समय विशेष पर १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम के अधीन गांव समाज अथवा स्थानिक अधिकारिकी (local authority) में निहित हो।"

उत्तर प्रदेश अधिनियम ५, १९५४ की धारा १०-ख का संशोधन।

३--मूल अधिनियम की धारा १०-ख में--

शब्द "जहां तक कि ऐसा करना इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, चकबन्दी अधिकारी भी इसे कार्यान्वित करेगा" के स्थान पर शब्द "जहां तक ऐसा करना चकबन्दी की सामान्य योजना का ध्यान रखते हुए व्यवहार्य (practicable) हो, चकबन्दी अधिकारी इसे कार्यान्वित करेगा" रख दिये जायं।

उत्तर प्रदेश अधिनियम ५, १९५४ की धारा २८ का संशोधन।

४--मूल अधिनियम की धारा २८ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :--

"२८--सहायक चकबन्दी अधिकारी, यदि आवश्यक हो तो, उस व्यक्ति अथवा उन व्यक्तियों को जिसमें भूमि प्रबन्धक समिति भी सम्मिलित है, जिसे या जिन्हें चक अथवा भूमियां प्रदिष्ट (allotted) की गई हों प्रदिष्ट जोत अथवा भूमियों का वास्तविक रूप से कब्जा (actual physical possession) दिलायेगा और ऐसा करने में उसे अपमान (contempt), प्रतिरोध (resistence) तथा ऐसी ही अन्य बातों के सम्बन्ध में वे अधिकार (powers) प्राप्त होंगे जिनका प्रयोग अचल सम्पत्ति पर कब्जा दिलाने की डिक्री के सम्पादन (execution) करने में दीवानी न्यायालय (Civil Courts) कर सकते हैं।

कब्जा दिलाना (Delivery of Possession)

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उपर्युक्त प्रकार से कब्जे का दिलाया जाना उस व्यक्ति के, जिससे कब्जा संक्रामित किया गया हो, कब्जा दिलाने के दिनांक पर ऐसे चक या भूमि यों पर खड़ी फसलों को पालने-पोसने (tend) और एकत्रित करने के अधिकार पर प्रभाव न डालेगा, जब तक कि सहायक चकबन्दी अधिकारी उन कारणों से, जो अभिलिखित किये जायंगे, यह निर्णय न करें कि फसल पर भी कब्जा दिलाया जायगा।

और प्रबिन्ध यह भी है कि उन दशाओं में जब कोई व्यक्ति पूर्वगामी प्रतिबन्धात्मक खंड के अनुसार खड़ी फसलों को पालने पोसने (tend) तथा एकत्रित करने का अधिकारी हो तो वह उस व्यक्ति को, जिसे भूमि प्रदिष्ट की गई हो, भूमि के प्रयोग के लिए फसल के प्रकार का ध्यान रखते हुये ऐसे प्रतिकर का देनदार होगा जो नियत किया जाय।"

५—धारा २९ की उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय : उत्तर प्रदेश अधिनियम ५, १९५४ की धारा २९ का संशोधन।

"(१) यदि धारा २८ के अधीन खड़ी फसलों पर भी कब्जा दिलाया जाय तो, सहायक चकबन्दी अधिकारी, उस भूमि के खातेदार द्वारा जिसे कब्जा दिलाया गया हो, ऐसी फसलों के सम्बन्ध में देय प्रतिकर को नियत रीति से अवधारित करेगा। उक्त खातेदार कब्जा करने के दिनांक से नौ मास के भीतर उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों को, जिससे या जिनसे कब्जा संक्रामित किया गया हो, ऐसा प्रतिकर देगा और ऐसा न करने की दशा में उससे ऐसा प्रतिकर मालगुजारी के बकाये के रूप में (as arrears of land revenue) वसूल किया जा सकेगा।"

६—मूल अधिनियम की धारा ४२ में : उत्तर प्रदेश अधिनियम ५, १९५४ की धारा ४२ का संशोधन।

(१) उपधारा (१) में खंड (१) से पहले निम्नलिखित नये उपखंड (क–१) के रूप में रख दिया जाय :

"(क–१) चकबन्दीकर्ता (Consolidator); और

(२) उपधारा (२) और (३) में शब्द "चकबन्दी अधिकारी तथा सहायक चकबन्दी अधिकारी" के स्थान पर शब्द "चकबन्दी अधिकारी, सहायक चकबन्दी अधिकारी तथा चकबन्दीकर्ता" रख दिये जायं।"

७—मूल अधिनियम की धारा ४३ में उपधारा (१) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उपधारा (१–क) के रूप में बढ़ा दिया जाय : उत्तर प्रदेश अधिनियम ५, १९५४ की धारा ४३ का संशोधन।

"(१–क) किसी ऐसे क्षेत्र के सम्बन्ध में जिस पर १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा ११७–क की उपधारा (२) प्रवृत्त होती हो, चकबन्दी समिति में सदस्यों की वह संख्या होगी, जो पांच से कम न हो अथवा ग्यारह से अधिक न हो जो कि नियत की जाय और उन्हें कलेक्टर संबद्ध स्थानिक अधिकारिकी (local authority) के चेयरमैन या प्रेसीडेंट से परामर्श करने के पश्चात् संबद्ध क्षेत्र के निवासियों में से नामांकित करेगा तथा उनकी वे अर्हताएं (qualifications) होंगी जो नियत की जायं।"

८—मूल अधिनियम की धारा ४९ में शब्द "दीवानी न्यायालय" के स्थान पर "दीवानी अथवा माल न्यायालय" रख दिये जायं। उत्तर प्रदेश अधिनियम ५, १९५४ की धारा ४९ का संशोधन।

९—मूल अधिनियम की धारा ५४ की उपधारा (२) के— उत्तर प्रदेश अधिनियम ५, १९५४ की धारा ५४ का संशोधन।

(१) वर्तमान खंड (ण) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(ण) इस अधिनियम के अधीन किसी खातेदार को दिये जाने वाले अथवा उनसे वसूल किये जाने वाले प्रतिकर के अवधारण की रीति तथा सिद्धान्त ;"

(२) खंड (दद) के पश्चात् निम्नलिखत नये खंड (ददद) के रूप में रख दिया जाय :

"(ददद) धारा १२ की उपधारा (४), धारा २२ तथा धारा ३६ के अधीन मध्यस्थ (arbitrator) द्वारा अभिदेशों (references) के निस्तारण (disposal) से सम्बद्ध प्रक्रिया"; और

(३) खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड (नन) के रूप में रख दिया जाय :

"(नन) चकबन्दी समिति के सदस्यों का कार्यकाल तथा उनके द्वारा स्थानों का रिक्त होना।"

उद्देश्य और कारण

जिला सुल्तानपुर की तहसील मुसाफिरखाना तथा जिला मुजफ्फरनगर की तहसील कैराना में जोतों की चकबन्दी अप्रैल, १९५४ में आरम्भ हुई थी। अभिलेखों के संशोधन (correction of records) तथा प्रारम्भिक विवरणों की तैयारी के सम्बन्ध में अधिनियम के प्रचलन (working) में कई त्रुटियां प्रकट हुईं, जो उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) अधिनियम, १९५४ द्वारा दूर कर दी गई थीं। निष्क्रान्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करने के हेतु भी इस अधिनियम का पारण आवश्यक था।

२—ज्यों-ज्यों उक्त दोनों तहसीलों में काम आगे बढ़ा, यह प्रतीत हुआ कि कार्य को और शीघ्रता से करने तथा विधि सम्बन्धी भ्रम और उसके दुरुपयोग की समस्त संभावनाओं के निराकरण के लिये भी कुछ परिवर्तन आवश्यक है। इसी प्रयोजन से यह विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है।

चरणसिंह,
माल मंत्री।

नत्थी 'घ'

(देखिये पीछे पृष्ठ १९ पर)

उत्तर प्रदेश एसेंशियल सर्विसेज मेन्टिनेंस (निरसन) विधेयक, १९५५

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित किया गया)

एसेंशियल सर्विसेज (मेन्टिनेंस) आर्डिनेंस, १९४१ को, जहां तक उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति का सम्बन्ध है, निरस्त करने का,

विधेयक

एसेंशियल सर्विसेज (मेन्टिनेंस) आर्डिनेंस, १९४१ को, जहां तक उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति का सम्बन्ध है, निरस्त करना आवश्यक है ।

अतएव भारतीय गणतंत्र के छठें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम, विस्तार तथा प्रारम्भ ।

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश एसेंशियल सर्विसेज मेन्टिनेंस (निरसन) अधिनियम, १९५५ कहलायेगा ।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा ।

(३) यह तुरन्त प्रचलित होगा ।

निरसन (Repeal)

२—एसेंशियल सर्विसेज (मेन्टिनेंस) आर्डिनेंस, १९४१ का उतना भाग, जिसका सम्बन्ध ऐसे विषयों से हो, जिनके विषय में उत्तर प्रदेश के लिये विधियों के निर्माण करने का अधिकार राज्य विधान मंडल को प्राप्त है और संसद को नहीं, निरस्त (Repeal) किया जायगा और एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है ।

उद्देश्य और कारण

विगत युद्ध के कारण उत्पन्न आपात (emergency) में गवर्नर जनरल द्वारा एसेंशियल सर्विसेज (मेन्टिनेन्स) आर्डिनेन्स १९४१, २० दिसम्बर, १९४१ को प्रचारित किया गया था और उसका उद्देश्य उस प्रसंग में आवश्यक सेवाओं का रख-रखाव था। क्योंकि आपात अब नहीं रह गया है, इसलिये भारत सरकार ने उसके ऐसे उपबन्धों को, जो उनके विधायी क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं, निरस्त करने का निश्चय किया है। परन्तु उन विषयों के सम्बन्ध में, जो एकांतिक रूप से राज्य विधान मंडल के विधायी क्षमता के अन्तर्गत आते हैं राज्य विधान मंडल द्वारा निरसन आवश्यक है। तदनुसार यह विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है ।

जुगल किशोर,
श्रम मंत्री ।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ९ एल० ए०—१९५५—७९६ ।